अनुभवी राजनेता एवं कुशल प्रशासक
नीलम संजीव रेड्डी

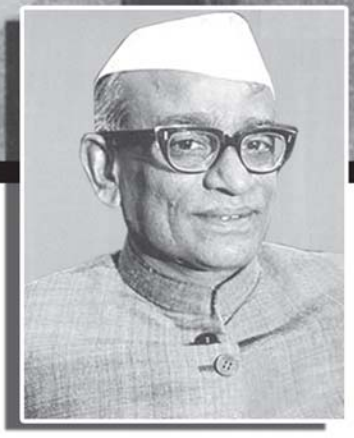

नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। ऐसे राष्ट्रपति जो आजादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और आजादी के बाद राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभाली। जो भारत के पहले युवा राष्ट्रपति थे। वह महज 18 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे. इतना ही नहीं, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने पहला सत्याग्रह भी किया। वह राजनैतिक जीवन की शुरुआत युवा कांग्रेस के सदस्य के रूप में की. उन्होंने 25 जुलाई 1977 से राष्ट्रपति पद को संभाला। 19 मई 1913 को उनका जन्म हुआ था। आन्ध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि कवि, अनुभवी राजनेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में थी। इनका सार्वजनिक जीवन उत्कृष्ट था। सन 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई, उस समय नव–गठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। वे भारत के पहले गैर कॉंग्रेसी राष्ट्रपति थे। वे अक्टूबर 1956 में आन्ध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनें और दुसरी बार फिर 1962 से 1964 तक यह पद संभाला। उन्होने 1956 से 1962 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में से कार्य किया। इनके पिता का: नामनीलम चिनप्पा रेड्डी था नीलम संजीव रेड्डी का विवाह 8 जून, 1935 को नागा रत्नम्मा के साथ सम्पन्न हुआ था। इनके एक पुत्र एवं तीन पुत्रियाँ हैं। पुत्र सुधीर रेड्डी अनंतपुर में सर्जन की हैसियत से अपना स्वतंत्र क्लिनिक पार्टी ऑफ़ इण्डिया के प्रभावशाली नेता रहे हैं और आज़ादी की लड़ाई में यह भी कई बार जेल गए हैं। उन्होंने कई राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी भी की थी। इस दौरान इन्हें कई बार जेल की सज़ा भी काटनी पड़ी। नीलम संजीव रेड्डी की प्राथमिक शिक्षा 'थियोसोफिकल हाई स्कूल' अड़यार, मद्रास में सम्पन्न हुई। आगे की शिक्षा आर्ट्स कॉलेज, अनंतपुर में प्राप्त की। महात्मा गांधी के आह्वान पर जब लाखों युवा पढ़ाई और नौकरी का त्याग कर स्वाधीनता संग्राम में जुड़ रहे थे, तभी नीलम संजीव रेड्डी मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही इस आंदोलन में कूद पड़े थे। इन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। संजीव रेड्डी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। यह उस समय आकर्षण का केन्द्र बने, जब उन्होंने विद्यार्थी जीवन में सत्याग्रह किया था। वह युवा कांग्रेस के सदस्य थे। रेड्डी जी की प्रारंभिक शिक्षा थियोसोफिकल हाई स्कूल अंडयार, मद्रास में शुरू हुई थी. इसी विद्यालय में रेड्डी जी अध्यात्म की ओर आकर्षित हुए थे और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने आर्ट्स कॉलेज अनंतपुर में प्रवेश लिया. किन्तु जुलाई 1929 में गांधीजी से मिलने के बाद रेड्डी जी का जीवन पूरी तरह से बदल गया।

★ **नीलम संजीवा रेड्डी का राजनैतिक सफर :–** मात्र अठारह वर्ष की आयु में नीलम संजीवा रेड्डी स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने

पहला सत्याग्रह भी किया। उन्होंने युवा कॉग्रेस के सदस्य के रूप में अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। बीस वर्ष की उम्र में ही नीलम संजीवा रेड्डी काफी सक्रिय हो चुके थे। सन 1936 में नीलम संजीवा रेड्डी आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सामान्य सचिव निर्वाचित हुए. उन्होंने इस पद पर लगभग 10 वर्षों तक कार्य किया। नीलम संजीव रेड्डी संयुक्त मद्रास राज्य में आवासीय वन एवं मद्य निषेध मंत्रालय के कार्यों का भी सम्पादन करते थे। 1951 में इन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, ताकि आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग ले सकें. इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी प्रोफेसर एन.जी. रंगा को हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसी वर्ष यह अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति और केन्द्रीय संसदीय मंडल के भी निर्वाचित सदस्य बन गए। नीलम संजीवा रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के तीन सत्रों की अध्यक्षता की। 10 मार्च, 1962 को इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और यह 12 मार्च, 1962 को पुनः आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वह इस पद पर दो वर्ष तक रहे। उन्होंने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दिया था। 1964 में नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रीय राजनीति में आए और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हें केन्द्र में स्टील एवं खान मंत्रालय का भार सौंप दिया। इसी वर्ष वह राज्यसभा के लिए भी मनोनीत हुए और 1977 तक इसके सदस्य रहे। 1971 में जब लोक सभा के चुनाव आए तो नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस–ओ के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा. इस हार से श्री रेड्डी को गहरा धक्का लगा। वह अनंतपुर लौट गए और अपना अधिकांश समय कृषि कार्यों में ही गुजारने लगे। एक लम्बे अंतराल के बाद 1 मई, 1975 को श्री नीलम संजीव रेड्डी पुनः सक्रिय राजनीति में उतरे. जनवरी 1977 में यह जनता पार्टी की कार्य समिति के सदस्य बनाए गए और छठवीं लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की ओर से आन्ध्र प्रदेश की नंड्याल सीट से उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा. जब चुनाव के नतीजे आए तो वह आन्ध्र प्रदेश से अकेले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे, जो विजयी हुए थे। 26 मार्च, 1977 को श्री नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। लेकिन 13 जुलाई, 1977 को उन्होने यह पद छोड़ दिया क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया जा रहा था, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध छठवें राष्ट्रपति चुन लिए गए। नीलम संजीवा रेड्डी को श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, त्रिमूर्ति द्वारा 1958 में सम्मानार्थ डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। बीस वर्ष की उम्र में ही नीलम संजीव रेड्डी काफ़ी सक्रिय हो चुके थे। राज्य की राजनीति में भी एक कुशल प्रशासक के तौर पर इनका प्रभाव अनुभव किया जाने लगा था। यह 1936 में आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सामान्य सचिव निर्वाचित हुए और इस पद पर 10 वर्ष से अधिक समय गुजारा। यह इस बात को सिद्ध करता है कि वह प्रतिभावान थे और उनमें नेतृत्व के गुण थे। नीलम संजीव रेड्डी संयुक्त मद्रास राज्य में आवासीय वन एवं मद्य निषेध मंत्रालय के कार्यों का भी सम्पादन करते थे। तब कुमारास्वामी राजा मुख्यमंत्री थे। यह समय 1949 से 1951 तक का था। 1951 में इन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, ताकि आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग ले सकें। इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी प्रोफेसर एन.जी. रंगा को हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसी वर्ष यह' अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति' और 'केन्द्रीय संसदीय मंडल' के भी निर्वाचित सदस्य बन गए। इस प्रकार इन्हें राष्ट्रीय स्तर की छवि एवं दर्जा प्राप्त हो गया।

★ **मोरारजी नहीं चाहते थे कि रेड्डी राष्ट्रपति बनें :–** भारत के पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का आपातकाल के दौरान ही देहांत हो गया. 1977 के चुनाव में जनता पार्टी नाम के भानुमती के कुनबे को बहुमत मिला. इस बार राष्ट्रपति चुनने की चाबी जनता पार्टी के हाथ में थी. 1977 के राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी देश के इतिहास में अकेले ऐसे राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने निर्विरोध चुनाव जीता. लेकिन ये आसान नहीं था. उनकी पार्टी में ही उनके नाम को लेकर सहमति बनाने में काफी जद्दोजहद हुई. वो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे. ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि महज जेपी की मर्जी के चलते मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोरारजी और जेपी के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी. नीलम संजीव रेड्डी की गिनती जेपी के करीबियों में हुआ करती थी. यही वजह थी कि नीलम संजीव रेड्डी के नाम को लेकर मोरारजी बहुत उत्साहित नहीं थे। मोरारजी ने संसदीय बोर्ड की मीटिंग में प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार रुक्मणि अरुन्दले का नाम आगे बढ़ाया. सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सीपीएम ने इस नाम का विरोध किया और साफ़ कर दिया कि अगर अरुन्दले को उम्मीदवार बनाया जाता है तो वो अपना अलग प्रत्याशी खड़ा कर देगी. इधर द्रमुक और अन्नाद्रमुक भी अरुन्दले के नाम को लेकर सहमत नहीं थीं. इस तरह मोरारजी को अपना मन मार लेना पड़ा।

रेड्डी के पुराने साथी रहे निजलिंगप्पा की भी नजर 1, रायसीना हिल्स पर थी. उन्होंने अपनी इच्छा मोरारजी के सामने जाहिर की. निजलिंगप्पा जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे. ऐसे में वो भी मजबूत

दावेदार थे. मामला एक जगह फंस गया. बीडी जत्ती और निजलिंगप्पा एक ही राज्य कर्नाटक से आते थे. जत्ती उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे. दोनों ही लिंगायत बिरादरी से थे. इसलिए निजलिंगप्पा की उम्मीदवारी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई।

★ इस बार वो दिल जीत कर राष्ट्रपति बनना चाहते थे :– नीलम संजीव रेड्डी 1969 के चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे. इंदिरा के विरोध के कारण उन्हें एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में उन्होंने तय किया कि वो इस बार राष्ट्रपति के पद के लिए तब ही अपनी दावेदारी पेश करेंगे, जब सभी दल उनके नाम पर सहमत हों. जब तक सहमति नहीं बन जाती वो लोकसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा नहीं देंगे. वो लोकसभा के अध्यक्ष भी सर्वसम्मति से बने थे। इंदिरा गांधी 1977 की हार के बाद कमजोर पड़ चुकी थीं. इधर चौधरी चरण सिंह इंदिरा और संजय को जेल में डालने की फिराक में थे. वो जीवन की सबसे विपरीत परिस्थितियों में खड़ी थीं. इस राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने साफ़ कर दिया कि अगर सरकार के सभी घटक दल किसी एक नाम पर सहमत हो जाते हैं, तो वो विरोध नहीं करेंगी। जुलाई 1977. संसद का मानसून सत्र चल रहा था. नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए थे. इस बीच एक मार्शल उनके पास एक पर्ची लेकर आया. ये पर्ची कांग्रेस के नेता करण सिंह की तरफ से आई थी. ये सब उस समय हो रहा था, जब संसद मॉनसून सेशन की सबसे तीखी बहस का गवाह बन रहा था. पर्ची का मजमून बांचने से पहले बात उस बहस की। दरअसल मॉनसून सत्र के कुछ दिन पहले ही अंग्रेजी अखबार स्टेट्समैन में एक खबर छपी. इस खबर के साथ छपी एक फोटोकॉपी ने सदन में नई बहस खड़ी कर दी. अखबार में छपी इस फोटोकॉपी के मुताबिक संजय गांधी ने मनेका गांधी के लिए 25 हजार फ्रैंक (फ्रांस की मुद्रा) का स्विस बैंक ड्राफ्ट निकाला था. इस बात पर सत्ता पक्ष के लोग अपने ही वित्त मंत्री एच. एम. पटेल को घेरे हुए थे. पटेल लगातार कह रहे थे कि इस दस्तावेज की सत्यता नहीं स्थापित की जा सकती. सत्ता पक्ष के सदस्य पटेल की इस सफाई से संतुष्ट नहीं थे. सत्ता पक्ष के लोग संजय गांधी और उनके बहाने से इंदिरा गांधी को घेरने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे थे. इससे एक सप्ताह पहले ही संजय और मेनका की हवाई अड्डे पर सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प हुई थी। इस मामले में मेनका का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था. विपक्ष इसे एक मौके की तरह भुना लेना चाह रहा था. हालात यहां तक पहुंच गए कि लेफ्ट के ज्योतिर्मय बसु एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आए थे. बार–बार स्पीकर रेड्डी को कह रहे थे कि आप भी देखिए. सब नजर आ जाएगा. सदन में हो रहे इस हंगामे पर रेड्डी बिफर गए. उन्होंने सदस्यों को फटकार लगाते हुए कहा, "आप मुझे इससे बुरा सिर दर्द नहीं दे सकते।"

★ पर्ची पढ़ने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया

ऐसे माहौल में जब करण सिंह की पर्ची रेड्डी तक पहुंची, तो उन्हें लगा कि इसका संबंध संसद की फिलहाल की कार्यवाही से होगा. जब उन्होंने पर्ची खोली तो इसमें कांग्रेस के समर्थन की बात लिखी गई थी. मोरारजी देसाई उस समय संसद में ही थे और पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे. वो जान गए कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था. थोड़ी देर में मोरारजी देसाई की तरफ से एक पर्ची मार्शल को सौंपी गई. इस पर्ची में लिखा था, "आपकी उम्मीदवारी का जनता पार्टी समर्थन करती है." इसके बाद उन्होंने डीएमके के प्रमुख करुणानिधि से बात की. रेड्डी को उनकी तरफ से भी समर्थन का आश्वासन मिला. इसके बाद उन्होंने लोकसभा के सभापति के पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी मां का आशीर्वाद लेने अनंतपुर आंध्रप्रदेश के लिए निकल गए. उनका राष्ट्रपति बनना तय हो चुका था। ऐसा नहीं था कि उस चुनाव में किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया था. नीलम संजीव रेड्डी के अलावा 36 और नामांकन दाखिल किए गए थे. उस समय के रिटर्निंग ऑफिसर अवतार सिंह रिखी ने 36 नामांकन रद्द कर दिए थे. 21 जुलाई, 1977 को नामांकन वापिस लेने की आखिरी तारीख थी. 3 बजे दोपहर नीलम संजीव रेड्डी देश के छठे राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए।

★ दुर्घटना :– नीलम संजीव रेड्डी के निजी जीवन में एक दुखद घटना घटी। इनका पाँच वर्षीय पुत्र मोटर दुर्घटना में काल–कवलित हो गया। इस घटना से यह इतना व्यथित हुए कि 'आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति' की

अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया लेकिन इन्हें त्यागपत्र वापस लेने के लिए मना लिया गया। 1952 में इन्हें राज्य सभा के लिए चुना गया लेकिन 1953 में इन्होंने सदस्यता त्याग दी। फिर यह टी. प्रकाशम की कैबिनेट में उपमुख्यमंत्री बनाए गए थे। जबकि 1955 से पूर्व तक यह 'मद्रास विधानसभा' के लिए चुने गए। 1956 में जब राज्यों के पुनर्गठन का कार्य किया गया तो नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के 'प्रथम मुख्यमंत्री' बने। तब इनकी उम्र 43 वर्ष थी और यह भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। इन्हें 3 दिसम्बर 1956 को सर्वसम्माति से 'अखिल भारतीय कांग्रेस' का अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन यह तब मुख्यमंत्री कार्यालय में बने रहे, जब तक कि नए मुख्यमंत्री के रूप में डी. संजीवैय्या ने 11 जनवरी 1960 को अपना कार्यभार नहीं संभाल लिया। इन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता श्रीमती इंदिरा गांधी से प्राप्त हुई थी, जिन्हें 2 फरवरी 1959 को यू. एन. देवधर के त्यागपत्र देने पर अध्यक्ष बनाया गया था।

★ **जेल यात्रा :–** रेड्डी 1940 से 1945 तक जेल में कैद रहे। यह प्रथम बार सितम्बर 1940 में छह माह के लिए जेल गए। तब इन्हें वेल्लूर और तिरुचिरापल्ली की जेलों में रखा गया। दूसरी बार इन्हें 1 जून 1941 से 18 मार्च 1942 तक वेल्लूर की जेल में राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ संचालित करने के आरोप में कैद किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके अमरावती तथा वेल्लूर की जेलों में कैद थे। वह 1945 तक जेल में रहे। रिहाई के बाद 1946 में यह मद्रास विधायिका में निर्वाचित हुए तथा 1947 में मद्रास विधायिका में सेक्रेटरी बनाए गए। 1947 में यह भारत की संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे।

★ **नैतिक मूल्य :–** रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के तीन सत्रों की अध्यक्षता की। 10 मार्च 1962 को इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यह 12 मार्च 1962 को पुनः आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जब डी. संजीवैय्या मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए। फरवरी 1964 में इन्होंने स्वेच्छा से मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया और इसका आधार नैतिक मूल्यों को बताया। आंध्र प्रदेश में सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और उस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा था। इस कारण रेड्डी ने मुख्यमंत्री बने रहना उचित नहीं समझा। इसके बाद इनके सहयोगी राज्यपाल ब्रह्मानन्द रेड्डी ने इन्हें नए मंत्रिमंडल का न्योता दिया और यह विधानसभा में कांग्रेस के नेता चुन लिए गए।

★ **खान मंत्रालय :–** 9 जून 1964 को रेड्डी राष्ट्रीय राजनीति में आए और प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने इन्हें केन्द्र में स्टील एवं खान मंत्रालय प्रदान किया। 1964 में ही यह राज्यसभा के लिए मनोतीत हुए और 1967 तक इसके सदस्य बने रहे। जनवरी 1966 से मार्च 1967 तक वह प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में रहे। इन्होंने यातायात, जहाजरानी, नागरिक उड्डयन एवं टूरिज्म का कार्य कैबिनेट मंत्री के रूप में देखा। 1967 के लोक सभा चुनाव में रेड्डी हिन्दपुर से निर्वाचित हुए, जो आंध्र प्रदेश की ही सीट थी। 17 मार्च 1967 को इन्हें लोक सभा का स्पीकर बनाया गया। लेकिन 19 जुलाई 1969 को इन्होंने लोकसभा के स्पीकर पद से त्यागपत्र दे दिया। यह कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव हेतु अधिकृत उम्मीदवार बनाए गए थे। इस ऐतिहासिक चुनाव ने कांग्रेस को दो भागों में विभक्त कर दिया। एक, कांग्रेस–ओ और दूसरी, कांग्रेस–आर के रूप में सामने आई। 1971 में जब लोक सभा के चुनाव आहूत हुए तो नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस–ओ के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस समय इंदिरा लहर के सम्मुख कई बड़े दिग्गज अपने पांवों की ज़मीन गंवा बैठे थे। इस हार से रेड्डी को गहरा धक्का लगा। वह अनंतपुर लौट गए और अपना अधिकांश समय कृषि कार्यों में ही गुजारने लगे। एक लम्बे अंतराल की राजनीतिक खामोशी के बाद 1 मई 1975 को नीलम संजीव रेड्डी पुनः सक्रिय राजनीति में उतरे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण के साथ हैदराबाद में जनसमूह को सम्बोधित किया। जनवरी 1977 में यह जनता पार्टी की कार्य समिति के सदस्य बनाए गए और छठवीं लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की ओर से आंध्र प्रदेश की नंड्याल सीट से उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा। जब चुनाव के नतीजे आए तो वह आंध्र प्रदेश से

अकेले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे, जो विजयी हुए थे। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद नीलम संजीव रेड्डी ने एक मजेदार वक्तव्य पत्रकारों के समक्ष दिया,"स्पीकर देखा तो जाता है लेकिन सुना नहीं जाता लेकिन राष्ट्रपति न तो देखा जाता है और न ही सुना जाता है।" संजीव रेड्डी ने भरोसा दिलाया कि वह वैसे ही राष्ट्रपति होंगे लेकिन ऐसे राष्ट्रपति भी रहेंगे जो निर्णय भी ले। मैं खामोशी के साथ ही कुछ नया चाहूंगा।

★ **राष्ट्रपति निर्वाचन :–** राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद नीलम संजीव रेड्डी ने एक मजेदार वक्तव्य पत्रकारों के समक्ष दिया,"स्पीकर देखा तो जाता है लेकिन सुना नहीं जाता लेकिन राष्ट्रपति न तो देखा जाता है और ही सुना जाता है।" रेड्डी ने भरोसा दिलाया कि वह वैसे ही राष्ट्रपति होंगे लेकिन ऐसे राष्ट्रपति भी रहेंगे जो निर्णय भी ले। मैं खामोशी के साथ ही कुछ नया चाहूंगा। नीलम संजीव रेड्डी का 50 वर्षीय राजनीतिक जीवन भी राष्ट्रपति बनने के बाद उनके साथ था। इस कारण वह काफ़ी अनुभवी और योग्य और योग्य राष्ट्रपति सिद्ध होने वाले थे। इन्हें जनता पार्टी सरकार के गठन के बाद 1977 में निर्विरोध चुना गया, जिस समय कांग्रेस पार्टी का केन्द्र में लगभग कोई वजूद ही नहीं रह गया था। इन्होंने स्वस्थ ऐतिहासिक परम्पराओं का निर्वहन किया तथा कांग्रेस पार्टी से बराबर समंवय और सहयोग बनाए रखा, जब 1980 में कांग्रेस पुनः सत्ता में आई। रेड्डी ने इस दौरान राष्ट्रपति पद की मर्यादा का निर्वाह उसी रूप में किया, जिस रूप के प्रदर्शन हेतु हमारे दिग्गज नेताओं ने राष्ट्रपति के संवैधानिक पद की व्यवस्था की थी। अपने राष्ट्रपति काल में रेड्डी ने दो प्रधानमंत्री पदासीन किए और तीन प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य–व्यवहार रखा। यह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह तथा श्रीमती इंदिरा गांधी थे। इस प्रकार रेड्डी ने अपना कार्यकाल पूरी गरिमा के साथ पूर्ण किया, फिर यह आंध्र प्रदेश के अपने आदर्श गृह नगर अनंतपुर लौट गए। राष्ट्रपति कार्यकाल की ज़िम्मेदारी से मुक्त होने से कुछ दिनों पहले इन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। प्रेस वार्ता में रेड्डी ने स्वीकार किया कि जब जनता पार्टी अंतर्कलह के कारण बिखर गई तो वह काफ़ी अकेला महसूस कर रहे थे। जनता पार्टी का बिखराव होना, मोरारजी देसाई द्वारा त्यागपत्र दिया जाना तथा चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री बनना एवं अल्पमत में आ जाना आदि घटनाएं काफ़ी दुखद हैं। इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में रेड्डी ने स्पष्ट किया कि उनके सामने आपात स्थिति थी और उन्हें राष्ट्रपति की संवैधानिक मर्यादा के अनुसार ही प्रत्येक मौके पर निर्णय लेने थे। तब इन्होंने अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए काफ़ी कठिन निर्णय भी किए। यदि इतिहास आज इन निर्णयों की समीक्षा करता है तो उन्हें उचित ही ठहराएगा।

★ **राष्ट्रपति पद पर :–** 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। लेकिन 13 जुलाई 1977 को उन्होंने यह पद छोड़ दिया क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पद हेतु

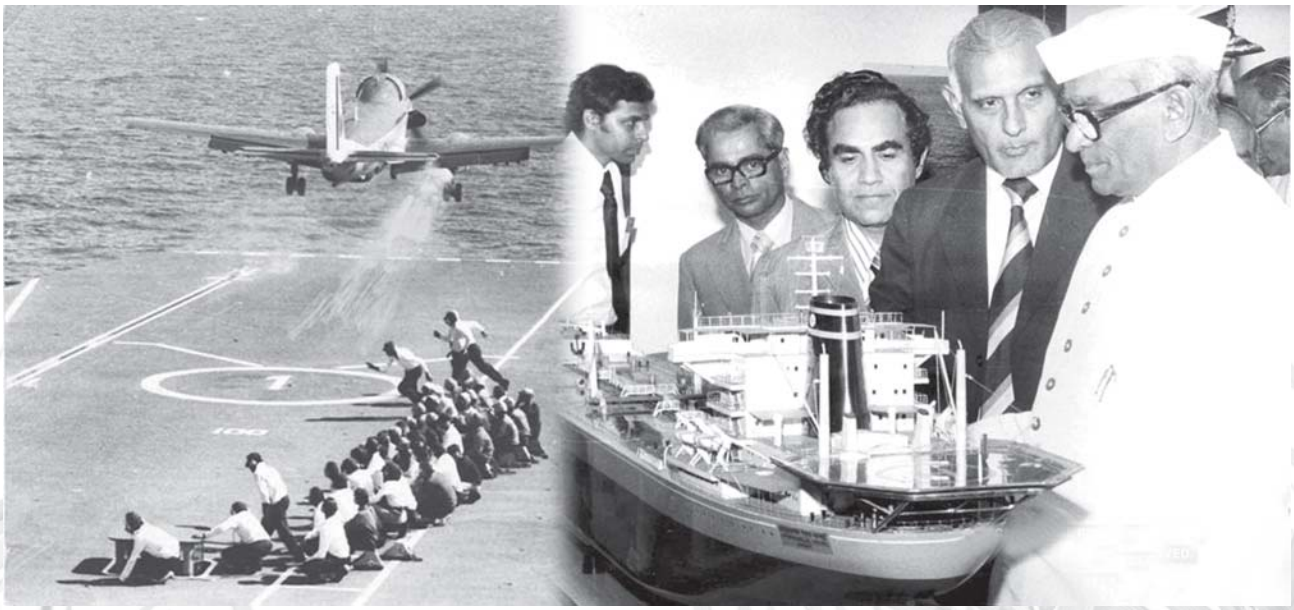

नामांकित किया जा रहा था। रेड्डी ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तभी वह नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस बार यह कोई भी ख़तरा लेने के मूड में नहीं थे। वह पुराना इतिहास दोहराए जाने से भयभीत थे। अंततः सभी आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं और नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध आठवें राष्ट्रपति चुन लिए गए। सभी राजनीतिक दलों ने इन्हें अंतरात्मा की आवाज़ पर राष्ट्रपति चुना था। इस प्रकार इस दौर में एक अनोखी राजनीतिक घटना घटी। 19 जुलाई 1977 को नामांकन पंत्रों की जांच का कार्य किया गया। रेड्डी के अतिरिक्त जितने भी नामांकन प्राप्त हुए उनमें व्यतिक्रम था। इस आधार पर सभी को खारिज कर दिया गया। कुल मिलाकर 21 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से कुछ उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में विधायकों एवं सांसदों का समर्थन नहीं था अथवा उम्मीदवारों ने 2500 रुपये की जमानत राशि जमा नहीं कराई थी। 21 जुलाई को सायंकाल 3 बजे तक नाम वापस लिया जा सकता था। फिर 3 बजकर 5 मिनट पर चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। इस घोषणा के पश्चात् रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, जो नियमानुसार आवश्यक था। 21 जुलाई, 1977 को मध्याह्न से पूर्व ही के. एस. हेगड़े को लोकसभा अध्यक्ष बना दिया गया। राष्ट्रपति चुन लिए जाने के बाद नीलम संजीव रेड्डी अपने जीवन का नया अध्याय आरंभ करने के लिए अपनी पत्नी श्रीमती नागा रत्नम्मा के साथ प्रातः राजघाट दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर गए ताकि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। इस समय रेड्डी ने खादी की बेदाग़ अचकन और गांधी टोपी धारण कर रखी थी। फिर यह 9, अकबर रोड से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए। यहाँ से कार्यवाहक राष्ट्रपति (उपराष्ट्रपति) बी. डी. जत्ती को साथ लेकर संसद भवन में पहुंचे ताकि वहाँ पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर सकें। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, लोकसभा के स्पीकर के. एस. हेगड़े, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम.एच. बेग तथा अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। 25 जुलाई 1977 को प्रातः काल 10 बजे केन्द्रीय हॉल में शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न हुआ। इस प्रकार रेड्डी छठे निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए। सुबह 10 बजकर 11 मिनट पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण के समय नीलम संजीव रेड्डी 64 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे। 21 तोपों की सलामी के साथ रेड्डी ने राष्ट्रपति कार्यालय संभाल लिया। उन्होंने हिन्दी एवं अंग्रेज़ी भाषा में शपथ ली। फिर रेड्डी ने 800 शब्दों में संक्षिप्त सम्बोधन दिया। उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती, जिनके पास कार्यवाहक राष्ट्रपति पद का भी दायित्व था, ने राष्ट्रपति पद का उत्तरदायित्व औपचारिक रूप से रेड्डी को सौंप दिया। गृह मामलों के मंत्रालय ने इस संबंध में भारतवर्ष के गजट में अधिसूचना प्रकाशित की जिसका क्रमांक एस. ओ. 585 (ई) दिनांक 25 जुलाई 1977 था। नीलम संजीव रेड्डी ने सेना समारोह के बड़े भाग को कम कर दिया। फिर वह खुली कार में बैठकर संसद भवन से राष्ट्रपति भवन रवाना हुए। राष्ट्रपति भवन में

औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद रक्षामंत्री जगजीवन राम ने उनका परिचय तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों से कराया। इस प्रकार नीलम संजीव रेड्डी ऐसे दूसरे राष्ट्रपति बने, जो तकनीकी रूप से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति नहीं थे। पहले राष्ट्रपति वी. वी. गिरि थे, क्योंकि वह स्वतंत्र उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए थे, यद्यपि उन्हें कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी के सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनने के बाद सभी गतिरोध थम गए। उन परिस्थितियों में यह अच्छा ही था, क्योंकि सरकार में कई पार्टियां शामिल थीं और शासन चलाने के लिए राष्ट्रपति को सभी का सहयोग अपेक्षित था।

★ **विदेशी यात्राएँ** :– नीलम संजीव रेड्डी ने कई देशों की यात्राएँ की, जिनमें पश्चिम जर्मनी, आस्ट्रेलिया, यू. के., फ्रांस हंगरी, पोलैण्ड, कनाडा, पेरू, नेपाल, यूगांडा, जाम्बिया, केन्या और अमेरिका के नाम उल्लेखनीय हैं।

★ **उपाधि** :– नीलम संजीव रेड्डी को 1958 में सम्मानार्थ डॉक्टरेट की उपाधि वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, त्रिमूर्ति द्वारा प्रदान की गई।

★ **निधन** :– 25 जुलाई, 1982 को अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात् नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद के दायित्व से मुक्त हो गए। फिर लगभग 14 वर्ष बाद 1 जून 1996 को इनका निधन हो गया। यदि हम रेड्डी के जीवन वृत्तांत पर दृष्टि डाले तो यह स्वीकार करना होगा कि उन्होंने राजनीति में रहते हुए भी उसकी गरिमा का सदैव पालन किया। इस प्रकार नीलम संजीव रेड्डी का जीवन हमें कई रंगों में रंगा नज़र आता है। लेकिन इनकी राष्ट्रवादी सोच और राजनीतिज्ञ के रूप में इनका अनुशासन भाव निश्चय ही प्रशंसनीय रहा है। एक राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन किया था। यह भारत माता के ऐसे सपूत रहे हैं, जिन पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है।

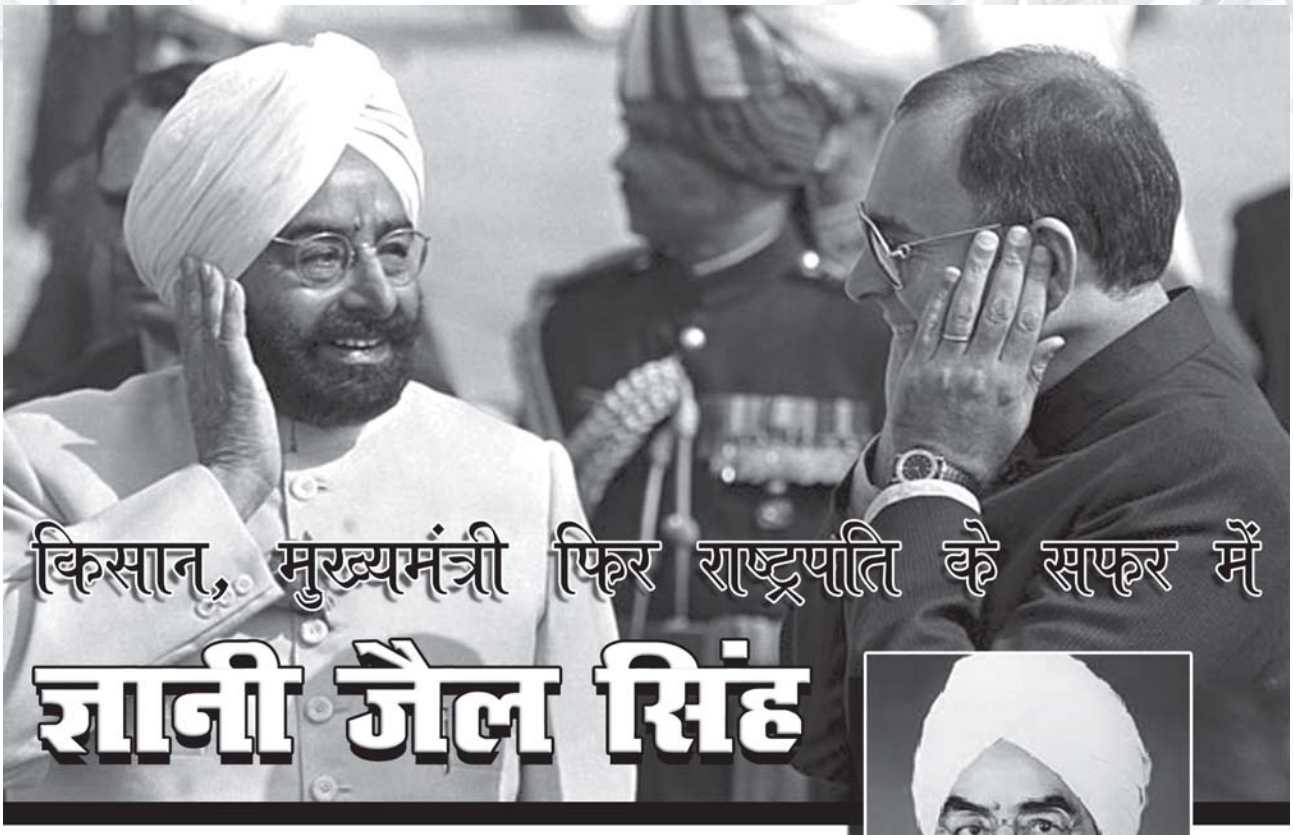

किसान, मुख्यमंत्री फिर राष्ट्रपति के सफर में

ज्ञानी जैल सिंह

ज्ञानी जैल सिंह भारत के आठवें राष्ट्रपति थे । उनका का सम्पूर्ण जीवन अत्यन्त संघर्षों में कार्य करते हुए बीता । वे स्वतन्त्रता के भी महान् सिपाही थे । कबीर की तरह उपाधि या डिग्रियां तो उनके पास नहीं थीं, लेकिन वे सचमुच ज्ञान के भण्डार, अर्थात ज्ञानी ही थे। ज्ञानी जैल बेहद धार्मिक व्यक्तित्व वाले इंसान थे। ईमानदारी, निर्भीकता, कर्म के प्रति निष्ठा का भाव उनके व्यक्तित्व के प्रभावशाली गुण थे । वे सिख धर्म के विद्वान् पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे। वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, सत्यनिष्ठा के राजनीतिक कठिन रास्तों को पार करते हुए भारत के राष्ट्रपति पद पर पहुँचे। 1982 में भारत के गौरवमयी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। 1987 तक के अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें 'ब्लूस्टार ऑपरेशन' एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। उनका जन्म पंजाब में फरीदकोट ज़िले के संधवा नामक गांव में 5 मई, 1916 ई. को हुआ। ज्ञानी ज़ैल सिंह का बचपन का नाम जरनैल सिंह था। पिता खेती करते थे। वह एक किसान के बेटे थे जिसने हल चलाया, फसल काटी, पशु चराए और खेती के विभिन्न काम करते थे, एक दिन भारत का राष्ट्रपति बन गये। यह बहुत ही असाधारण बात है और इसे सिद्ध कर दिखाया और ज्ञानी ज़ैल सिंह देश के आठवें राष्ट्रपति बन गये। ज्ञानी ज़ैल सिंह की स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाई कि उन्होंने उर्दू सीखने की शुरूआत की, फिर पिता की राय से गुरुमुखी पढ़ने लगे। इसी बीच में वे एक परमहंस साधु के संपर्क में आए। ढ़ाई वर्ष तक उससे बहुत कुछ सीखने–पढ़ने को मिला। फिर गाना–बजाना सीखने की धुन सवार हुई तो एक हारमोनियम बजाने वाले के कपड़े धोकर, उसका खाना बनाकर हारमोनियम बजाना सीखने लगे। पिता ने राय दी कि तुम्हें गाना आता है तो कीर्तन करो, गुरुवाणी का पाठ करो। इस पर जरनैल सिंह ने 'ग्रंथी' बनने का निश्चय किया और स्कूली शिक्षा छूटी रह गई। वे गुरुग्रंथ साहब के 'व्यावसायिक वाचक' बन गए। इसी से 'ज्ञानी' की उपाधि मिली। अंग्रेजों द्वारा कृपाण पर रोक लगाने के विरोध में ज़ैल सिंह को भी जेल जाना पड़ा था। वहां उन्होंने अपना नाम जैल सिंह लिखवा दिया। छूटने पर यही जैल सिंह नाम प्रसिद्ध हो गया। जब वे 11 माह के थे, तो उनकी माता इन्दी कौर का निधन हो गया । उनकी सौतेली माता ने उन्हें असली माता की तरह बड़े ही लाड–प्यार से पाला । ज्ञानी जैलसिंह के पिता सिक्ख धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा और आस्था रखते थे । उनके घर के एक कमरे में ही गुरुग्रन्थ साहिब पूजित होते थे, जहां प्रतिदिन भजन–कीर्तन तथा गुरुग्रन्थ साहिब का पाठ होता था । धार्मिक संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में ही मिले थे । ज्ञानी जैलसिंह की विधिवत शिक्षा मिडिल कक्षा तक ही पूरी हो पायी थी । मिडिल तक पढ़े होने के बाद भी उनके ज्ञान की सीमा व्यापक थी । 5 वर्ष की अवस्था से गुरुग्रन्थ साहिब का पाठ करने वाले

"यदि मेरे लीडर कहेंगे की मैंने झाड़ू उठाना चाहिए और झाड़ू लगाने वाला बन जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा करना चाहिए। क्योकि उन्होंने ही मुझे राष्ट्रपति बनने के लिए चुना है।"

–: ज्ञानी जैल सिंह

ज्ञानी जैलसिंह ने स्वाध्याय के बल पर हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू का ही नहीं, वरन् वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबिल का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। उर्दू साहित्य का तो उन्हें विशेष तथा व्यापक ज्ञान प्राप्त था। अपने संघर्ष के दिनों में उन्होंने राजमिस्त्री तथा बढ़ईगिरी का कार्य भी किया । दर्जी की तरह कपड़े सिये । मजदूर की तरह पत्थर भी ढोये। इस तरह दैनिक जीवन में सब तरह के परिश्रम के कार्य उन्होंने किये। उनका विवाह 15 वर्ष की अवस्था में 1934 को बीबी प्रधान कौर से हुआ। उनके एक लड़का और तीन लड़कियां थीं ।

★ **क्रांतिकारी :–** ज्ञानी ज़ैल सिंह क्रांतिकारियों के भी संपर्क में रहे। उन्होंने 'प्रजामंडल' का गठन किया। वे मास्टर तारासिंह के संपर्क में आए, जिन्होंने उन्हें फिर पढ़ने के लिए भेज दिया। वहां वे अधिक समय नहीं टिके और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नौकरी कर ली। स्वतंत्रता की भावना और राष्ट्रीय विचार उनके अंदर आरंभ से ही थे। 1946 में जब फरीदकोट में अफसरों ने तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया तो ज्ञानी जी ने नेहरू जी को निमंत्रित कर लिया। इस अवसर पर पूरे फरीदकोट को ज्ञानी जी के पीछे खड़ा देखकर नेहरू जी ने उनके प्रभाव का अनुभव किया और ज्ञानी जी उनके निकट आ गए। 1969 में उनकी इंदिरा जी से राजनीतिक निकटता बढ़ी। 1972 से 1977 तक ज्ञानी जी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 1980 में जब इंदिरा जी पुनः सत्ता में आईं तो उन्होंने ज्ञानी जी को देश का गृहमंत्री बनाया।

★ **कार्य एवं उपलब्धियां :–** ज्ञानी जैलसिंह स्वतन्त्रता के एक अच्छे सेनानी थे । बचपन से ही उनके मन में गुलाम भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने की अदम्य इच्छा रही थी । अंग्रेजों द्वारा गुलाम भारतीयों पर किये जाने वाले अत्याचारों को देखकर उनका खून खौल उठता था। किशोरावस्था में जालियांवाला बाग हत्याकाण्ड के प्रति गहरा आक्रोश था। अंग्रेजों के विरुद्ध की जाने वाली जनसभाओं में हमेशा जाया करते थे। भगतसिंह की फांसी के बाद तो उन्होंने अंग्रेज सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए आनन्दपुर साहिब के एक क्रान्तिकारी दल से अपना नाता जोड़ लिया । उनकी कम अवस्था को देखकर "युग पलटों" नाम के इस क्रान्तिकारी दल ने उन्हें सम्मिलित करने से ही इनकार कर दिया था। 1934 में ये फरीदपुर अकाली दल के सदस्य हो गये । 12 सितम्बर 1937 को अकाली सम्मेलन में उन्होंने अपना प्रभावशाली भाषण दिया। 1938 के अप्रैल में उन्होंने फरीदपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की एक शाखा स्थापित की, जिसके कारण उन्हें 5 वर्ष तक जेल की कोठरी में रखा गया। 1943 में जेल से मुक्त होकर अमृतसर में शहीद सिक्ख मिशनरी कॉलेज में अपना सहयोग देकर स्वयंसेवक और धर्म प्रचारक का काम किया। 18 अप्रैल 1946 को उन्होंने तिरंगा लहराने का कार्य किया । फरीदकोट की एक जनसभा में कार्यकर्ताओं को पीटे जाने और तिरंगे के अपमान को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शित किया । इस तरह देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति तक वे गांधी तथा नेहरूजी के साथ जुड़कर अपना सहयोग देते रहे। 1 मार्च 1948 को फरीदकोट के राजा ने उन पर बगावत तथा राजद्रोह का झूठा आरोप लगाकर उनके हाथ–पैर बांधकर उनके केशों की रस्सी को जीप से बांधकर सड़क पर घसीटने का आदेश दिया । 50 रुपये के साथ 1 वर्ष का सश्रम कारावास दिया। पटेल द्वारा रियासतों की समाप्ति के बाद ज्ञानी जैलसिंह ने कई आन्दोलनों का नेतृत्व किया । स्वतन्त्र भारत में 20 जुलाई 1949 को वे पंजाब और पूर्वी राज्यों के केबिनेट मिनिस्टर बने । राजस्व मन्त्रालय के साथ–साथ उन्होंने कृषि और लोक निर्माण विभाग का कार्य भी देखा । 1956 से 1962 तक वे राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए । 1966 से 62 तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे । 17 मार्च 1972 से पूरे 5 वर्षों तक पंजाब के मुख्यमन्त्री रहे । पंजाब को औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में उन्होंने अन्य राज्यों की श्रेणी से अलग

लाकर खड़ा किया ।

उनके ही प्रयास से शहीद ऊधमसिंह के भस्मावशेष को लंदन से लाया गया व सुनाम में इसका स्मारक बनाया गया । पंजाब के 332 गांवों और 90 पवित्र स्थानों को जोड़ने वाला 640 कि०मी० लम्बा मार्ग बनवाया । रिक्शा चालकों को रिक्शा खरीदने हेतु मुफ्त कर्ज दिया । 4 जनवरी 1980 को उन्हें इन्दिरा गांधी के शासनकाल में गृहमन्त्रालय का केबिनेट मिनिस्टर बनाया गया । उस समय भटके हुए लोगों द्वारा खालिस्तान की मांग का उन्होंने विरोध किया । 25 जून 1982 को कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही के रूप में उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गयी ।

★ **भारत के राष्ट्रपति :–** 1982 में बिना किसी विरोध के उनका नामनिर्देशन भारत के राष्ट्रपति के रूप में किया गया। फिर भी मीडिया में ऐसी अफवाह फ़ैल रही थी की उनका नामनिर्देशन इसलिए किया गया था क्योकि इंदिरा गांधी अपने वफादारी इंसान को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। 25 जुलाई, 1982 को उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद पर शपथ ली । उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए सुरक्षा के कई प्रतिबन्धों को तोड़कर जनता की समस्याएं सुनीं ।उनके कार्यकाल में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' तथा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या प्रमुख घटनाएं हैं। इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी को आपने ही प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। यद्यपि अंतिम दिनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों में खिंचाव के समाचार आने लगे थे, पर ज्ञानी जी अपना संतुलन बनाए रहे। 25 जुलाई, 1987 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ था। प्रतिदिन शाम 6 बजे वे आम लोगों के लिए दरबार लगाते थे। हिन्दी भाषा के प्रति उनके मन में अपार सम्मान था। "सादा जीवन उच्च विचार" उनके जीवन का उद्देश्य था । सफेद अचकन के साथ चूड़ीदार सलवार उनकी पारम्परिक पोशाक थी । सरल और अहंकार शून्य व्यक्तित्व के धनी ज्ञानी जैलसिंह ने इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को समस्त प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए प्रधानमन्त्री की शपथ दिलवायी, जिसका विरोध उन्हें सहना पड़ा । वह गांधी क बगल में खड़े रहकर देश की सेवा करते थे और हर हफ्ते वे उन्हें तय किये गये प्रोटोकॉल की जानकारी देते थे। इसके बाद 31 अक्टूबर को उसी साल इंदिरा गाँधी की हत्या कर दी गयी और उन्होंने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया।

स्वाध्याय और आत्मबल के द्वारा एक सामान्य–सा, कम पढ़ा–लिखा व्यक्ति भी किस तरह ज्ञानवान होकर राष्ट्रपति जैसे महिमामण्डित पद पर पहुंच सकता है, इसका सशक्त उदाहरण राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह थे । ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सादगी, स्वाभिमान के धनी थे राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह दबंगता इतनी थी कि एक बार उन्होंने हस्ताक्षर के लिए आये हुए बिल को जेबी बनाकर इतिहास रचा । ऐसा साहस एवं विद्वता विरले ही राष्ट्रपतियों में देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि "राजीव गांधी ने कई बार उनकी उदारता और सरलता की उपेक्षा करते हुए उनके तथा उनके पद की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा था ।" राजीव गांधी के साथ सैद्धान्तिक तौर पर होने वाले तनाव के कारण उन्होंने 25 जुलाई 1987 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रपति भवन छोड़कर 4 सर्कुलर रोड के आवास में रहने चले गये ।

★ **मृत्यु और स्मरणोत्सव :–** 29 नवम्बर 1994 को रोपर जिले के कितारपुर के पास से यात्रा करते समय एक ट्रक गलत साइड से आ रहा था और कार में यात्रा कर रहे जैल की कार ट्रक से टकरा गयी और उनका एक्सीडेंट हो गया, इस हादसे के बाद जैल बहुत सी बीमारियों से जूझ रहे थे और उन्हें बहुत चोट भी लगी थी। 25 दिसम्बर को 1994 में चंडीगढ़ में उपचार के दौरान की उनकी मृत्यु हो गयी थी। उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने सात दिन का राष्ट्रिय शोक भी घोषित किया था। दिल्ली के राज घाट मेमोरियल में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनकी याद में भारतीय पोस्ट विभाग ने 1995 में सिंह की पहली मृत्यु एनिवर्सरी पर एक पोस्टेज स्टैम्प भी जारी किया था।

राजनीतिज्ञ से ज्यादा राष्ट्रवादी रामस्वामी वेंकटरमण

रामस्वामी वेंकटरमण, भारत के वें राष्ट्रपति थे। वे 1987 से 1992 तक इस पद पर रहे। राष्ट्रपति बनने के पहले वे 4 वर्षों तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। 27 जनवरी 2009 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश भर के अनेक राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। रामस्वामी बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। इनके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती थी। वेंकटरमण का नाम कभी विवादों में नहीं आया और न ही इन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा। यह स्वयं को राजनीतिज्ञ से ज़्यादा राष्ट्रवादी मानते थे, जिसका कार्य देश की सेवा करना होता है। एक बार इन्होंने कहा था–"राजनीतिज्ञ वह है, जो अगले चुनाव के विषय में सोचता है और राजनेता वह है, जो अगली पीढ़ी के विषय में सोचता है।" श्री वेंकटरमण सभी प्रकार की जातीय विषमताओं को बुरा मानते थे, साथ ही गुटनिरपेक्षता के भी भी हिमायती थे। यह जीवन भर शाकाहारी रहे और कभी शराब का सेवन नहीं किया। वह गांधीवादी विचारधारा के घोर उपासक थे। इन्हें संगीत, संस्कृति और कला से भी काफ़ी लगाव था। 25 जुलाई, 1992 तक यह भारतीय गणराज्य के सबसे पद पर रहे। वेंकटरमन का जन्म 4 दिसंबर, 1990 को तमिलनाडु में तंजौर के निकट पट्टुकोट्टय में हुआ था। उनकी ज्यादातर शिक्षा–दीक्षा राजधानी चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) में ही हुई। रामास्वामी वेंकटरमण की प्राथमिक शिक्षा तंजावुर में सम्पन्न हुई। इसके बाद उन्होंने अन्य परीक्षाएँ भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कीं। तत्पश्चात् उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास से प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति के बाद इनके सामने दो विकल्प थे – ब्रिटिश हुकूमत की नौकरी करें अथवा स्वतंत्र रूप से वकालत करें। इन्होंने दूसरा विकल्प चुना और 1935 ई. में मद्रास उच्च न्यायालय में नामांकन करवा लिया। यह अंग्रेज़ों के दास बनकर उनकी गुलामी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अर्थशास्त्र से स्नातकोत्तर उपाधि मद्रास विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मद्रास के ही लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में सन 1935 से वकालत शुरू की और 1951 से उन्होंने उच्चतम न्यायालय में वकालत शुरू की। वकालत के दौरान ही उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद वकालत में उनकी श्रेष्ठता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के उत्कृष्ट वकीलों की टीम में स्थान दिया। 1947 से 1950 तक वे मद्रास प्रान्त की बार फेडरेशन के सचिव पद पर रहे। कानून की जानकारी और छात्र राजनीति में सक्रिय होने के कारण वे जल्द ही राजनीति में आ

गए। सन 1950 में उन्हें आजाद भारत की अस्थायी संसद के लिए चुना गया। उसके बाद 1952 से 1957 तक वे देश की पहली संसद के सदस्य रहे। वे सन 1953 से 1954 तक कांग्रेस पार्टी में सचिव पद पर भी रहे। रामास्वामी वेंकटरमण का विवाह 1938 ई. में जानकी देवी के साथ सम्पन्न हुआ। इनका पारिवारिक जीवन भरा–पूरा रहा है। इन्हें तीन पुत्रियों तथा एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इनकी तीन बेटियाँ क्रमशः पद्मा, लक्ष्मी एवं विजया हैं। लेकिन पुत्र के सम्बन्ध में वेंकटरमण को दुर्भाग्यशाली कहा जा सकता है। इनके पुत्र की 17 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। यह परिवार के लिए एक बड़ी त्रासदी थी और इस शोक से मुक्त हो पाना आसान नहीं था। वक्त के पंजे जो घाव देते हैं, वह वक्त के मरहम से ही भर जाते हैं। लेकिन कुछ जख्मों के निशान अमिट रहते हैं। पुत्र की मौत भी ऐसा ही जख्म था।

★ **व्यावसायिक जीवन :–** विधि व्यवसाय में स्वयं को स्थापित करने वाले रामास्वामी वेंकटरमण अप्रतिम प्रतिभा के धनी थे। इनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए हत्या के एक मुकदमें को उदाहरण स्वरूप पेश किया जा रहा है। वस्तुतः तमिलनाडु के युवा लड़कों के झुण्ड ने आवेश में आकर एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी। उन युवाओं को फाँसी की सज़ा सुनाई गई थी। सी. राजगोपालाचारी उनकी कम उम्र को आधार बनाकर फाँसी की सज़ा बख्शवाने के लिए अपील कर चुके थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। फाँसी की सज़ा का दिन भी निर्धारित कर दिया गया। लेकिन रामास्वामी वेंकटरमण ने ब्रिटिश वकील की सहायता से इंग्लैण्ड की पुनरीक्षण कौंसिल के समक्ष प्रार्थना पेश करने में सफलता प्राप्त कर ली। चूंकि मामला इंग्लैण्ड की प्रिवी कौंसिल के समक्ष विचाराधीन था, इस कारण भारत सरकार अपने विधिक आदेशों की पूर्ति नहीं कर सकती थी, लिहाज़ा सज़ा पर रोक लगा दी गई। उस समय सी. राजगोपालाचारी भारत के श्रेष्ठतम वकीलों में से एक थे और वह भी ऐसा नहीं कर पाये थे। तब सी. राजगोपालाचारी ने रामास्वामी वेंकटरमण की प्रशंसा की थी। इन्हें 1946 में भारत सरकार द्वारा वकीलों के उस पैनल में भी स्थान दिया गया, जो मलाया और सिंगापुर में सुभाष चन्द्र बोस एवं भारतीय स्वतंत्रता सैनानियों के बचाव हेतु नियुक्त किया गया था। इन स्वतंत्रता सैनानियों पर यह आरोप था कि उन्होंने दोनों स्थानों पर जापानियों की मदद की थी। इससे यह साबित हो जाता है कि वेंकटरमण काफ़ी प्रतिभाशाली थे।

★ **ग़रीबों के सहायक एवं मित्र :–** कुशल वकील होने के अतिरिक्त वह ट्रेड यूनियन में भी सक्रिय रूप से भाग लेते थे। तमिलनाडु में लोग इन्हें श्रम एवं क़ानून के दोहरे ज्ञाता के रूप में जानते हैं। वहाँ के लोगों का यह भी मानना था कि रामास्वामी वेंकटरमण ग़रीबों के सहायक एवं मित्र हैं। वह कई यूनियनों के साथ गहरे से जुड़े हुए थे। कृषि कार्य करने

वाले व्यक्तियों, रियासत के कर्मचारियों, बंदरगाह कर्मियों, रेलवे कर्मचारियों और कार्यशील पत्रकारों की यूनियन के साथ भी इनके आत्मीय सम्बन्ध थे।

★ **राजनैतिक सफर** :– स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् वकालत में उनकी श्रेष्ठता एवं ज्ञान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के उत्कृष्ट वकीलों की टीम में स्थान दिया. सन 1947 से 1950 तक वे 'महाराष्ट्र बार एसोसिएशन' के सचिव रहे. राजनीती में आते ही उन्हें 1950 में स्वतंत्र भारत की अस्थाई संसंद का सदस्य बनाया गया. 1951 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वकील बनकर कार्यभार संभाला. तत्पश्चात 1952 में जब देश की प्रथम संसद का गठन हुआ उस समय भी आर. वेंकटरमण जी को उसका सदस्य बनाया गया. 1957 तक वे इसके सदस्य रहे. 1953 से 54 तक उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। 1957 में जब लोकसभा चुनाव हुए, तो एक बार फिर से आर. वेंकटरमण जी को सांसद के रूप में चुना गया, किन्तु पद की लालसा न दिखाते हुए उन्होंने इस पद को त्याग दिया और मद्रास राज्य के मंत्रीपरिषद का पद ग्रहण किया. उस समय वहां के मुख्यमंत्री के कामराज ने उनकी राजनैतिक प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 1957 से 1967 तक आर. वेंकटरमण जी ने मद्रास राज्य में सहकारिता, वाणिज्यिक कर, श्रम, उद्योग, यातायात तथा ऊर्जा जैसे कार्यो को सफलतापूर्वक संभाला। 1967 में तमिलनाडु में सत्ता कांग्रेस के हाथों से चली गई. तत्पश्चात आर. वेंकटरमण जी दिल्ली आ गए और उन्हें योजना आयोग का सदस्य चुन लिया गया. इस दौरान वे उद्योगों, समाज, यातायात, अर्थव्यस्था से जुड़े कार्य संभालते थे. 1971 तक उन्होंने इस पद की गरिमा बढाई. 1980 में वे पुनः लोकसभा चुनाव जीते

और सांसद बन गए. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी जी ने वेंकटरमण जी को वित्त मंत्री बना दिया. 1982 से 1984 तक वेंकटरमण जी को रक्षा मंत्री का भार सौंपा गया. 22 अगस्त 1984 में उन्होंने उपराष्ट्रपति का कार्य संभाला. उसी दौरान वे राज्यसभा के अध्यक्ष भी रहे. 24 जुलाई 1987 को इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया और 25 जुलाई 1987 को आठवें राष्ट्रपति के रूप में शपत्र ली।

★ **स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ :–** वकालत के साथ साथ आर. वेंकटरमण भारत देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सेदार रहे, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक्टिव मेम्बर बने. वकालत के दौरान आर. वेंकटरमण ने 1942 में भारत की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गाँधी जी के साथ भारत छोड़ो आन्दोलन में हिस्सा लिया. अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरिफ्तार कर लिया और इन्हें दो वर्ष कारावास की सजा हो गई. 1944 में अपनी रिहाई के बाद वे फिर से अंग्रेजो के विरुद्ध आन्दोलनों से जुड़ गए. देश के प्रति उनका स्नेह अपार था. 1944 में ही उन्होंने तमिलनाडु कांग्रेस समिति में श्रमिक प्रभाव का गठन किया और प्रभारी के रूप में कार्य संभाला. थोड़े समय बाद ही वे "ट्रेड यूनियन लीडर" के रूप में स्थापित हो गए. श्रमिक एवं मजदूरों के लिए वे हमेशा कम करते थे. उनकी समस्याओं को दूर करना वेंकटरमण जी की पहली प्राथमिकता होती थी. वे आपसी बातचीत एवं तालमेल से समस्या दूर करते थे. कोई और विकल्प न होने पर ही वे कानून का सहारा लेते थे और मजदूरों के हित के लिए लड़ते थे. 1949 में उन्होंने 'श्रमिक कानून' पत्रिका शुरू की।

★ **स्वाधीनता संग्राम में सक्रियता :–** वेंकटरमण ने भारत की स्वतंत्रता के लिए विधिक रूप से योगदान दिया। लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के समय वह पूरी तरह से स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय हो गये। इन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ़्तार करके दो वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। 1944 में रिहाई के बाद यह सरकार के विविध मामलों में अधिक रुचि रखने लगे। इसी वर्ष कामराज के साथ मिलकर इन्होंने तमिलनाडु कांग्रेस समिति में श्रमिक प्रभाव की स्थापना की। इसके प्रभारी के तौर पर यह समिति के कार्यालय में कार्य करते रहे। शीघ्र ही वह सफल 'ट्रेड यूनियन लीडर' के रूप में स्थापित हो गए।

★ **'श्रम क़ानून' पत्रिका का आरंभ :–** रामास्वामी वेंकटरमण कर्मचारियों के हित में विविध लड़ाई भी लड़ते थे और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते थे। वह वार्तालाप एवं आपसी तालमेल से समस्याएँ निपटाते थे। लेकिन जब क़ानूनी मुकाबला करना ही कर्मचारी के हित में शेष रहता था तो यह क़ानूनी लड़ाई लड़ते थे। 1949 में इन्होंने 'श्रम क़ानून' पत्रिका का आरम्भ किया। इस पत्रिका को श्रम क़ानून पत्रकारिता में विशिष्ट पहचान प्राप्त हुई। यद्यपि अनेक पत्रकारों से मधुर सम्बन्ध थे, तथापि वह चाहते थे कि पत्रकारों को ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों की पूर्ति करनी चाहिए और पत्रकारिता के सिद्धान्तों को अपने कर्मक्षेत्र का अभिन्न अंग बनाना चाहिए।

★ **कांग्रेस संसदीय समिति में योगदान :–** रामास्वामी वेंकटरमण 1947 से 1950 तक 'मद्रास प्रोविंशल बार फ़ेडरेशन' के सचिव रहे। 1951 में इन्होंने अपना नामांकन उच्चतम न्यायालय में कराया। 1953–1954 में यह कांग्रेस संसदीय दल के सचिव भी रहे। इन्होंने प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी सम्बन्धी नीतियों का सदैव समर्थन किया और कांग्रेस संसदीय समिति में रहते हुए अपना विशिष्ट योगदान भी दिया। भारतीय संविधान में अभिव्यक्त नागरिक के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार (आर्टिकल–31) के निर्धारण में भी यह निमित्त बने और इनकी यशस्वी भूमिका रही। श्री टी.टी. कृष्णामाचारी यह चाहते थे कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र को विकास की दृष्टि से अलग–अलग रखना चाहिए। लेकिन रामास्वामी वेंकटरमण ने इस दृष्टिकोण का विरोध करते हुए पण्डित नेहरू को सहमत किया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए विकास की समान नीति होनी चाहिए। तब पण्डित नेहरू ने रामास्वामी वेंकटरमण का साथ दिया और संसद में पेश हो चुके विधेयक में आवश्यक संशोधन कराए। इनकी एक प्रशंसनीय उपलब्धि देश के कपड़ा मिलों को राष्ट्रीयकृत कराने को लेकर भी थी।

★ **सांसद और मंत्री पद :–** वेंकटरमण को पदों की लालसा कभी नहीं रही, यद्यपि 1957 के चुनावों में यह सांसद बन गये थे। इन्होंने लोकसभा की सदस्यता त्याग दी और मद्रास राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए। इस समय के. कामराज मद्रास के मुख्यमंत्री थे। कामराज ने इनकी

राजनीतिक प्रतिभा को निखारा, जब इन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में उद्योग, श्रम, परिवहन, सहकारिता, वाणिज्यिक कर तथा ऊर्जा सम्बन्धी मंत्रालय 1957 से 1967 तक सौंपे गए। 2 अक्टूबर, 1975 को कामराज की मृत्यु से पूर्व तक यह उनके सहायक मित्र बने रहे।

✯ **तमिलनाडु की औद्यागिक क्रान्ति के शिल्पकार :–** वेंकटरमण तमिलनाडु की औद्यागिक क्रान्ति के शिल्पकार माने जाते हैं। इन्होंने ही कामराज को प्रेरित किया था कि, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ताकि तमिलनाडु भारत की औद्योगिक हस्ती बन सके। यही कारण है कि इन्हें 'तमिलनाडु उद्योगों का जनक' कहा जाता है। उन्होंने ही लम्बी बस सेवाओं का आरम्भ तमिलनाडु में किया था। यदि वह तमिलनाडु की सरकार में नहीं होते तो केन्द्र में पण्डित नेहरू की सरकार में मंत्री होते।

✯ **सत्ता परिवर्तन के बाद :–**1967 में तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। तब श्री वेंकटरमण को दिल्ली में योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया, साथ ही उद्योग, श्रम, संचार एवं रेलवे, ऊर्जा तथा यातायात के विषय भी इनके हवाले किये गए। वह इन कार्यालयों में 1971 तक रहे। इस दौरान इन्हें लोकसभा से अलग रखा गया। ऐसे में वह ख़ाली समय में सी. राजगोपालाचारी द्वारा स्थापित 'स्वराज्य पत्रिका' का सम्पादन करते थे। 1977 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के आग्रह पर इन्होंने मद्रास से लोकसभा का चुनाव लड़ा और विजयी हुए। चूंकि यह कुशल वक्ता और संसदीय मामलों के अच्छे जानकार थे, अतः कांग्रेस के सत्ता में न रहने पर इन्होंने विपक्षी सांसद की भूमिका का निर्वहन भली–भाँति किया।

✯ **रक्षा मंत्री :–** 1980 में रामास्वामी वेंकटरमण पुनः लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुँचे। इन चुनावों से श्रीमती इन्दिरा गांधी की भी सत्ता में वापसी हुई। तब इन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल में स्थान प्रदान किया गया। वेंकटरमण 15 जनवरी, 1982 से 2 अगस्त, 1984 तक देश के रक्षा मंत्री रहे। इसके अतिरिक्त इन्हें 16 जनवरी, 1980 से 9 अगस्त, 1981 तक उद्योग मंत्रालय का कार्यभार भी सम्भालना पड़ा। इसी प्रकार 28 जून, 1982 से 2 सितम्बर, 1982 तक इन्होंने गृह मामलों के मंत्रालय का कार्यभार भी वहन किया।

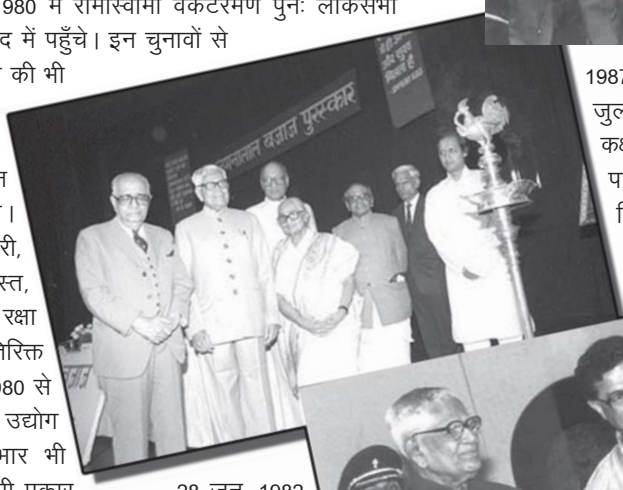

✯ **उपराष्ट्रपति :–** इसके पश्चात् कांग्रेस पार्टी द्वारा श्री रामास्वामी वेंकटरमण को देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त करने का निर्णय किया गया। 22 अगस्त, 1984 को इन्होंने उपराष्ट्रपति का पदभार सम्भाल लिया। साथ ही उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा के सभापति भी बने। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इनके कार्य की सराहना मात्र कांग्रेस द्वारा ही नहीं बल्कि विपक्ष द्वारा भी की गई।

राष्ट्रपति पद पर :– उपराष्ट्रपति बनने के लगभग 25 माह बाद कांग्रेस को देश का राष्ट्रपति निर्वाचित करना था। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल समाप्त होने वाला था। इसी के तहत 15 जुलाई, 1987 को वह भारतीय गणराज्य के आठवें निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किये गए। 24 जुलाई, 1987 को इन्होंने उपराष्ट्रपति से त्यागपत्र दे दिया। 25 जुलाई, 1987 को मध्याह्न 12:15 पर संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आर.एस. पाठक ने इन्हें राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस समय श्री वेंकटरमण ने सफ़ेद चूड़ीदार पाजामा और काली शेरवानी धारण कर रखी थी। इन्होंने अंग्रेज़ी भाषा में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण करने के तुरन्त बाद श्री वेंकटरमण ने कहा–"मैं इस उच्चतम कार्यालय के कर्तव्यों की पूर्ति में कोई त्रुटि नहीं करूंगा और न ही संविधान निर्माताओं द्वारा प्रदत्त राष्ट्रपति की शक्तियों का दुरुपयोग करूंगा। पूर्व राष्ट्रपतियों, यथा–डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने जो चमकदार परम्परा स्थापित की है, मैं उसका निर्वहन करूंगा।" जब इनसे सूचना तंत्र के व्यक्ति ने पूछा कि आप राष्ट्रपति के रूप में किस प्रकार कार्य करने वाले हैं, तो इन्होंने बेहद सन्तुलित जवाब दिया–"यह जनता ही तय करेगी कि मेरा कार्यकाल कैसा रहा।"

राष्ट्रपति के रूप में श्री वेंकटरमण के सामने कई प्रकार की कठिनाइयाँ आईं, लेकिन वह राजनीतिक तूफ़ानों से देश को सुरक्षित

निकालने में सफल रहे। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार अल्पमत में आई और उसका पतन हुआ। मई–जून 1991 में राजीव गांधी की हत्या के समय भी देश चुनौतियों से घिरा हुआ था। लेकिन इन्हें जनता पर पूर्ण विश्वास था कि वह कठिनाइयों में भी बुद्धिमानी और राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देगी।

✯ **राष्ट्रपति कार्यकाल :–** रामास्वामी वेंकटरमण के राष्ट्रपति काल के पाँच वर्षों (25 जुलाई, 1987 से 25 जुलाई 1992 तक) में यह साबित हुआ कि उन परिस्थितियों में उनसे बेहतर कोई अन्य राष्ट्रपति नहीं हो सकता था। यदि उनके जीवन की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों पर दृष्टिपात किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री वेंकटरमण ने प्रत्येक ज़िम्मेदारी का निष्ठा से निर्वहन किया और कभी भी अति महत्त्वकांक्षा अथवा पद की लालसा नहीं दिखाई। उपराष्ट्रपति रहते हुए भी इन्होंने कई ज़िम्मेदारियों का पालन किया।

✯ **विदेश यात्रा :–** श्री वेंकटरमण ने अपने कार्यकाल के दौरान कई देशों की सद्भावना यात्रा की। मई 1992 में यह छह दिवसीय चीन यात्रा पर गए। इसके पूर्व कोई भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष चीन नहीं गया था।

✯ **राष्ट्रपति पद के बाद :–** राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद श्री वेंकटरमण अपने परिवार के सदस्यों के साथ 'इण्डियन एयरफ़ोर्स' के विशेष विमान से तमिलनाडु रवाना हो गए। बाद में इन्होंने एक पुस्तक 'माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स' शीर्षक से लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने अपने राष्ट्रपतित्व काल के पाँच वर्ष की घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक 671 पृष्ठों की थी। इसके बाद इन्होंने श्रम क़ानून पर भी उपयोगी लेखन कार्य किया। वेंकटरमण अंतर्राष्ट्रीय समझ एवं सद्भाव हेतु दिये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 'जवाहरलाल नेहरू अवार्ड' की ज्यूरी के सदस्य भी रहे। विकास, शान्ति एवं निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में दिये जाने वाले 'इंदिरा गांधी पुरस्कार' की चयन समिति में भी थे। वह 'जवाहरलाल स्मृति कोष' के उपाध्यक्ष और 'इंदिरा गांधी स्मृति कोष' के न्यासी भी रहे। यह गांधीनगर खरवा इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय रूरल इंस्टीट्यूट तथा दिल्ली विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे।

✯ **सम्मान और उपलब्धियाँ :–** वेंकटरमण को मद्रास यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट ऑफ़ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया है और साथ ही नागार्जुन यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें डॉक्टरेट ऑफ़ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया था। मद्रास मेडिकल कॉलेज के वे भूतपूर्व सम्माननीय सदस्य है और यूनिवर्सिटी ऑफ़ रूरकी में वे सामाजिक विज्ञान के डॉक्टर भी थे। इसके बाद बुर्द्वान यूनिवर्सिटी में उन्हें डॉक्टर ऑफ़ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की वजह से उन्हें ताम्र पत्र से भी सम्मानित किया गया था। UN एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में प्रेसिडेंट के रूप में काम करने की वजह से यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने उन्हें यादगार पुरस्कारों से सम्मानित भी किया था। कांचीपुरम के शंकराचार्य ने उन्हें "सत सेवा रत्न" के नाम का शीर्षक भी दिया था। वे कांची के परमाचार्य के भक्त थे।

✯ **बीमारी और मृत्यु :–** 12 जनवरी 2009 को वेंकटरमण को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में उरोसेप्सिस की वजह से भर्ती किया गया था। 20 जनवरी को उनकी अवस्था और भी ज्यादा गंभीर होने लगी थी, इसकी वजन उनके शरीर में ब्लड प्रेशर की कमी होना था। और अंततः 27 जनवरी 2009 को दोपहर 2:30 बजे नयी दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में ऑर्गन फेलियर की वजह से 98 साल की आयु में उनका देहांत हो गया। गणतंत्र दिवस के दुसरे दिन उनकी मृत्यु हुई थी और इसी वजह से भारत के राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में कुछ कार्यक्रमों को रद्द भी कर दिया था। अंत में पुरे सम्मान के साथ राज घाट के पास एकता स्थल में पुरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

'राष्ट्र रत्नम' की उपाधि प्राप्त व्यक्तित्व के धनी डॉ. शंकर दयाल शर्मा

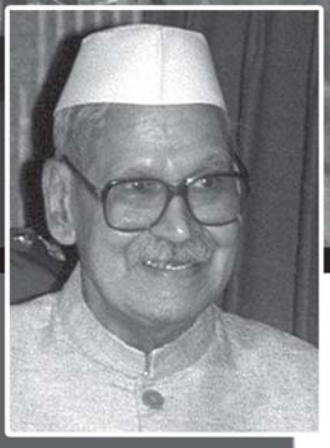

डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वतंत्र भारत के नौंवे राष्ट्रपति थे। वे एक गंभीर, संजीदा और प्रतिबद्ध व्यक्तित्व के इंसान थे और अपने कामों को पूरी लगन एवं समय पर पूरा करते थे। श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने उनको "राष्ट्र रत्नम" उपाधि प्रदान की थी। शंकरदयाल शर्मा बहुज्ञ थे। साहित्य, कला और विज्ञान में उनकी समान रुचि थी। अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने विभिन्न खेलों में भी बढ़कर भाग लिया था। शंकरदयाल शर्मा ने कई ग्रन्थों की रचना की, और कुछ पत्रिकाओं के सम्पादक भी रहे हैं। अपने राजनीतिक जीवन में वे आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर रहे थे। इंटरनेशनल बार असोसिएसन ने कानून की पढाई और उसमें योगदान के लिए उन्हें 'द लिविंग लीजेंड्स ऑफ़ लॉ' के अवार्ड से सम्मानित किया था। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। राष्ट्रपति बनने से पूर्व आप भारत के आठवे उपराष्ट्रपति भी थे, आप भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री (1952–1956) रहे तथा मध्यप्रदेश राज्य में कैबिनेट स्तर के मंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा, विधि, सार्वजनिक निर्माण कार्य, उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय का कामकाज संभाला था। केंद्र सरकार में वे संचार मंत्री के रूप में (1974–1977) पदभार संभाला। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष (1972–1974) भी रहे।

★ **शिक्षा तथा प्रारम्भिक जीवन :–** डॉ. शकंरदयाल शर्मा प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा से लेकर राजनीति में जो भी मुकाम हासिल किया अपनी मेहनत से। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी, आगरा कॉलेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की। फिट्ज़विलियम कॉलेज, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। उन्हें लखनऊ विश्विद्यालय से समाज सेवा के लिए चक्रवर्ती स्वर्ण पदक भी दिया गया। उन्हों ने लखनऊ विश्वविद्यालय तथा कैंब्रिज में कानून का अध्यापन कार्य भी किया। डॉक्टर शर्मा ने सेंट जान्स कॉलेज आगरा, आगरा कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, फित्ज़विल्यम कॉलेज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लिंकोन इन् तथा हारवर्ड ला स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत साहित्य में एम.ए. की डिग्री विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान के साथ प्राप्त की, आपने एल.एल.एम. की डिग्री भी लखनऊ विश्व विद्यालय से प्रथम स्थान के साथ प्राप्त की थी, विधि में पी.एच.डी. की डिग्री कैम्ब्रिज से प्राप्त की, आपको लखनऊ विश्विद्यालय से समाज सेवा में चक्रवर्ती स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्विद्यालय तथा कैम्ब्रिज में विधि का अध्यापन कार्य भी किया, कैम्ब्रिज में रहते समय आप टैगोर सोसायटी तथा कैम्ब्रिज मजलिस के कोषाध्यक्ष रहे, आपने लिंकोन इन से बैरिस्टर एट ला की डिग्री ली, आपको वहां पर मानद बेंचर तथा मास्टर चुना गया था, आप फित्ज़विल्यम कॉलेज के मानद फैलो रहे। कैम्ब्रिज विश्व विद्यालय ने आपको मानद डॉक्टर ऑफ़ ला की डिग्री दे कर सम्मानित किया। आपका विवाह विमला शर्मा के साथ हुआ था। 7 मई 1950 में श्री शंकरदयाल शर्मा का विवाह 'विमला शर्मा' के साथ सम्पन्न हुआ। इनका विवाह जयपुर में सम्पन्न हुआ था। शर्मा दम्पति को दो पुत्र एवं दो पुत्रियों की प्राप्ति हुई। विवाह के बाद विमला शर्मा समाज सेवा के कार्यों

में व्यस्त रहती थीं। 1985 में वह उदयपुरा क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा की विधायिका चुनी गईं। इस सीट से यह प्रथम महिला विधायिका निर्वाचित हुई थीं।

☆ **राजनैतिक शुरूआत :–** 1940 के दशक में वे भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में शामिल हो गए, इस हेतु उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली, 1952 में भोपाल के मुख्यमंत्री बन गए, इस पद पर 1956 तक रहे जब भोपाल का विलय अन्य राज्यों में कर मध्यप्रदेश की रचना हुई। डॉ शंकर दयाल जी के राजनैतिक सफ़र की शुरुवात 1940 में तब हुई, जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. ये वो पार्टी थी, जिसके अंदर रह कर उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत सारी लड़ाईयां लड़ी, बहुत से आन्दोलन में हिस्सा लिया. इसके साथ ही कई चुनाव लढ़े और जीत हासिल कर उच्च पद में विराजमान रहे. वे अपने जीवन के अंत तक इस पार्टी के प्रति बहुत ईमानदार रहे, उन्होंने इसका साथ कभी नहीं छोड़ा. 1942 में महात्मा गाँधी द्वारा चले गए "भारत छोड़ो आन्दोलन" में डॉ शंकर दयाल जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी. भारत की आजादी के बाद शंकर दयाल जी ने भोपाल के नवाब से एक अलग इकाई के रूप में भोपाल रियासत बनाने की अपनी इच्छा प्रकट की. वे चाहते से भोपाल में नबाब का शासन अब खत्म हो जाये. शर्मा जी ने दिसंबर 1948 में नवाब के खिलाफ जनता आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें गिरिफ्तार भी किया गया था. 23 जनवरी 1949 को शर्मा जी को, सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए, आठ महीने की कैद की सजा सुनाई गई। जनता के दबाब के चलते 30 अप्रैल 1949 को नबाब लोगों ने भारतीय संघ में विलय के लिए, समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। 1950 से 1952 तक डॉ शंकर जी भोपाल कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष बन गए. तत्पश्चात 1952 में ही कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए, वे भोपाल के मुख्यमंत्री बन गए एवं 1956 तक इस पद पर रहे. 1956 से 1971 तक डॉ शंकर जी मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे. इन सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर डॉ शंकर दयाल जी ने इंदिरा गाँधी का बहुत सहयोग किया. 1959 में जब करांची में प्राइमरी व सेकेंडरी शिक्षा के लिए यूनेस्को (UNESCO) की बैठक हुई, तब डॉ शंकर दयाल जी ने ही भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था।

जब इंदिरा गाँधी जी की सरकार आई, तब 1974 से 1977 तक वे कबिनेट में संचार मंत्री रहे. डॉ शंकर दयाल जी 2 बार 1971 एवं 1980 में लोकसभा सीट के लिए भोपाल से खड़े हुए, दोनों ही बार इन्हें सफलता प्राप्त हुई. इस तरह वे दिल्ली संसद पहुँच गए. इसके बाद वे सबसे पहले 1984 में आंध्रप्रदेश के राज्यपाल बन गए। इसी दौरान दिल्ली में रह रहे, उनकी बेटी गीतांजलि और दामाद ललित मेकन, जो की एक राजनेता थे, उन्हें सिख उग्रवादियों ने मार डाला. इसके बाद शंकर जी से आंधप्रदेश से राज्यपाल पद को छोड़ दिया, और 1985 पंजाब के राज्यपाल बन गए. इस समय भारत सरकार और सिख उग्रवादियों के बीच हिंसा छिड़ी हुई थी। आखिर में 1986 में डॉ शंकर दयाल जी महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। वे 1987 में तब तक वहां के राज्यपाल रहे, जब तक उन्हें देश का उपराष्ट्रपति नहीं बना दिया गया. 1987 में उपराष्ट्रपति के साथ साथ, डॉ शंकर जी राज्यसभा के अध्यक्ष भी रहे। उपराष्ट्रपति पद पर वे 5 साल तक विराजमान रहे, इसके बाद 1992 में जब आर. वेंकटरमण का कार्यकाल समाप्त हुआ, तब डॉ शंकर दयाल जी को राष्ट्रपति पद से नवाजा गया। 1992–97 तक शंकर दयाल जी राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे। इंदिरा कैबिनेट में वे संचार मंत्री (1974–1977) रहे, 1971 तथा 1980 में उन्होंने भोपाल से लोक सभा की सीट जीती, इसके बाद उन्होंने कई भूष्नात्मक पदों पर कार्य किया, 1984 से वे राज्यपाल के रूप में आंध्रप्रदेश में नियुक्ति के दौरान दिल्ली में उनकी पुत्री गीतांजली तथा दामाद ललित माकन की हत्या सिख चरमपंथियों ने कर दी, 1985 से 1986 तक वे पंजाब के राज्यपाल रहे, अन्तिम राज्यपाल दायित्व उन्होंने 1986 से 1987 तक महाराष्ट्र में निभाया। इसके बाद उन्हें उप राष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति के रूप में चुन लिया गया गया इस पद पर वे 1992 में राष्ट्रपति बनने तक रहे। शर्मा संसदीय मानको का सख्ती से पालन करते थे, राज्य सभा में एक मौके पर वे इसलिए रो पड़े थे कि क्योंकि राज्य सभा के सदस्यों ने एक राजनैतिक मुद्दे पर सदन को जाम कर दिया था। राष्ट्रपति चुनाव उन्होंने जार्ज स्वेल को हरा के जीता था इसमे उन्हें 66 प्रतिश मत मिले थे। अपने अन्तिम कार्य वर्ष में उन्होंने तीन प्रधानमंत्रियो को शपथ दिलाई।

कुछ सालों पहले मार्केट में आई एक पुस्तक में इस बात का

उल्लेख किया गया है कि जब बाबरी मस्जिद ढांचा ढहाने के लिए कार सेवकों ने चढ़ाई कर दी थी, उस समय मदद के लिए समाजसेवियों और मुस्लिम नेताओं ने प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन किया तो वहां से कोई राहत नहीं मिल पाई थी। तत्काल यह लोग राहत के लिए राष्ट्रपति डॉ. शर्मा के पास पहुंच गए, लेकिन उनसे मिलने वाले लोग यह देखकर हैरान थे कि उनके सामने देश का राष्ट्रपति फूट–फूटकर रो रहा है। वे सभी लोग बाबरी ढांचे के मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करने आए थे। इस पर डा. शर्मा ने उन्हें एक पत्र दिखाया, जो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को लिखा था। डा. शर्मा ने पत्र में नरसिम्हा राव से कहा था कि उत्तरप्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर सुरक्षा व्यवस्था को केंद्र सरकार अपने हाथों में ले। फिर शर्मा ने आसपास मौजूद लोगों से कहा कि मैं भी प्रधानमंत्री राव तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। डॉ शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक सभी प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालयों में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार वर्ष 1994 में गठित किया गया था, डॉ शंकर दयाल शर्मा से प्राप्त निधि से। इस पदक के एक स्नातक छात्र चरित्र, आचरण और उत्कृष्टता अकादमिक प्रदर्शन में, पाठ्येतर गतिविधियों और सामाजिक सेवा सहित सामान्य प्रवीणता के मामले में सबसे अच्छा होना करने के लिए घोषित करने के लिए सम्मानित किया है। शहडोल जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा की 17वीं पुण्य तिथि मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नीरज द्विवेदी एड. ने किया। सर्वप्रथम उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉ. शर्मा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर अपने–अपने विचार प्रकट किये। अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष नीरज द्विवेदी ने कहा कि डॉ. शर्मा प्रखर वक्ता समाजसेवी एवं देश के महान नेताओं में से एक माने जाते हैं। बैठक का संचालन सत्य नारायण साहू ने किया। आभार प्रदर्शन सुरेश कुंडे ने किया। बैठक में मुख्य रूप से रामसिरोमणी मिश्रा, गुलसेर, जयश्री, मोहित सोनी, अखिल पटेल आदि मौजूद रहे।

★ **मंत्री पद :–** स्वतंत्रता संग्राम में और भोपाल रियासत के विलय के आन्दोलन में आपने सक्रिय भाग लिया और जेल की यातनाएँ सहीं। देश के स्वतंत्र होने पर शंकरदयाल शर्मा 1952 से 1956 तक भोपाल राज्यसभा के सदस्य चुने गए और प्रथम मुख्यमंत्री बने। राज्यों के पुनर्गठन के बाद कुछ समय तक वहाँ मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में उन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण विभागों का कार्यभार सम्भाला। 1956 आप लोकसभा के सदस्य चुने गए और केन्द्र सरकार में संचार मंत्री बने। 1971 में वे पाँचवीं लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हुए।

★ **कांग्रेस से लगाव :–** कांग्रेस संगठन से आपका निकट का सम्पर्क रहा है। 1950–1952 में 'भोपाल कांग्रेस कमेटी' की और फिर 1967–1968 में 'मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी' की आपने अध्यक्षता की। 1967 से आप 'अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी' और 'कांग्रेस कार्य समिति' के सदस्य रहे हैं। 1968 से 1972 तक आप कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे और 1972–1974 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

★ **राष्ट्रपति पद चुनाव :–** 1992 तक शर्मा ने देश का उपराष्ट्रपति बने रहते हुए सेवा की थी, जब वे राष्ट्रपति के लिए चुने गये थे तब चुनावी कॉलेज से उन्हें कुल 66 वोट मिले थे, उन्होंने जॉर्ज गिल्बर्ट स्वेल्ल को पराजित किया था।

★ **डॉ. शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मैडल :–** डॉ. शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मैडल सभी प्रतिष्ठित भारतीय यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुवात 1994 में डॉ. शंकर दयाल शर्मा से मिली हुई अक्षय निधि से की गयी थी। यह मैडल उस ग्रेजुएट विद्यार्थियों को दिया जाता है, जिन्होंने पुरे साल अच्छी महेनत की और जिनका चरित्र, स्वाभाव और वार्षिक प्रदर्शन सर्वोत्तम रहा हो।

★ **अवार्ड सम्मान** :– सृन्गेरीके शंकराचार्य ने डॉ शंकर दयाल शर्मा को "राष्ट्र रत्नम" उपाधि दी थी। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, ने कानून की पढाई और उसमें योगदान के लिए डॉ शंकर दयाल को 'दी लिविंग लीजेंड ऑफ़ लॉ' के अवार्ड से सम्मानित किया था। इसके अलावा डॉ शंकर को देश के कई बड़े कॉलेज के द्वारा डोक्टरेट की उपाधि दी गई है, इसके साथ ही उन्हें गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया है।

★ **बीमारी तथा मृत्यु** :– डॉ शंकर दयाल शर्मा का देहांत 26 दिसंबर, 1999 को 81 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी पेशे के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। डॉ. शंकर दयाल शर्मा एक बहुत गंभीर व्यक्तित्व वाले इंसान थे। वह अपने काम के प्रति बेहद संजीदा और प्रतिबद्ध रहा करते थे. इसके अलावा वह संसद के नियम कानून का सख्ती से पालन करते और उनका सम्मान करते थे. उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार राज्य सभा में एक मौके पर वे इसलिए रो पड़े थे कि क्योंकि राज्य सभा के सदस्यों ने किसी राजनैतिक मुद्दे पर सदन को जाम कर दिया था।

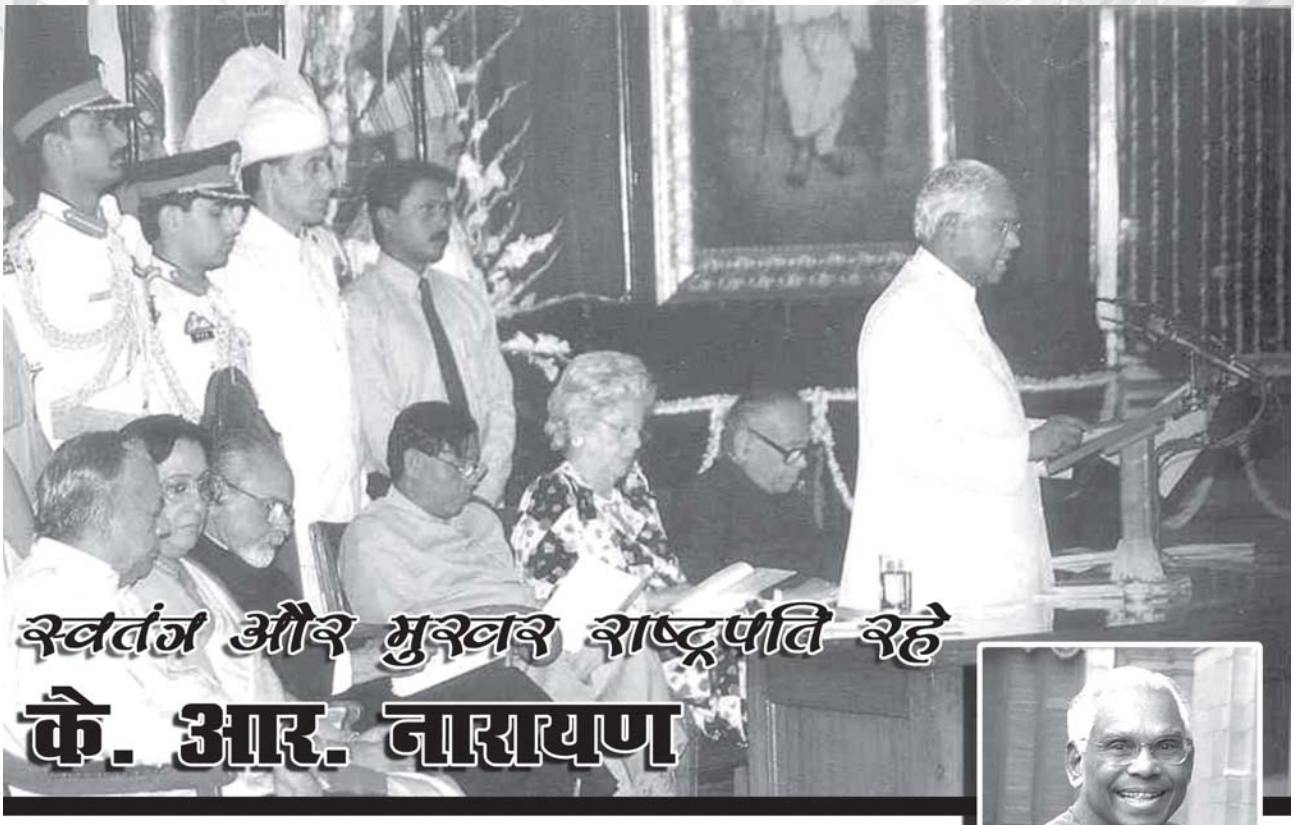

स्वतंत्र और मुखर राष्ट्रपति रहे के. आर. नारायण

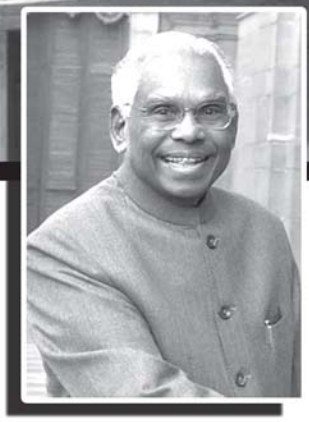

कोचेरिल रमण नारायण भारत के दसवे राष्ट्रपति थे। 1992 में उनकी नियुक्ती देश के नौवे उपराष्ट्रपति के रूप में की गयी, फिर 1997 में नारायण देश के राष्ट्रपति बने थे। दलित समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाले वे पहले और एकमात्र राजनेता थे। नारायण एक स्वतंत्र और मुखर राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध थे, जिन्होंने अपने कार्यो की बहुत सी मिसाल स्थापित कर रखी थी। वे खुद को "कार्यकारी राष्ट्रपति" बताते थे जो "संविधान के चारो कोनो में काम करते थे", उन्होंने "कार्यकारी राष्ट्रपति" जिनके पास पूरी ताकत होती है और "रबर स्टैम्प राष्ट्रपति" जो बिना की प्रश्न और विरोध के सरकार के निर्णयों का समर्थन करते थे, इन दोनों के बीच का रास्ता चुना। वे अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति के रूप में करते थे, अपने निर्णयों से उन्होंने देश के राजनीतिक इतिहास में बहुत सी मिसाले कायम की है।

के. आर. नारायण का जन्म उज्हवूर के पेरुमथानम में एक छोटी सी फूस की झोपडी में कोचेरिल रमण विद्यार के सात बच्चो में से चौथे बच्चे के रूप में हुआ था, वे सिद्धा और आयुर्वेद की पारंपरिक भारतीय औषधि प्रणाली के व्यवसायी थे। उनका परिवार काफी गरीब था, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में उनके पिता कुशाग्र बुद्धि के होने की वजह से उनका बहुत सम्मान किया जाता था। 4 फरवरी 1921 में उनका जन्म हुआ था लेकिन उनके अंकल को उनके वास्तविक जन्मतिथि के बारे में नही पता और इसीलिए मनमाने ढंग से उनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 को ही माना गया, नारायण ने भी इसी जन्म तारीख को अधिकारिक रखने का निर्णय लिया था। के आर नारायण के पिता ने भारतीय पद्धति की चिकित्सा सिद्धा व आयुर्वेद का गहराई से अध्यन किया था, उन्हें इसकी अच्छी समझ थी, जिसकी वजह से सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। K-R- Narayanan सात भाई–बहन थे और वे चोथे नंबर के थे। इनकी एक बड़ी बहन गौरी होमियोपैथी डॉक्टर थी। गरीब होने के बावजूद इनके पिता ने शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी। के.आर. नारायण की प्रारंभिक शिक्षा 1927 में उझावूर के अवर प्राथमिक विद्यालय में हुई थी. उस समय आने जाने का उचित साधन नहीं होता था, जिस वजह से शिक्षा के लिए उन्हें रोज 15 km पैदल जाना पड़ता था. के आर नारायण जी के पिता के पास इतनी राशि भी नहीं होती थी कि वे अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला के लिए शिक्षा शुल्क दे सके, जिस वजह से बालक नारायण को हमेशा अपनी क्लास के बाहर खड़े हो कर ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। के आर नारायण जी के पास किताबें खरदीने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, वे अपने दोस्तों से किताबें ले कर नक़ल कर लेते थे। 1931–1935 तक, के आर नारायण ने आवर लेडी ऑफ़ लौरदे स्कूल से शिक्षा प्राप्त की. सन 1937 में के आर नारायण जी ने सेंट मेर्री हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कॉलरशिप की मदद से के आर नारायण जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कोट्टायम के सी, एम. एस. स्कूल से 1940 में पूरी की। 1943 में उन्होंने B-A एवं M-A English literature में त्रावणकोर विश्वविद्यालय से किया। वे पहले ऐसे दलित हे जिन्होंने फर्स्ट क्लास में अपनी डिग्री पूरी की।

1944–45 में Narayanan जी ने the Hindu and the times of india में पत्रकार के रूप में कार्य किया। इस दौरान 10 अप्रैल 1945 में उन्होंने गांधीजी का interview भी लिया था। K-R-Narayanan जी को हमेशा से विदेश जा कर पढाई करने का मन था किन्तु उनकी आर्थिक स्थिति उसकी इजाजत नहीं देती थी।

Scholarship का भी उस समय प्रावधान नहीं था, सो Narayanan जी ने JRD tata को एक चिठ्ठी लिख कर मदद मांगी। Tata ने उनकी मदद की और वे political science की शिक्षा के लिए london school of iconomics चले गए। 1948 में वे भारत लौट आए और उनके प्रोफेसर Laski ने उन्हें नेहरूजी से मिलवाया। नेहरूजी ने उन्हें IF की रवइ दिलवाई फिर K-R- Narayanan जी 1949 में Burma चले गए। इस दौरान 1954 में Delhi school of economics में उन्होंने बच्चों को शिक्षा भी दी। 1978 में IF के रूप में जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ उसके बाद वे 1979 से 80 तक जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में उपकुलपति रहे। इसके बाद 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने Indian ambassador america के लिए 1980 से 84 तक बना दिया।

★ **व्यावसायिक जीवन :–** श्री नारायन 1948 में जब भारत लौटे तो उनके पास लास्की का एक पत्र था, जिसके माध्यम से पण्डित नेहरू से परिचयात्मक मुलाकात सम्भव थी। इस सन्दर्भ में उन्होंने एक दिलचस्प क़िस्सा बयान किया– 'जब मैंने एल. एस. ई. का कोर्स समाप्त कर लिया तो लस्की ने मुझे पण्डित नेहरू के नाम का एक परिचयात्मक पत्र प्रदान किया। दिल्ली पहुँचने के बाद मैंने प्रधानमंत्री नेहरू से मुलाकात का समय ले लिया। मैंने सोचा था कि मैं एक भारतीय विद्यार्थी हूँ और लंदन से लौटा हूँ, इस कारण मुझे मुलाकात का समय मिल सकता है। पण्डित नेहरू ने संसद भवन में मुझसे मुलाकात की। हमने कुछ देर लंदन की बातें कीं और कुछ औपचारिक बातें भी कीं। उसके बाद मैंने आभास कर लिया कि मुलाकात का समय समाप्त हो गया है। अतः उन्हें अलविदा कहा और कमरे से बाहर जाने के पूर्व लास्की का पत्र पण्डित नेहरू को सौंप दिया। मैं बाहर घुमावदार आधे गलियारे तक ही पहुँच पाया था कि मुझे लगा कि मैं जिस दिशा से आया हूँ, उधर कोई ताली बजा रहा है। मैंने घूमकर देखा तो पण्डित नेहरू ने मुझे वापस आने का इशारा किया। दरअसल मेरे जाने के बाद पण्डित नेहरू ने वह पत्र खोलकर पढ़ लिया था।

"तुमने यह पत्र पहले मुझे क्यों नहीं दिया?" पण्डित जी ने

पूछा। "मैं क्षमा चाहता हूँ श्रीमान! मुझे बेहतर लगा कि मैं विदाई के समय ही आपको पत्र सौंपूँ।" फिर पण्डित नेहरू ने मुझसे कई सवाल किए। कुछ दिनों के बाद मैंने स्वयं को 'भारतीय विदेश सेवा' में पाया।' इस प्रकार 1949 में श्री नारायणन ने भारतीय विदेश सेवा में नेहरू जी की प्रार्थना पर नियुक्ति प्राप्त कर ली। एक राजनयिक के रूप में वह रंगून (अब यांगून), टोकियो, लंदन, कैनसास और हेनोई दूतावास में रहे। 1967–69 में यह थाइलैण्ड के, 1973–75 में तुर्की के और 1976–78 में चीन गणराज्य के राजदूत बने। 1954 में इन्होंने 'दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनामिक्स' में अध्ययन भी किया।

★ **दाम्पत्य जीवन :–** 8 जून, 1951 को श्री नारायणन ने 'मा टिंट टिंट' से विवाह किया। जब यह रंगून और बर्मा (म्यांमार) में कार्यरत थे, तब इनकी भेंट कुमारी मा टिंट टिंट से हुई थी। यह मित्रता शीघ्र ही प्रेम में बदल गई और दोनों ने विवाह करने का निर्णय कर लिया। तब मा टिंट टिंट वाई. डब्ल्यू. सी. ए. में कार्यरत थीं और नारायणन विद्यार्थी थे। लास्की ने नारायणन से कहा कि वह राजनीतिक आज़ादी के सम्बन्ध में व्याख्यान दें। तभी मा टिंट टिंट इनके सम्पर्क में आई थीं। इनके विवाह को तब विशिष्ट विधान की आवश्यकता पण्डित नेहरू से आशयित थी, क्योंकि भारतीय क़ानून के अनुसार नारायणन 'भारतीय विदेश सेवा' में कार्यरत थे और मा टिंट टिंट एक विदेशी महिला थीं। शादी के बाद मा टिंट टिंट का भारतीय नाम उषा रखा गया और वह भारतीय नागरिक भी बन गईं। श्रीमती उषा नारायणन ने भारत में महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए कई कार्य किए। इन्होंने बर्मा की लघु कथाओं का अनुवाद करके प्रकाशित करवाया, जिसका शीर्षक था, 'थेइन पे मिंट'।

इन्हें चित्रा और अमृता के रूप में दो पुत्रियों की प्राप्ति हुई चित्रा भारतीय राजदूत के रूप में स्वीडन और तुर्की में अपनी सेवाएँ दे चुकी हैं।

इंदिरा गांधी की प्रार्थना पर ही नारायण ने राजनीती में प्रवेश किया था और 1984, 1989 और 1991 में केरल के पलक्कड़ की ओट्टापलम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए कांग्रेस की सीट से लगातार तीन जनरल चुनाव जीते। साथ ही वे राजीव गाँधी की यूनियन कैबिनेट में राज्य के मिनिस्टर भी थे, जिन्होंने योजना (1985), एक्सटर्नल अफेयर (1985–86) और विज्ञान और तंत्रज्ञान (1986–89) जैसे विभाग में उन्होंने काम किया था। संसद के सदस्य के रूप में , भारत में पेटेंट कण्ट्रोल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का उन्होंने विरोध किया था। लेकिन फिर 1991 में जब कांग्रेस के हाथो में ताकत आयी थी तब नारायण को कैबिनेट में शामिल नही किया गया। केरल के कांग्रेस मुख्यमंत्री के. करुणाकरण उनके राजनीतिक सलाहकार ने उन्हें मिनिस्टर ना बनाने की वजह को बताते हुए उन्होंने नारायण को "कम्युनिस्ट साथी यात्री" बताया। इसके बाद 21 अगस्त 1992 को शंकर दयाल शर्मा के राष्ट्रपति काल में उनकी नियुक्ती भारत के उप–राष्ट्रपति के रूप में की गयी। उनके नाम की सिफारिश भूतपूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल ले लीडर वी.पी. सिंह ने की थी। बाद में पी.वी. नरसिम्हा राव की सहायता से बिना किसी विरोध के उन्हें चुना गया था। लेकिन फिर बाद में नारायण और नरसिम्हा राव के रिश्तो की बाद करते हुए यह पता चला की उनमे कोई कम्युनिस्ट अंतर नही बल्कि वैचारिक अंतर था, लेकिन फिर भी नरसिम्हा उन्हें उपराष्ट्रपति बनने के लिए सहायता रहे, और बाद में राष्ट्रपति पद के लिए भी नरसिम्हा ने नारायण की काफी सहायता की थी। नरसिम्हा की सहायता से नारायण को काफी फायदा हुआ था, और बाद में सभी राजनेताओ ने उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें स्वीकारा था।

नारायण जब प्रेसिडेंट बने उस समय इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण 19 मार्च, 1998 को उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। इन परिस्थितियों को उन्होंने बड़े ही सहजता से हैंडल किया। चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। राष्ट्रपति रहने के दौरान उन्होंने कभी भी आंख मूंदकर किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किया। एक बार केंद्र सरकार ने उनके पास उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा का प्रस्ताव सरकार के पास फिर से विचार के लिए रिटर्न कर दिया। ऐसा करने वाले वे पहले प्रेसिडेंट थे। राष्ट्रपति रहने के दौरान आम चुनाव में अपनी पत्नी के साथ लाइन में खड़े होकर मतदान किया और ऐसा करने वाले वे पहले राष्ट्रपति थे। नौकरशाही से मंत्री और फिर उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के पद पर रहने के दौरान उन्होंने मानवीय मूल्यों को हमेशा बनाए रखा। आदिवासी, अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर लोगों की आवाज उठाने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद वे अपनी पत्नी उषा नारायणन के साथ दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर रहने लगे थे।

राष्ट्रपति नियुक्त होने के बाद नारायणन ने एक नीति अथवा सिद्धान्त बना लिया था कि वह किसी भी पूजा स्थान या इबादतगाह पर नहीं जाएँगे–चाहे वह देवता का हो या देवी का। यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल में किसी भी पूजा स्थल का दौरा नहीं किया। राष्ट्रपति के रूप में जब श्री नारायणन की पदावधि के अवसान का समय निकट आया तो विभिन्न जनसमुदायों की राय थी कि इन्हें दूसरे सत्र के लिए भी राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। इस समय एन. डी. ए. के पास अपर्याप्त बहुमत था। लेकिन नारायणन ने स्पष्ट कर दिया कि वह सर्वसम्मति के आधार पर ही पुनः राष्ट्रपति बनना स्वीकार करेंगे। उस समय की विपक्षी पार्टियों– कांग्रेस, जनता दल, वाम मोर्चा तथा अन्य ने भी इनको दूसरी बार राष्ट्रपति बनाये जाने का समर्थन किया था। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति श्री नारायणन से मुलाक़ात करके यह प्रार्थना की कि वह अगले सत्र हेतु भी राष्ट्रपति बनें। लेकिन वाजपेयी ने इनसे भेंट करके यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी उम्मीदवारी को लेकर एन. डी. ए. में असहमति है।

★ **राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार :–** राष्ट्रपति नियुक्त होने के बाद नारायणन ने एक नीति अथवा सिद्धान्त बना लिया था कि वह किसी भी पूजा स्थान या इबादतगाह पर नहीं जाएँगे–चाहे वह देवता का हो या देवी का। यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल में किसी भी पूजा स्थल का दौरा नहीं किया। राष्ट्रपति के रूप में जब श्री नारायणन की पदावधि के अवसान का समय निकट आया तो विभिन्न जनसमुदायों की राय थी कि इन्हें दूसरे सत्र के लिए भी राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। इस समय एन. डी. ए. के पास अपर्याप्त बहुमत था।

लेकिन नारायणन ने स्पष्ट कर दिया कि वह सर्वसम्मति के आधार पर ही पुनः राष्ट्रपति बनना स्वीकार करेंगे। उस समय की विपक्षी पार्टियों– कांग्रेस, जनता दल, वाम मोर्चा तथा अन्य ने भी इनको दूसरी बार राष्ट्रपति बनाये जाने का समर्थन किया था। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति श्री नारायणन से मुलाक़ात करके यह प्रार्थना की कि वह अगले सत्र हेतु भी राष्ट्रपति बनें। लेकिन वाजपेयी ने इनसे भेंट करके यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी उम्मीदवारी को लेकर एन. डी. ए. में असहमति है। एन. डी. ए. ने उपराष्ट्रपति कृष्णकान्त को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया। विपक्ष से इस बारे में सहयोग मांगा गया और कांग्रेस तक भी वाजपेयी का संदेश गया। लेकिन एक ही दिन में यह स्पष्ट हो गया कि कृष्णकान्त की उम्मीदवारी को लेकर एन. डी. ए. के घटक दल ही एकमत नहीं हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में डॉ. पी. सी. अलेक्जेण्डर के नाम पर विचार किया गया। लेकिन विपक्षी दलों ने इनकी उम्मीदवारी को नकार दिया। फिर विपक्षियों ने श्री नारायणन से पुनः सम्पर्क किया और राष्ट्रपति पद हेतु विचार करने का अनुरोध किया। तब एन. डी. ए. द्वारा डॉ. अब्दुल कलाम का नाम अधिकारिक उम्मीदवार के रूप में आगे आया। लेकिन इस बारे में सर्वसम्मति की परवाह नहीं की गई। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने विपक्ष की एकजुटता की परवाह न करते हुए अब्दुल क़लाम के नाम पर सहमति व्यक्त कर दी। ऐसी स्थिति में श्री नारायणन ने स्वयं को राष्ट्रपति पद की पुनः उम्मीदवारी से अलग कर लिया। बाद में जब इस सन्दर्भ में श्री नारायणन से पूछा गया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति को ज़िम्मेदार ठहराया, जिसके कारण दूसरी बार राष्ट्रपति बनना मंजूर नहीं किया। इन्होंने आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति को आक्रामक हिन्दुत्ववादी नीति से नुक़सान पहुँचाने का काम कर रही है।

☆ राष्ट्रपति पद पर :–14 जुलाई, 1997 को हुए राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा जब 17 जुलाई, 1997 को घोषित हुआ तो पता चला कि श्री नारायणन को कुल वैध मतों का 95 प्रतिशत प्राप्त हुआ था। यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति चुनाव था जो कि केन्द्र में अल्पमत सरकार के रहते हुए भी समाप्त हुआ। इसमें पूर्व चुनाव आयुक्त टी. एन. शेषन प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवार थे। शिव सेना के अतिरिक्त सभी दलों ने नारायणन के पक्ष में मतदान किया, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह कहते हुए इनका विरोध किया कि उन्हें भारतीय संस्कृति की जीत का आधार उनका दलित होना है। इससे पूर्व कोई भी दलित राष्ट्रपति नहीं बना था। श्री नारायणन को 25 जुलाई, 1997 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जे. एस. वर्मा ने राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपने आरम्भिक सम्बोधन में इन्होंने कहा– "देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद एक ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया गया है, जो समाज के धरातल से जुड़ा था, परन्तु धूल और गर्मी के मध्य चला। यह निर्वाचन साबित करता है कि एक सामान्य नागरिक भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में केन्द्रीय भूमिका का निर्वहन कर सकता है। मैं इसे अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता न मानकर एक सार्थक एवं प्रतिष्ठापूर्ण परम्परा का आरम्भ मानता हूँ।"

–: आर.के. नारायण की कुछ प्रमुख रचनाएं :–

☆ उपन्यास :–

- ☞ 'स्वामी एंड फ्रेंड्स' (1935)
- ☞ द बैचलर ऑफ आर्ट्स (1937)
- ☞ द डार्क रूम (1938)
- ☞ द इंग्लिश टीचर (1945)
- ☞ मिस्टर संपथ (1948)
- ☞ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट (1952)
- ☞ वेटिंग फॉर द महात्मा (1955)
- ☞ द गाइड (1958)
- ☞ द मॉनिटर ऑफ मालगुडी (1961)
- ☞ द वेंडर ऑफ स्वीट्स (1967)
- ☞ टाल्केटिव मेन (1986)
- ☞ द वर्ल्ड ऑफ नागराज (1990)
- ☞ ग्रेन्डमदर्स टेल (1992)

लघु कहानियाँ–

- ☞ मालगुडी डेज (1942)
- ☞ एन एस्ट्रोलॉजर डे एंड अदर स्टोरीज (1947)
- ☞ लॉली रोड एंड अदर स्टोरीज (1956)
- ☞ ए हार्स एंड टू गोट्स (1970)
- ☞ अंडर द बॅनियन ट्री एंड अदर स्टोरीज (1985)
- ☞ द ग्रैंडमदर्स टेल एंड सिलेक्टेड स्टोरीज (1994)

☆ दो बार संसद भंग :– अपने राष्ट्रपति काल के दौरान श्री नारायणन ने दो बार संसद को भंग करने का कार्य किया। लेकिन ऐसा करने के पूर्व इन्होंने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए राजनीतिक परिदृश्य को संचालित करने वाले लोगों से परामर्श भी किया था। तब यह नतीजा निकाला कि उन स्थितियों में कोई भी राजनीतिक दल बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में नहीं था। यह स्थिति तब उत्पन्न हुई थी, जब कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने इन्द्रकुमार गुजराल सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार के बहुमत में होने का दावा दांव पर लग गया। श्री इन्द्रकुमार गुजराल को 28 नवम्बर, 1997 तक सदन में अपने बहुमत का जादुई आंकड़ा साबित करना था। प्रधानमंत्री इन्द्रकुमार गुजराल बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ थे, अतः उन्होंने राष्ट्रपति को परामर्श दिया कि लोकसभा भंग कर दी जाए। श्री नारायणन ने भी परिस्थितियों की समीक्षा करते हुए निर्णय लिया कि कोई भी दल बहुमत द्वारा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अतः श्री गुजराल का परामर्श स्वीकार करते हुए उन्होंने लोकसभा भंग कर दी। इसके बाद हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सकल पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई, जिसके पास में सबसे ज़्यादा सांसद थे। भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को एन. डी. ए. का भी समर्थन प्राप्त था। अतः नारायणन ने वाजपेयी से कहा कि वह समर्थन करने वाली पार्टियों के

समर्थन पत्र प्रदान करें, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि उनके पास सरकार बनाने के लायक़ बहुमत है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी समर्थन जुटाने में समर्थ थे और इस आधार पर उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। साथ ही यह शर्त भी थी कि 10 दिन में वाजपेयी अपना बहुमत सदन में साबित करें। 14 अप्रैल, 1999 को जयललिता ने राष्ट्रपति नारायणन को पत्र लिखा कि वह वाजपेयी सरकार से अपना समर्थन वापस ले रही हैं। तब श्री नारायणन ने वाजपेयी को सदन में बहुमत साबित करने को कहा। 17 अप्रैल को वाजपेयी सदन में बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं थे। इस कारण वाजपेयी को हार का सामना करना पड़ा।

★ **लोकसभा चुनाव :–** श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा विपक्ष की नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी दोनों सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे। अतः जब दोनों के द्वारा सार्थक संकेत प्राप्त नहीं हुए तो राष्ट्रपति श्री नारायणन ने प्रधानमंत्री को सूचित किया कि केन्द्र सरकार का संकट टालने का एक मात्र उपाय है कि नए लोकसभा चुनाव करवाएँ जाएँ। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर श्री नारायणन ने लोकसभा भंग कर दी। इसके बाद हुए चुनावों में एन. डी. ए. को बहुमत प्राप्त हुआ और वाजपेयी पुनः प्रधानमंत्री बनाए गए। इन निर्णयों के द्वारा राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में नया उदाहरण पेश किया। यदि किसी दल अथवा चुनाव पूर्व के गठबन्धन को बहुमत प्राप्त होता है तो किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री तभी बनाया जा सकता है, जब वह राष्ट्रपति को यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाए कि उसके पास सदन में बहुमत है (गठबन्धन के दलों द्वारा समर्थन का पत्र प्रदान करे) और वह उसे साबित भी कर सकता है। इस प्रकार त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में राष्ट्रपति श्री नारायणन ने यह उदाहरण पेश किया कि किस प्रकार बहुमत साबित किया जाना चाहिए। इससे पूर्व के राष्ट्रपतियों– नीलम संजीव रेड्डी, आर. वेंकटरमण और डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने पूर्व परम्परा के अनुसार सबसे बड़ी एकल पार्टी अथवा चुनाव पूर्व उस गठबन्धन के मुखिया को सरकार बनाने का न्योता प्रदान किया था। लेकिन उन्होंने यह पड़ताल नहीं की थी कि उनके पास सदन में बहुमत साबित करने की योग्यता है अथवा नहीं।

★ **राष्ट्रपति शासन :–** आर्टिकल 356 के अनुसार केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य की क़ानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसे मौक़े दो बार आए। पहली बार इन्द्रकुमार गुजराल सरकार ने उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार को बर्ख़ास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग 22 अक्टूबर, 1999 को की। दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बिहार में राबड़ी देवी की सरकार को 25 सितम्बर, 1994 को बर्ख़ास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इन दोनों मौकों पर राष्ट्रपति श्री नारायणन ने उच्चतम न्यायालय के 1994 के निर्णय का अवलोकन किया, जो एस. आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ़ इण्डिया के मामले में दिया गया था। दोनों प्रकरणों में कैबिनेट द्वारा राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का सम्मान किया गया था। इन मौकों पर राष्ट्रपति ने ऐसे आग्रह पुनर्विचार के लिए लौटाकर एक महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त पेश किया, ताकि संघता में राज्य सरकारों के अधिकारों की भी सुरक्षा सम्भव हो सके।

★ **स्वर्णिम वर्षगांठ :–** 1997 में जब भारत की आज़ादी की स्वर्णिम वर्षगांठ मनाई गई तो भारतवर्ष के राष्ट्रपति श्री नारायणन ही थे। स्वर्णिम वर्षगांठ की पूर्व संध्या अर्थात् 14 अगस्त, 1997 को राष्ट्र के नाम अपना सम्बोधन देते हुए इन्होंने भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था और सरकार की नीतियों को आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी तथा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बताया। अगली सुबह लाल क़िले की प्राचीर से प्रधानमंत्री इन्द्रकुमार गुजराल ने देश को सम्बोधित करते हुए कहा था– "गांधी जी ने जब भारत के भविष्य को लेकर स्वप्न देखा था, तब उन्होंने कहा था कि भारत को सच्ची आज़ादी उस दिन प्राप्त होगी, जब एक दलित देश का राष्ट्रपति होगा। आज हमारा यह सौभाग्य है कि हम गांधी जी के स्वप्न को पूर्ण होता देख रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति जिन पर समस्त देश को गर्व है, एक बेहद ग़रीब परिवार से सम्बन्ध रखते थे। इन्होंने राष्ट्रपति भवन को गर्व और सम्मान प्रदान किया है। यह हमारे प्रजातंत्र की शोभा है कि समाज के कमज़ोर वर्ग से निकले व्यक्ति को उसकी प्रतिभा के अनुकूल सही सम्मान प्राप्त हो रहा है। आज देश के सभी नागरिक चाहे वे अल्पसंख्यक समुदाय हों, दलित समुदाय से हों अथवा आदिवासी समुदाय से हों, देश के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं।"

★ **पोलिंग बूथ मतदान :–** 1998 के आम चुनावों में राष्ट्रपति रहते हुए भी श्री नारायणन ने 16 फ़रवरी, 1998 को एक स्कूल के पोलिंग बूथ में मतदान किया जो राष्ट्रपति भवन के कॉम्प्लेक्स में स्थित था। इन्होंने एक साधारण मतदान में भाग लेकर लोगों को मतदान के प्रति उत्साहित करने का कार्य किया। वह उस परम्परा को बदलना चाहते थे, जिसके अनुसार पूर्व भारतीय राष्ट्रपति चुनावों में मतदान नहीं करते थे। इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में 1999 के आम चुनावों में भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस प्रकार देश के प्रथम नागरिक अर्थात् राष्ट्रपति रहते हुए भी एक आम व्यक्ति बने रहे। अपने कार्यकाल के दौरान श्री नारायणन ने अपनी शक्तियों का विवेक सम्मत रूप से उपयोग किया और राष्ट्रपति की शक्तियों को पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत किया। इस प्रकार इन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियों को व्यावहारिक रूप में अपनाकर दिखाया। फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनीं कि इन्हें अपने क्षेत्राधिकार की शक्तियों का उपयोग करना आवश्यक हो गया।

★ **कार्यवाहक सरकार द्वारा शासन :–** मई 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल में युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकवादियों के साथ में मिलकर युद्ध की स्थिति पैदा कर दी थी। उस समय अटल

बिहारी वाजपेयी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सरकार चला रहे थे। वाजपेयी सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर हार चुकी थी और विपक्ष भी सरकार बनाने में असफल रहा। ऐसी स्थिति में लोकसभा भंग कर दी गई थी और कार्यवाहक सरकार द्वारा शासन चलाया जा रहा था। इस कारण प्रजातंत्रीय जवाबदेही की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जिस प्रकार मुख्य सरकार के कार्यों की समीक्षा, विवेचना और परख संसद में की जाती है, उस प्रकार किया जाना सम्भव नहीं था। ऐसी विकट स्थिति में राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सलाह दी कि राज्यसभा में युद्ध को लेकर चर्चा की जाए। इसी प्रकार की मांग कई विपक्षी दलों के द्वारा भी उठाई गई। यद्यपि इस प्रकार का कोई भी पूर्व उदाहरण नहीं था कि सरकार न रहने की स्थिति में राज्यसभा का सत्र अलग से बुलाया जाए। इसके अतिरिक्त श्री नारायणन ने तीनों सेनाओं के सेनाधिकारियों से युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धाजंलि भी दी थी। राष्ट्रपति के रूप में यह संवैधानिक मर्यादाओं से बंधे हुए थे। वह बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन मर्यादाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं किया।

★ **विदाई :–** श्री नारायणन ने विशेष रूप से मुरली मनोहर जोशी (जो एच. आर. डी. मंत्री थे) का उल्लेख किया, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में बी. जे. पी. की हिन्दुत्ववादी विचारधारा को सम्मिलित करने का प्रयास किया था। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने संवैधानिक रूप से ऐसे लोगों की नियुक्तियाँ की थीं, जो बी. जे. पी. की विचारधारा को स्थापित करने का कार्य कर सकते थे। श्री नारायणन प्रजातांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों के अनुसार ही कार्य करना चाहते थे और बी. जे. पी. को इनकी यह कार्यशैली पसन्द नहीं थी। 24 जुलाई, 2002 को श्री नारायणन ने अपने विदाई सम्बोधन में युवा वर्ग से कहा कि वह सामाजिक कार्यों के उत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। इन्होंने अपने अनुभवों पर आधारित संस्मरणों के माध्यम से भारतीय लोगों की अच्छाइयों एवं बुद्धिमत्ता को परिलक्षित किया। श्री नारायणन ने कहा कि जब वह उझावूर में विभिन्न

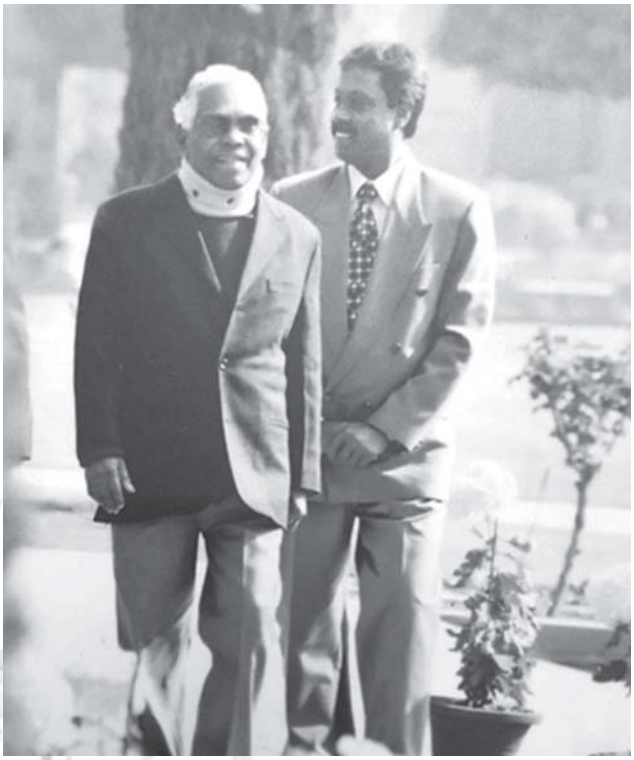

श्री के. आर. नारायणन ने कुछ पुस्तकें

श्री के. आर. नारायणन ने कुछ पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें 'इण्डिया एण्ड अमेरिका एस्सेस इन अंडरस्टैडिंग', 'इमेजेस एण्ड इनसाइट्स' और 'नॉन अलाइमेंट इन कन्टैम्परेरी इंटरनेशनल निलेशंस' उल्लेखनीय हैं। इन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। 1998 में इन्हें 'द अपील ऑफ़ कॉनसाइंस फ़ाउंडेशन', न्यूयार्क द्वारा 'वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड' दिया गया। 'टोलेडो विश्वविद्यालय', अमेरिका ने इन्हें 'डॉक्टर ऑफ़ साइंस' की तथा 'आस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय' ने 'डॉक्टर ऑफ़ लॉस' की उपाधि दी। इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि तुर्की और सेन कार्लोस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई। भारत माता के इस सच्चे सपूत को सदैव याद किया जाएगा जो राष्ट्रपति से ज्यादा एक बेहतर इंसान थे।

धर्मावलम्बियों के साथ रहते हुए बड़े हो रहे थे, तब धार्मिक सहिष्णुता और एकता के साथ हिन्दू एवं क्रिश्चियन लोगों ने उनकी आरम्भिक शिक्षा में मदद की थी। इसी प्रकार ओट्टापासम में निर्वाचन के समय भी सभी जाति एवं धर्म के लोगों ने इनके चुनाव प्रचार में भाग लिया था। इन्होंने कहा कि भारत की एकता और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए धार्मिक सहिष्णुता का भाव काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार रहा है। अतः हिन्दुओं को चाहिए कि वे बहुसंख्यक होने के कारण हिन्दुत्व के पारम्परिक मूल्यों के अनुसार सभी धर्मों का सम्मान करें।

★ **सम्मान :–** श्री के. आर. नारायणन ने कुछ पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें 'इण्डिया एण्ड अमेरिका एस्सेस इन अंडरस्टैडिंग', 'इमेजेस एण्ड इनसाइट्स' और 'नॉन अलाइमेंट इन कन्टैम्परेरी इंटरनेशनल निलेशंस' उल्लेखनीय हैं। इन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। 1998 में इन्हें 'द अपील ऑफ़ कॉनसाइंस फ़ाउंडेशन', न्यूयार्क द्वारा 'वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड' दिया गया। 'टोलेडो विश्वविद्यालय', अमेरिका ने इन्हें 'डॉक्टर ऑफ़ साइंस' की तथा 'आस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय' ने 'डॉक्टर ऑफ़ लॉस' की उपाधि दी। इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि तुर्की और सेन कार्लोस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई। भारत माता के इस सच्चे सपूत को सदैव याद किया जाएगा जो राष्ट्रपति से ज़्यादा एक बेहतर इंसान थे।

★ **श्री नारायणन के शब्दों में :–** श्री नारायणन ने विशेष रूप से कहा–"भारत के राष्ट्रपति के रूप में मैंने बेहद दुःख और स्वयं को असहाय महसूस किया। ऐसे कई अवसर आए जब मैं देश के नागरिकों के लिए कुछ नहीं कर सका। इन अनुभवों ने मुझे काफ़ी दुःख पहुँचाया। सीमित शक्तियों के कारण मैं वेदना महसूस करता था। वस्तुतः शक्ति और असहायता के मिश्रण को दुखान्त ही कहना चाहिए।"

★ **निधन :–** श्री के. आर. नारायणन का निधन 9 नवम्बर, 2005 को आर्मी रिसर्च एण्ड रैफरल हॉस्पिटल, नई दिल्ली में हुआ। इन्हें न्यूमोनिया की शिकायत थी। फिर गुर्दों के काम न करने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 10 नवम्बर, 2005 को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ सूर्यास्त के समय इनका अन्तिम संस्कार इनके भतीजे डॉ. पी. वी. रामचन्द्रन ने यमुना नदी के किनारे 'एकता स्थल' पर किया। यह स्थान 'शान्ति वन' के निकट है, जहाँ इनके मार्गदर्शक पण्डित नेहरू की स्मृतियाँ जीवित हैं। इनकी पुत्री चित्रा (तुर्की में भारतीय राजदूत), पत्नी उषा, दूसरी पुत्री अमृता तथा परिवार के अन्य सदस्यों को देश–विदेश से कई संवेदना संदेश प्राप्त हुए। पुत्री चित्रा ने कहा कि उनके पिता को राष्ट्र प्रेम, विशिष्ट नैतिक मनोबल तथा साहस के लिए सदैव याद किया जाएगा।

प्रख्यात वैज्ञानिक से राष्ट्रपति डॉ. कलाम

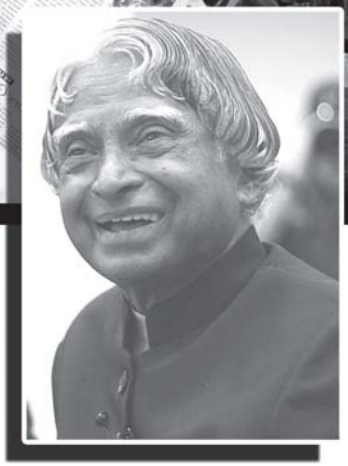

विकसित भारत का सपना देखने वाले अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व धर्म, जाति से ऊपर थे जिसके कारण अब्दुल कलाम हर धर्म हर जाति के लोगो के बीच खासे लोकप्रिय थे उनके इसी महान व्यक्तित्व के कारण अब्दुल कलाम आज हम सभी भारतीयों के लिए जीवन का एक आदर्श है । अबुल पकिर जैनुलाअबदीन अब्दुल कलाम अथवा ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता (इंजीनियर) के रूप में विख्यात थे। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में चार दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) संभाला व भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। कलाम अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वालों में से थे। ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और भगवद् गीता दोनों का अध्ययन करते थे। कलाम ने कई स्थानों पर उल्लेख किया है कि वे तिरुक्कुरल का भी अनुसरण करते हैं, उनके भाषणों में कम से कम एक कुरल का उल्लेख अवश्य रहता था। राजनीतिक स्तर पर कलाम की चाहत थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका विस्तार हो और भारत ज्यादा से ज्यादा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाये। भारत को महाशक्ति बनने की दिशा में कदम बढाते देखना उनकी दिली चाहत थी। उन्होंने कई प्रेरणास्पद पुस्तकों की भी रचना की थी और वे तकनीक को भारत के जनसाधारण तक पहुँचाने की हमेशा वक़ालत करते रहे थी। बच्चों और युवाओं के बीच डाक्टर क़लाम अत्यधिक लोकप्रिय थे। वह भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी थे। वे सदाय स्मित करते थे चाहे वो दफतर का नौकर ही क्यूँ न हो। वे जीवनभर शाकाहारी रहे। इन्हें बैलेस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाने लगा। इन्होंने 1974

"सपने देखना बेहद जरूरी है, लेकिन सपने देखकर ही उसे हासिल नही किया जा सकता। सबसे ज्यादा जरूरी है जिन्दगी में खुद के लिये कोई लक्ष्य तय करना।"

—: अब्दुल कलाम

में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरान–द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक, संगठनात्मक, तकनीकी और राजनैतिक भूमिका निभाई। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। पांच वर्ष की अवधि की सेवा के बाद, वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। इन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किये। एपीजे अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत अधिक स्नेह है। वे हमेशा अपने देश के युवाओं को अच्छी सीख देते रहे है, उनका कहना है युवा चाहे तो पूरा देश बदल सकता है। देश के सभी लोग उन्हें 'मिसाइल मैन' के नाम ने संबोधित करते है. डॉ एपीजे कलाम को भारतीय प्रक्षेपास्त्र में पितामह के रूप जाना जाता है। कलाम जी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं, जो अविवाहित होने के साथ–साथ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से राजनीति में आए है। राष्ट्रपति बनते ही एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के एक नए युग की शुरुवात की जो कि आज तक आयाम है।

15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गाँव (रामेश्वरम, तमिलनाडु) में एक मध्यमवर्ग मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जैनुलाब्दीन न तो ज़्यादा पढ़े–लिखे थे, न ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराये पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह स्वयं पाँच भाई एवं पाँच बहन थे और घर में तीन परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े–लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। पाँच वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा–संस्कार हुआ था। उनके शिक्षक इयादुराई सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन मे सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा इन तीन शक्तियो को भलीभाँति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अख़बार वितरित करने का कार्य भी किया था। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिये भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। अब्दुल कलाम को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह (एस.एल.वी. तृतीय) प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गये। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र (गाइडेड मिसाइल्स) को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निदेशक के तौर पर आये और उन्होंने अपना सारा ध्यान "गाइडेड मिसाइल" के विकास पर केन्द्रित किया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय काफी कुछ उन्हीं को है। जुलाई 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुये। कलाम जुलाई 1992 से दिसम्बर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। यह भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ।

✯ **राष्ट्रपति का दौर :–** राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित एन॰डी॰ए॰ घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था जिसका वामदलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया। 18 जुलाई 2002 को कलाम को नब्बे प्रतिशत बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना

गया था और इन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इस संक्षिप्त समारोह में प्रधानमंत्री अटल अटल बिहारी वाजपेयी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा अधिकारीगण उपस्थित थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत ज़िन्दगी में बेहद अनुशासनप्रिय थे। यह शाकाहारी थे। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ़ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। इनकी दूसरी पुस्तक 'गाइडिंग सोल्स– डायलॉग्स ऑफ़ द पर्पज ऑफ़ लाइफ' आत्मिक विचारों को उद्घाटित करती है इन्होंने तमिल भाषा में कविताऐं भी लिखी हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि दक्षिणी कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफ़ी माँग है और वहाँ इन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता है। 2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया है। वह कहते थे कि यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है और शांति की स्थापना शक्ति से होती है। इसी कारण प्रक्षेपास्त्रों को विकसित किया गया ताकि देश शक्ति सम्पन्न हो।

★ **राष्ट्रपति दायित्व से मुक्ति के बाद :–** कार्यालय छोड़ने के बाद, कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर व भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर के मानद फैलो, व एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति, अन्ना विश्वविद्यालय में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और भारत भर में कई अन्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में सहायक बन गए। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी, और अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पढ़ाया। मई 2012 में, कलाम ने भारत के युवाओं के लिए एक कार्यक्रम ,भ्रष्टाचार को हराने के एक केंद्रीय विषय के साथ, "मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ" का शुभारंभ किया। उन्होंने यहाँ तमिल कविता लिखने और वेन्नई नामक दक्षिण भारतीय स्ट्रिंग वाद्य यंत्र को बजाने का भी आनंद लिया। कलाम कर्नाटक भक्ति संगीत हर दिन सुनते थे और हिंदू संस्कृति में विश्वास करते थे। इन्हें 2003 व 2006 में "एमटीवी यूथ आइकन ऑफ़ द इयर" के लिए नामांकित किया गया था। 2011 में आई हिंदी फिल्म आई एम कलाम में, एक गरीब लेकिन उज्ज्वल बच्चे पर कलाम के सकारात्मक प्रभाव को चित्रित किया गया। उनके सम्मान में वह बच्चा छोटू जो एक राजस्थानी लड़का है खुद का नाम बदल कलाम रख लेता है। 2011 में, कलाम की कुडनकुलम परमाणु संयंत्र पर अपने रुख से नागरिक समूहों द्वारा आलोचना की गई। इन्होंने ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का समर्थन किया। इन पर स्थानीय लोगों के साथ बात नहीं करने का आरोप लगाया गया।

★ **निधन :–** 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में 'रहने योग्य ग्रह' पर एक व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) हुआ और ये बेहोश हो कर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में इन्हें बेथानी अस्पताल में आईसीयू में ले जाया गया और दो घंटे के बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। अस्पताल के सीईओ जॉन साइलो ने बताया कि जब कलाम को अस्पताल लाया गया तब उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर साथ छोड़ चुके थे। अपने निधन से लगभग 9 घण्टे पहले ही उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वह शिलोंग आईआईएम में लेक्चर के लिए जा रहे हैं। कलाम अक्टूबर 2015 में 84 साल के होने वाले थे। मेघालय के राज्यपाल वी॰ षडमुखनाथन; अब्दुल कलाम के हॉस्पिटल में प्रवेश की खबर सुनते ही सीधे अस्पताल में पहुँच गए। बाद में षडमुखनाथन ने बताया कि कलाम को बचाने की चिकित्सा दल की कोशिशों के बाद भी शाम 7:45 पर उनका निधन हो गया।

मृत्यु के तुरंत बाद कलाम के शरीर को भारतीय वायु सेना के

हेलीकॉप्टर से शिलांग से गुवाहाटी लाया गया। जहाँ से अगले दिन 28 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर वायुसेना के विमान सी–130जे हरक्यूलिस से दिल्ली लाया गया। लगभग 12:15 पर विमान पालम हवाईअड्डे पर उतरा। सुरक्षा बलों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ कलाम के पार्थिव शरीर को विमान से उतारा। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल व तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इसकी अगवानी की और कलाम के पार्थिव शरीर पर पुष्पहार अर्पित किये। इसके बाद तिरंगे में लिपटे कलाम के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ, एक गन कैरिज में रख उनके आवास 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया गया।

यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित अनेक गणमान्य लोगों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन के मौके पर उनके सम्मान के रूप में सात दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। 29 जुलाई की सुबह वायुसेना के विमान सी–130जे से भारतीय ध्वज में लिपटे कलाम के शरीर को पालम एयर बेस पर ले जाया गया जहां से इसे मदुरै भेजा गया, विमान दोपहर तक मदुरै हवाई अड्डे पर पहुंचा। उनके शरीर को तीनों सेनाओं के प्रमुखों और राष्ट्रीय व राज्य के गणमान्य व्यक्तियों, कैबिनेट मंत्री मनोहर पर्रीकर, वेंकैया नायडू, पॉन राधाकृष्णन; और तमिलनाडु और मेघालय के राज्यपाल के॰ रोसैया और वी॰ षडमुखनाथन ने हवाई अड्डे पर प्राप्त किया। एक संक्षिप्त समारोह के बाद कलाम के शरीर को एक वायु सेना के हेलिकॉप्टर में मंडपम भेजा गया। मंडपम से कलाम के शरीर को उनके गृह नगर रामेश्वरम एक आर्मी ट्रक में भेजा गया। अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शरीर को स्थानीय बस स्टेशन के सामने एक खुले क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया ताकि जनता उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सके। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के पी करूम्बु ग्राउंड में दफ़ना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित 3,50,000 से अधिक लोगों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया।

★ अब्दुल कलाम के निधन पर गूगल का मुख्यपृष्ठ पर काला रिबन दिखा था :– कलाम के निधन से देश भर में और सोशल मीडिया में पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने के लिये अनेक कार्य किये गए। भारत सरकार ने कलाम को सम्मान देने के लिए सात दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "उनका (कलाम का) निधन वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति है। वह भारत को महान ऊंचाइयों पर ले गए। उन्होंने हमें मार्ग दिखाया।" पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिन्होंने कलाम के साथ प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की थी "उनकी मृत्यु के साथ हमारे देश ने एक महान मनुष्य को खोया है जिसने, हमारे देश की रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। मैंने प्रधानमंत्री के रूप में कलाम के साथ बहुत निकटता से काम किया है। मुझे हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में उनकी सलाह से लाभ हुआ। उनका जीवन और काम आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। दलाई लामा ने अपनी संवेदना और प्रार्थना व्यक्त की और कलाम की मौत को "एक अपूरणीय क्षति" बुला, अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा, "अनेक वर्षों में, मुझे कई अवसरों पर कलाम के साथ बातचीत करने का मौका मिला। वह एक महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद और राजनेता ही नहीं, बल्कि वे एक वास्तविक सज्जन थे, और हमेशा मैंने उनकी सादगी और विनम्रता की प्रशंसा की है। मैंने सामान्य हितों के विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर हमारी चर्चाओं का आनंद लिया, लेकिन विज्ञान, अध्यात्म और शिक्षा के साथ मुख्य रूप से हमारे बीच चिंतन किया जाता था।" दक्षिण एशियाई नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और दिवंगत राजनेता की सराहना की। भूटान सरकार ने कलाम की मौत के शोक के लिए देश के झंडे को आधी ऊंचाई पर फहराने के लिए आदेश दिया, और श्रद्धांजलि में 1000 मक्खन के दीपक की भेंट किए। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने कलाम के प्रति अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, वे एक महान नेता थे जिनकी सभी ने प्रशंसा की विशेषकर भारत के युवाओं के वे प्रशंसनीय नेता थे जिन्हें वे जनता का राष्ट्रपति बुलाते थे।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनकी व्याख्या करते हुए कहा, "एक महान राजनेता प्रशंसित वैज्ञानिक और दक्षिण एशिया के युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत के संयोग" उन्होंने कलाम की मृत्यु को "भारत के लिए अपूरणीय क्षति से भी परे बताया।" उन्होंने यह भी कहा कि भारत के सबसे प्रसिद्ध बेटे, पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर हमें गहरा झटका लगा है। ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम अपने समय के सबसे महान ज्ञानियों में से एक थे। वह बांग्लादेश में भी बहुत सम्मानित थे। उनकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वृद्धि करने के लिए अमूल्य योगदान के लिए वे सभी के द्वारा हमेशा याद किये जायेंगे। वे दक्षिण एशिया की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत थे जो उनके सपनों को पंख देते थे।" बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया ने कहा,"एक परमाणु वैज्ञानिक के रूप में, उन्होंने लोगों के कल्याण में स्वयं को समर्पित किया।" अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, ने कलाम को, "लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणादायक शख्सियत बताया" ये नोट करते हुए "हमे अपने जीवन से बहुत कुछ सीखना है।" नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने भारत के लिए कलाम के वैज्ञानिक योगदानों को याद किया। "नेपाल ने एक अच्छा दोस्त खो दिया है और

मैंने एक सम्मानित और आदर्श व्यक्तित्व को खो दिया है।" पाकिस्तान के राष्ट्रपति , ममनून हुसैन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर उनके प्रति दुः ख, शोक व संवेदना व्यक्त की। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेना ने कहा, "कलाम दृढ़ विश्वास और अदम्य भावना के आदमी थे। मैंने उन्हें दुनिया के एक उत्कृष्ट राजनेता के रूप में देखा था। उनकी मौत भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपूरणीय क्षति है।"

इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुसीलो बम्बनग युधोयोनो, मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग , संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय नेताओं, और संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक ने भी कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत सरकार, भारत के सभी लोगों के लिए और मृतक नेता ले प्रियजनों के लिए अपनी गंभीर संवेदना व्यक्त की और अपनी सहानुभूति और समर्थन से अवगत कराते हुए कहा, "कलाम को हमारे देशों के बीच लगातार मैत्रीपूर्ण संबंधों के एक प्रतिपादक के रूप में याद किया जाएगा, उन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए व्यक्तिगत योगदान दिया। उन्होंने पारस्परिक रूप से लाभप्रद रूसी–भारतीय सहयोग जोड़ने के लिए बहुत कुछ किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा,"अमेरिकी लोगों की ओर से, मैं पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम के निधन पर भारत के लोगों के लिए अपनी गहरी संवेदना का विस्तार करना चाहता हूँ। एक वैज्ञानिक और राजनेता, कलाम ने अपनी विनम्रता से घर में और विदेशों में सम्मान कमाया और भारत के सबसे महान नेताओं में से एक बने। भारत–अमेरिका के मजबूत संबंधों के लिए, डा कलाम ने सदा वकालत की। 1962 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान नासा के साथ अंतरिक्ष सहयोग को गहरा करने के लिए काम किया। भारत के 11 वें राष्ट्रपति के रूप में इनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका–भारत संबंधों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। उपयुक्त रूप से नामित "पीपुल्स प्रेसिडेंट" (जनता के राष्ट्रपति) ने सार्वजनिक सेवा, विनम्रता और समर्पण से दुनिया भर के लाखों भारतीयों और प्रशंसकों को एक प्रेरणा प्रदान की।

★ **किताबें :–** कलाम ने साहित्यिक रूप से भी अपने विचारों को चार पुस्तकों में समाहित किया है, जो इस प्रकार हैं :–
'इण्डिया 2020 ए विज़न फ़ॉर द न्यू मिलेनियम', 'माई जर्नी' तथा 'इग्नाटिड माइंड्स – अनलीशिंग द पॉवर विदिन इंडिया'।

इन पुस्तकों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस प्रकार यह भारत के एक विशिष्ट वैज्ञानिक थे, जिन्हें 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हो चुकी है।

★ **कलाम साहब की प्रमुख पुस्तकें निम्नवत हैं :–**

★ **चिंतनपरक रचनायें**

☞ इग्नाइटेड माइंडस : अनलीशिंग द पावर विदीन इंडिया : (पेंग्विन बुक्स, 2003)

☞ इंडिया–माय–ड्रीम : (एक्सेल बुक्स, 2004)

☞ एनविजनिंग अन एमपावर्ड नेशनः टेक्नालजी फार सोसायटल ट्रांसफारमेशन : (टाटा मैक्ग्राहिल प्रकाशन, 2004)

★ **आत्मकथात्मक रचनायें :–**

☞ विंग्स ऑफ फायर : एन आटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम : सह लेखक – अरुण तिवारी, (ओरियेंट लांगमैन, 1999)

☞ साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट : (ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, 2003)

★ **कलाम पर बनी फिल्म** :– कलाम के जीवन पर आधारित कई और उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर कई फिल्में भी बनाई गईं। 'आई एम कलाम' ऐसी ही एक फिल्म थी जिसमें एक गरीब परिवार के बच्चे को कलाम के जीवन से प्रभावित दर्शाया गया था। उस फिल्म में दिखाया गया था कि बच्चा कलाम की तरह बनना चाहता था और 'मिसाइल मैन' (कलाम) से इतना प्रभावित था कि उसने अपना नाम ही कलाम रख दिया था। उसने केवल अपना नाम ही कलाम नहीं रखा बल्कि कलाम को अपने व्यक्तित्व में उतारने की पूरी कोशिश की।

★ **कन्नड़ फिल्म 'बिलियन डॉलर बेबी' :–** 'आई एम कलाम' के अलावा एक कन्नड़ फिल्म 'बिलियन डॉलर बेबी' भी कलाम के जीवन से प्रेरित होकर बनाई गई। इस शॉर्टफिल्म की खासियत यह थी कि इसका निर्देशन एक 19 साल की लड़की श्रिया दिनकर ने किया था।

★ **चर्चित किताबें :–** डॉक्टर कलाम ने साहित्यिक रूप से भी अपने शोध को चार पुस्तकों में लिखा है। ''विंग्स ऑफ़ फायर' एन आटोबायोग्राफी आफ एपीजे अब्दुल कलाम (1999), भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर लगभग 1999 तक के जीवन सफर के बारे में बताया गया है। मूल रुप में अंग्रेजी में यह किताब, विश्व की 13 भाषाओ में लिखी हैं। जिसमे भारत की भाषाएँ हिंदी, गुजराती, तेलगु, तमिल, मराठी, मलयालम के साथ–साथ कोरियन, चीनी और ब्रेल लिपि भी शामिल है।

★ **अन्य किताबें :–**

☞ इंडिया 2020 – ए विशन फॉर दी न्यू मिलेनियम
☞ विंग्स ऑफ़ फायर – ऑटोबायोग्राफी
☞ इग्नाइटेड माइंड
☞ ए मेनिफेस्टो फॉर चेंज
☞ मिशन इंडिया
☞ इन्सपारिंग थोट
☞ माय जर्नी
☞ एडवांटेज इंडिया
☞ यू आर बोर्न टू ब्लॉसम
☞ दी लुमीनस स्पार्क
☞ रेइगनिटेड

★ **अन्य लेखकों के द्वारा कलाम पर लिखी किताबें :–**

पुरस्कार एवं सम्मान

कलाम के 79 वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था।(53) इसके आलावा उन्हें लगभग चालीस विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधियाँ प्रदान की गयी थीं। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान प्रदान किया गया जो उनके द्वारा इसरो और डी आर डी ओ में कार्यों के दौरान वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिये तथा भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य हेतु प्रदान किया गया था। 1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान हेतु दिया गया था(57) वर्ष 2005 में स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्ज़रलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया।(58) नेशनल स्पेस सोशायटी ने वर्ष 2013 में उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान सम्बंधित परियोजनाओं के कुशल संचलन और प्रबंधन के लिये वॉन ब्राउन अवार्ड से पुरस्कृत किया।

वर्ष	सम्मान/पुरस्कार का नाम	प्रदाता संस्था
2014	डॉक्टर ऑफ़ साइन्स एडिनबर्ग विश्वविद्यालय,	यूनाइटेड किंगडम
2012	डॉक्टर ऑफ़ लॉज़ (मानद उपाधि)	साइमन फ़्रेज़र विश्वविद्यालय
2011	आइ॰ई॰ई॰ई॰ मानद सदस्यता	आइ॰ई॰ई॰ई॰
2010	डॉक्टर ऑफ इन्जीनियरिंग	यूनिवर्सिटी ऑफ़ वाटरलू
2009	मानद डॉक्टरेट	ऑकलैंड विश्वविद्यालय
2009	हूवर मेडल	ए॰एस॰एम॰ई॰फाउण्डेशन, (सं॰रा॰अमे॰)
2009	वॉन कार्मन विंग्स अन्तर्राष्ट्रीय अवार्ड	कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, (सं॰रा॰अमे॰)
2008	डॉक्टर ऑफ इन्जीनियरिंग (मानद उपाधि)	नानयांग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय, सिंगापुर
2008	डॉक्टर ऑफ साइन्स (मानद उपाधि)	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
2007	डॉक्टर ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी की मानद उपाधि	कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय
2007	किंग चार्ल्स II मेडल	रॉयल सोसायटी, यूनाइटेड किंगडम
2007	डॉक्टर ऑफ साइन्स की मानद उपाधि	वूल्वरहैंप्टन विश्वविद्यालय, यूनाईटेड किंगडम
2000	रामानुजन पुरस्कार	अल्वार्स शोध संस्थान, चेन्नई
1998	वीर सावरकर पुरस्कार	भारत सरकार
1997	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार	भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस
1997	भारत रत्न	भारत सरकार
1994	विशिष्ट शोधार्थी	इंस्टीट्यूट ऑफ़ डायरेक्टर्स (इण्डिया)
1990	पद्म विभूषण	भारत सरकार
1981	पद्म भूषण	भारत सरकार

☞ लाइफ एंड टाइम्स ऑफ डॉ. अबुल पाकिर जैनुलाआबादीन अब्दुल कलाम – एस चंद्रा कृत

☞ प्रेसीडेंट एपीजे अब्दुल कलाम – आर.के. पूर्ति

☞ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम – द विज़नरी ऑफ इंडिया के. भूषण एवं जी. कत्याल

★ अद्भुत और प्रेरक कहानी :–

अब्दुल कलाम आज हम सभी भारतीयों के लिए जीवन का एक आदर्श है जो हम सभी को अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके द्वारा दिखाये गये रास्तो से हमे हमेसा आगे बढने की प्रेरणा देते है :–

☞ **मानवता के प्रति प्रेम :–** हमे सभी जीवो चाहे वह इन्सान हो या पशु– पक्षी, सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए इसी की मिशाल पेश करते हुए जब अब्दुल कलाम के जीवन की यह घटना दिखाती है की किस प्रकार अब्दुल कलाम जीवो के प्रति भी अत्यधिक दयालु थे। बात उन दिनों की है जब अब्दुल कलाम DRDO में कार्यरत थे तब वहा की बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए टूटे कांच के टुकड़े लगाने का सुझाव दिया गया जिस बात की खबर अब्दुल कलाम को भी पता चला तब खुद वहा जाकर अब्दुल कलाम ने ऐसा करने से रोक दिया और वहा के उपस्थित लोगो से कहा की ऐसा करने से जो पक्षी दिवार पर बैठते है वे शीशे के टुकड़े से घायल हो सकते है और इस प्रकार अब्दुल कलाम ने पक्षियों के जीवन के रक्षा के लिए शीशे के टुकड़े नही लगाने दिए इस घटना से पता चलता है की अब्दुल कलाम मानवता के प्रति कितने दयालु थे।

☞ **जीवन में कभी भी हार न मानना :–** वो कहा जाता है न की मन के हारे हार है मन के जीते जीत, अब्दुल कलाम बचपन से पायलट बनना चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने देहरादून एयरफोर्स अकादमी में फॉर्म भी भर दिया लेकिन परीक्षा में कम अंक आने से उनका चयन नही हुआ तो इस पर भी अब्दुल कलाम हारे नही और खुद को जीवन में आगे बढ़ाते हुए विज्ञान की दिशा में बढ गये और फिर पूरी दुनिया में एक वैज्ञानिक के रूप में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए, अब्दुल कलाम के जीवन के इस घटना से पता चलता है की क्या हुआ जब हम एक जगह फेल हो रहे है तो हमे उसकी चिंता छोड़कर दूसरी जगह लग जाना चाहिए कही तो सफलता मिलेगी ही न, इसलिए हमे अपने जीवन में कभी भी हार नही मानना चाहिए।

☞ **संघर्ष से ही आगे बढ़ते है लोग :–** अब्दुल कलाम बेहद गरीब मछुवारे परिवार से तालुक्क रखते थे और अपने परिवार की आजीविका चलाने और अपनी पढाई करने के लिए पिताजी का साथ देते हुए बचपन में सडको के किनारे सुबह सुबह अखबार बेचा करते थे भले ही इनके पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नही थे लेकिन कलाम को हमेसा यही शिक्षा

देते थे की यदि जीवन में आगे बढना है तो संघर्ष का साथ कभी नही छोड़ना, जितना अधिक संघर्ष करोगे उतना अधिक सफलता भी मिलेगी और इसी संघर्ष के बल पर एक गरीब मछुवारे से देश के राष्ट्रपति के रूप में अपना जीवन सफर किया जो की संघर्ष द्वारा मिली सफलता की एक मिशाल है।

☞ **एक समान आदर की भावना :–** अब्दुल कलाम अपने जीवन में खुद को कभी बड़ा व्यक्ति नही मानते थे वे अपने को सबके बराबर एक समान समझते थे जब उन्हें वाराणसी में आईआईटी (BHU) के दीक्षांत समारोह में बुलाया गया तो उन्होंने देखा की स्टेज में 5 कुर्सिया लगी हुई है जिनमे बीच वाली कुर्सी बड़ी और उन सबसे ऊची भी थी जिसपर उन्हें बैठने को कहा गया तो कलाम सर ने उसपर बैठने से मना कर दिया और कहा की मै भी आप लोगो के बराबर का ही व्यक्ति हु अगर सम्मान करना है तो इसपर कुलपति जी को बैठाईए, फिर ऊँची कुर्सी वहा से हटा दी जाती हैं जिसके बाद अब्दुल कलाम सबके समान वाली कुर्सी पर ही बैठे. इस तरह अब्दुल कलाम अपने को सबके बराबर ही मानते थे यही नही अपनी इसी समानता के भाव के चलते अब्दुल कलाम कुरान और गीता दोनों का अध्धयन करते थे यानी उनके लिए कोई भी ग्रन्थ छोटा या बड़ा नही था बस ज्ञान जहा से मिले ले लेना चाहिए यही उनकी सोच थी।

☞ **दान की भावना :–** जब अब्दुल कलाम का चयन राष्ट्रपति के रूप में हो गया तो कलाम सर ने तुरंत एक चैरिटी को फोन किया और अपनी जीवन भर की जमापूंजी दान कर दी और कहा की आज से मेरा ख्याल तो अब भारत सरकार कर रही है इसलिए जो अब सैलरी भी मिलेगा उसे भी हम दान करते है अब्दुल कलाम खुद कहते थे की "सबसे उत्तम कार्य क्या है ? किसी भूखे को भोजन कराना, जरुरतमन्द की बेहिचक मदद करना, इन्सान के रूप दुसरो के लिए काम आना और किसी दुखी व्यक्ति की सेवा करना ही सबसे उत्तम उअर पूण्य देने वाला कार्य होता है". इस तरह अब्दुल कलाम का जीवन सादगी से भरा पड़ा था जो की सभी के लिए जीवन में आगे बढने एक प्रेरणास्रोत्र है।

डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सादगी, मितव्ययिता और ईमानदारी जैसे उन गुणों की मिसाल थे जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में दुर्लभ हो चले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरू और प्रधानमंत्री चाणक्य एक झोपड़ी में रहते थे. एक दिन एक मेहमान उनसे मिलने पहुंचा. चाणक्य एक दिये की रोशनी में बैठे कुछ लिख रहे थे. मेहमान के पहुंचने पर उन्होंने वह दिया बुझा दिया और एक दूसरा दिया जलाकर मेहमान से बातचीत करने लगे. हैरत में आए मेहमान ने थोड़ी देर बाद इसका कारण पूछा. चाणक्य ने बताया कि पहले वाले दिये में तेल सरकारी खर्चे में से डाला गया था. उसकी रोशनी में वे सरकारी काम कर रहे थे. आगंतुक उनका निजी मेहमान था इसलिए उन्होंने दूसरा दिया जला लिया जिसमें उनके पैसे से लाया गया तेल डाला गया था. संदेश यह था कि शासक को सरकारी और निजी खर्च में अंतर न सिर्फ समझना चाहिए बल्कि करना भी चाहिए। सदियों पुराना यह किस्सा कितना सच है कितना नहीं कहना मुश्किल है. लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़े ऐसे कई किस्से लोगों की स्मृतियों में हैं. बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इन किस्सों को अपने सामने घटते देखा है. दरअसल आज के दौर में जब जनसेवकों का एक बड़ा वर्ग राजा जैसा व्यवहार करता दिखने लगा है, कलाम ने सादगी, मितव्ययिता और ईमानदारी की कई अनुकरणीय मिसालें छोड़ी हैं. ये प्रेरणा भी हो सकती हैं और आईना भी :–

☞ एक बार कलाम के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन आए. कुल 50–60 लोग थे. स्टेशन से सब को राष्ट्रपति भवन लाया गया जहां उनका कुछ दिन ठहरने का कार्यक्रम था. उनके आने–जाने और रहने–खाने का सारा खर्च कलाम ने अपनी जेब से दिया. संबंधित अधिकारियों को साफ निर्देश था कि इन मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन की कारें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी. यह भी कि रिश्तेदारों के राष्ट्रपति भवन में रहने और खाने–पीने के सारे खर्च का ब्यौरा अलग से रखा जाएगा और इसका भुगतान राष्ट्रपति के नहीं बल्कि कलाम के निजी खाते से होगा. एक हफ्ते में इन रिश्तेदारों पर हुआ तीन लाख चौवन हजार नौ सौ चौबीस रुपये का कुल खर्च देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने अपनी जेब से भरा था। अपना कार्यकाल पूरा करके कलाम जब राष्ट्रपति भवन से जा रहे थे तो उनसे विदाई संदेश देने के लिए कहा गया. उनका कहना था, 'विदाई कैसी? मैं अब भी एक अरब देशवासियों के साथ हूं.'।

☞ इसी तरह एक बार कलाम आईआईटी (बीएचयू) के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनकर गए थे। वहां मंच पर जाकर उन्होंने देखा कि जो पांच कुर्सियां रखी गई हैं उनमें बीच वाली कुर्सी का आकार बाकी चार से बड़ा है. यह कुर्सी राष्ट्रपति के लिए ही थी और यही इसके बाकी

से बड़ा होने का कारण भी था. कलाम ने इस कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया. उन्होंने वाइस चांसलर (वीसी) से उस कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया. वीसी भला ऐसा कैसे कर सकते थे? आम आदमी के राष्ट्रपति के लिए तुरंत दूसरी कुर्सी मंगाई गई जो साइज में बाकी कुर्सियों जैसी ही थी।

☞ कलाम से जुड़ा तीसरा किस्सा तब का है जब राष्ट्रपति बनने के बाद वे पहली बार केरल गए थे। उनका ठहरना राजभवन में हुआ था. वहां उनके पास आने वाला सबसे पहला मेहमान कोई नेता या अधिकारी नहीं बल्कि सड़क पर बैठने वाला एक मोची और एक छोटे से होटल का मालिक था। एक वैज्ञानिक के तौर पर कलाम ने त्रिवेंद्रम में काफी समय बिताया था. इस मोची ने कई बार उनके जूते गांठे थे और उस छोटे से होटल में कलाम ने कई बार खाना खाया था। अपना कार्यकाल पूरा करके कलाम जब राष्ट्रपति भवन से जा रहे थे तो उनसे विदाई संदेश देने के लिए कहा गया. उनका कहना था, 'विदाई कैसी, मैं अब भी एक अरब देशवासियों के साथ हूं.'। आज कलाम नहीं हैं। फिर भी वे एक अरब देशवासियों के साथ हैं। उनके ये किस्से आज भी कइयों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं।

हर बात में से पॉजिटिव ढूंढ निकालने वाले डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने अन्ना हजारे के मूवमेंट से भी आइडिया निकाल लिया था। यह आइडिया आज देशभर में एक मिशन बन गया है। यह मिशन है बच्चों को फ्री किताबें प्रोवाइड करवाने का।

कलाम कई किताबों के को–राइटर और OSD रहे सृजन पाल सिंह ने dainikbhaskar-com के साथ बातचीत में इस आइडिया का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कलाम अन्ना हजारे के इस मूवमेंट को एक पोटेंशियल आइडिया की तरह देख रहे थे। दरअसल, कलाम इस बात पर विचार कर रहे थे कि कैसे लोगों की 'सिर्फ अपना' सोचने की टेंडेंसी को बदला जाए। बड़े स्तर पर अन्ना के साथ यूथ को जुड़ता देख कलाम ने एक नया विजन तैयार किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को देश, समाज और दुनिया के हित में काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस आइडिया के साथ कलाम ने सृजन पाल सिंह के साथ मिलकर 'वॉट केन आई गिव मिशन' की शुरुआत की। इसके तहत 'कलाम सेंटर' के नाम से निशुल्क लाइब्रेरी की चेन बनाई जा रही है। सृजन पाल सिंह ने कहा कि चाहे डॉ. कलाम शारीरिक रूप से हमारे बीच मौजूद न हों, पर उनकी प्रेरणा और सपने हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनके अधूरे सपनों को साकार करने का बीड़ा उठा चुके सृजन इसी सिलसिले में शुक्रवार को भोपाल आए थे। वे कई शहरों के साथ भोपाल में भी कलाम सेंटर के नाम से एक फ्री लाइब्रेरी स्थापित कर रहे हैं। चर्चा में उन्होंने कलाम और उनके सपनों से जुड़े कई पहलुओं पर बात की।

"सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना..."

–: अब्दुल कलाम

★ डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ और खास बातें :–

☞ डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह (एस.एल.वी. तृतीय) प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल है।

☞ जुलाई 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था।

☞ ए.पी.जे अब्दुल कलाम ने पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर विस्फोट भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की।

☞ इसके अलावा डॉक्टर कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच भी प्रदान की।

☞ कलाम ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न का सम्मान राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही प्राप्त हुआ है, अन्य दो राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं।

☞ यह प्रथम वैज्ञानिक हैं जो राष्ट्रपति बने हैं और प्रथम राष्ट्रपति भी हैं जो अविवाहित हैं।

☞ एक राष्ट्रपति के अलावा वह एक आम इन्सान के तौर पर वह युवाओं की पहली पसंद और प्रेरक हैं। उनके बातें, उनका व्यक्तित्व, उनकी पहचान न केवल एक राष्ट्रपति के रूप में हैं बल्कि जब भी लोग खुद को कमजोर महसूस करते हैं कलाम का नाम ही उनके लिए प्रेरणा बन जाता है।

★ डॉ. कलाम के दर्शन सिद्धान्त बेहद प्रभावशाली हैं:–

☞ जो लोग जिम्मेदार, सरल, ईमानदार एवं मेहनती होते हैं, उन्हे ईश्वर द्वारा विशेष सम्मान मिलता है। क्योंकि वे इस धरती पर उसकी श्रेष्ठ रचना हैं।

☞ किसी के जीवन में उजाला लाओ।

☞ दूसरों का आर्शिवाद प्राप्त करो, माता–पिता की सेवा करो, बडों तथा शिक्षकों का आदर करो, और अपने देश से प्रेम करो इनके बिना जीवन अर्थहीन है।

☞ देना सबसे उच्च एवं श्रेष्ठ गुणं है, परन्तु उसे पूर्णता देने के लिये उसके साथ क्षमा भी होनी चाहिये।

☞ कम से कम दो गरीब बच्चों को आत्मर्निभर बनाने के लिये उनकी शिक्षा में मदद करो।

☞ सरलता और परिश्रम का मार्ग अपनाओ, जो सफलता का एक मात्र रास्ता है।

☞ प्रकृति से सिखो जहाँ सब कुछ छिपा है।

☞ हमें मुस्कराहट का परिधान जरूर पहनना चाहिये तथा उसे सुरक्षित रखने के लिये हमारी आत्मा को गुणों का परिधान पहनाना चाहिये।

☞ समय, धैर्य तथा प्रकृति, सभी प्रकार की पिडाओं को दूर करने और सभी प्रकार के जख्मो को भरने वाले बेहतर चिकित्सक हैं।

☞ अपने जीवन में उच्चतम एवं श्रेष्ठ लक्ष्य रखो और उसे प्राप्त करो।

☞ प्रत्येक क्षण रचनात्मकता का क्षण है, उसे व्यर्थ मत करो।

अब्दुल कलाम, सादा जीवन, उच्च विचार तथा कडी मेहनत के उद्देश्य को मानने वाले वो महापुरूष हैं जिन्होने सभी उद्देशों को अपने जीवन में निरंतर जीया भी है।

प्रथम महिला राष्ट्रपति के पद पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल

प्रतिभा देवी सिंह पाटिल स्वतन्त्र भारत के 70 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति और 12 वीं राष्ट्रपति रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा पाटिल ने अपने प्रतिद्वंदी भैरोंसिंह शेखावत को तीन लाख से ज़्यादा मतों से हराया था। प्रतिभा पाटिल को 6,38,116 मूल्य के मत मिले, जबकि भैरोंसिंह शेखावत को 3,31,306 मत मिले। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को संसद के सेण्ट्रल हॉल में आयोजित समारोह में नव निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को अपना कार्यभार सौंपते हुए राष्ट्रपति भवन से विदा ली। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में जन्मी प्रतिभा के पिता का नाम श्री नारायणराव पाटिल थे। साड़ी और बड़ी सी बिंदी लगाने वाली यह साधारण पहनावे वाली महिला है राजनीति में आने से पहले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही थी। उन्होंने जलगाँव के मूलजी जेठा कालेज से स्नातकोत्तर (एम ए) और मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कालेज (मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध) से कानून की पढ़ाई की। वे टेबल टेनिस की अच्छी खिलाड़ी थीं तथा उन्होंने कई अन्तर्विद्यालयी प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त की। 1962 में वे एम जे कॉलेज में कॉलेज क्वीन चुनी गयीं। उसी वर्ष उन्होंने एदलाबाद क्षेत्र से विधानसभा (एसेंबली) के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विजय प्राप्त की। उनका विवाह शिक्षाविद देवीसिंह रणसिंह शेखावत के साथ 7 जुलाई, 1965 को हुआ। उनकी एक पुत्री तथा एक पुत्र है। श्री शेखावत के पूर्वज राजस्थान के सीकर जिले के थे और बाद में जलगांव महाराष्ट्र जाकर बस गये थे। प्रतिभा पाटिल के पिता सरकारी वकील थे, इस कारण परिवार में बेटी की शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल था। प्रतिभा पाटिल ने आरम्भिक शिक्षा नगरपालिका की प्राथमिक कन्या पाठशाला से आरम्भ की थी। कक्षा चार तक की पढ़ाई श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने उसी पाठशाला में की। फिर इन्होंने जलगाँव के नये अंग्रेज़ी स्कूल में कक्षा पाँच में दाखिला ले लिया। वर्तमान में उस स्कूल को 'आर.आर. विद्यालय' के नाम से जाना जाता है। विद्यालय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए भी प्रतिभा पाटिल ने अपने व्यक्तित्व का विकास अन्य गतिविधियों में लिप्त रहते हुए किया। भाषण, वाद–विवाद एवं खेलकूद की गतिविधियों में भी प्रतिभा पाटिल का वैशिष्ट्य भाव उभरकर सामने आया। वह मात्र शैक्षिक पुस्तकों में लिप्त नहीं रहती थीं, वरन् व्यक्तित्व के सभी पहलुओं की ओर उनका ध्यान था। प्रतिभा पाटिल को शास्त्रीय संगीत के प्रति भी गहरा लगाव था। टेबल टेनिस की भी वह निपुण खिलाड़ी थीं।

पाटिल परिवार की बेटी प्रतिभा पाटिल का पाणिग्रहण संस्कार डॉक्टर देवीसिंह रामसिंह शेखावत के साथ 31 वर्ष की उम्र में 7 जुलाई, 1965 को सम्पन्न हुआ था। पेशे से शिक्षक देवीसिंह शेखावत मूल रूप से राजस्थान के सीकर ज़िले के गाँव छोटी लोसल के निवासी थे, लेकिन काफ़ी समय पूर्व उनके पूर्वज जलगाँव (महाराष्ट्र) में स्थायी रूप से आ बसे थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल के एक बेटा और एक बेटी हैं। दोनों का विवाह हो चुका है। उनके बेटे का नाम 'राजेन्द्र सिंह शेखावत' और बेटी का नाम 'ज्योति राठौर' है। दादी एवं नानी के रूप में उन्हें आठ बच्चों का प्यार मिला है। प्रतिभा पाटिल ने विधि विश्वविद्यालय, मुम्बई से क़ानून की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् अपने पिता श्री

नारायण राव पाटिल की भाँति वकालत करने लगीं। वकालत के पेशे के साथ–साथ जलगाँव की ग़रीब एवं आदिवासी महिलाओं के उत्थान में भी वह महत्त्वपूर्ण योगदान देने लगीं। उस समय तक श्रीमती प्रतिभा पाटिल का राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं था। वकालत का पेशा भी अच्छा चल रहा था। उन्होंने जलगाँव में अपनी एक स्वतंत्र पहचान सफल एडवोकेट के रूप में बना ली थी।

श्रीमती पाटिल ने 27 वर्ष की अवस्था में 1962 में राजनीतिक जीवन का प्रारंभ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण की देखरेख में प्रारंभ की। प्रतिभा ने बड़े अन्तर से चुनाव की वैतरणी पार कर ली। एक ग़ैर राजनीतिक महिला ने सफलता का परचम लहराकर राजनीति में प्रवेश किया। इस प्रकार 1962 में मात्र 27 वर्ष की उम्र में ही प्रतिभा राजनीति में स्थापित हो गईं। 1967 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उन्हें पुनः चुना गया। तब 1967 से 1972 तक इन्होंने बतौर राज्यमंत्री जन स्वास्थ्य, आवास, पर्यटन, संसदीय कार्य आदि महत्त्वपूर्ण विभाग सफलता के साथ सम्भाला। उनके कार्यों की प्रशंसा भी हुई। विभिन्न विभागों से जुड़े रहने का प्रतिभा को यह अतिरिक्त लाभ मिला कि उन्हें मंत्रालयिक प्रशासन का पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान हो गया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। उन्होंने 1967 से 1972 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य, निषेध, पर्यटन, आवास और संसदीय कार्य, महाराष्ट्र सरकार में उप मंत्री पद पर कार्य किया। वे 1972 से 1974 तक महाराष्ट्र सरकार के समाज कल्याण विभाग,1974 से 1975 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग, 1975–1976 तक पुनर्वास और सांस्कृतिक कार्य विभाग और 1977 से 1978 तक शिक्षा विभाग में कैबिनेट मंत्री के पद आसीन रहीं। लेकिन जब 1978 में कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विधान सभा में विपक्ष में पहुँची तो प्रतिभा पाटिल लगभग एक वर्ष तक विपक्ष की नेता रहीं।

✯ **राज्यसभा के लिए चुनाव :–** 1979 में कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं प्राप्त हो सका। इसके बावजूद प्रतिभा पाटिल पुनः चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुँची। तब जुलाई, 1979 से फ़रवरी, 1980 तक उन्होंने विपक्षी नेता की भूमिका अदा की। 1980 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रतिभा लगातार पाँचवीं बार विजयी हुईं। इस बार उन्होंने 1982 से 1985 तक कैबिनेट मंत्री के तौर पर ग्रामीण विकास, समाज कल्याण एवं नागरिक आपूर्ति तथा आवास मंत्रालयों का कार्यभार पूरी ज़िम्मेदारी के साथ सम्भाला। कांग्रेस के केन्द्रीय आलाकमान की दृष्टि प्रतिभा के कार्यों पर केन्द्रित थी। यही कारण है कि उनकी योग्यताओं को देखते हुए इन्हें राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर लाना आवश्यक समझा गया। इन्हें 1985 में राज्यसभा के लिए चुन लिया गया। 1972 से 1985 तक फिर वे महाराष्ट्र सरकार में शहरी विकास

और आवास तथा 1983–1995 तक नागरिक आपूर्ति और समाज कल्याण के विभागों में कैबिनेट मंत्री रहीं। 1985 में वे राज्यसभा पहुँची और 1986 में राज्यसभा की उप सभापति बनी। 18 नवम्बर 1986 से 5 नवम्बर 1988 तक वे सभापति, राज्य सभा भी रहीं। वे श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल प्रदेश कांग्रेस समिति महाराष्ट्र की अध्यक्षा (1988–1989),मे राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक एवं ऋण संस्थाओं की निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की शासी परिषद की 1986 में प्रतिभा को दो वर्ष के लिए राज्यसभा के उपसभापति पद का दायित्व सौंपा गया। इस नयी ज़िम्मेदारी को भी उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। उन्होंने सदन संचालन का दायित्व पद की गरिमा के अनुकूल किया। 1990 में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक प्रतिभा पाटिल राज्यसभा में रहीं। उसके बाद उन्होंने अपने गृह क्षेत्र जलगाँव में जाकर सामाजिक समस्याओं का समाधान करना आरम्भ कर दिया। सदस्य रही हैं।

✯ **राज्यपाल का पद :–** 1991 में कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती प्रतिभा पाटिल को अमरावती सीट से लोकसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। यह कांग्रेस का इन पर किया गया विश्वास था। इसके पूर्व उन्हें कभी भी लोकसभा का टिकट प्राप्त नहीं हुआ था। अमरावती सीट से वह लोकसभा के लिए चुनी गईं। कांग्रेस पार्टी के लिए प्रतिभा पाटिल ने अपने जीवन के अमूल्य वर्ष दिये थे। उनकी समाज और कांग्रेस पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए 2004 में उन्हें एक सर्वथा नयी ज़िम्मेदारी प्रदान की गई। इस बार वह जनप्रतिनिधि नहीं थीं, बल्कि उनका चयन राजस्थान के राज्यपाल पद के लिए किया गया था। उस समय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहाँ बतौर महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थीं।

✯ **राष्ट्रपति का पद :–** राष्ट्रपति पद के लिए यूँ तो कई नामों पर चर्चा की गई, लेकिन अन्त में दो नाम रह गए थे, जो यू.पी.ए. और वाम मोर्चा द्वारा अन्तिम रूप से विचारित होने थे। दोनों नाम महिला उम्मीदवारों के थे–एक, गांधीवादी विचारधारा वाली निर्मला देशपाण्डे और दूसरी, राजस्थान की तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल। फिर श्रीमती प्रतिभा

पाटिल के नाम पर दोनों दलों द्वारा सहमति होते ही विपक्ष की राय लेने का इंतज़ार नहीं किया गया। प्रतिभा पाटिल की उम्मीदवारी घोषित होने के पश्चात् बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने प्रतिभा पाटिल को समर्थन देने का भरोसा दिलाया, जो यू. पी.ए. तथा तथा वामदलों के लिए राहत का सन्देश था। इसी प्रकार महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने भी महाराष्ट्रियन महिला के राष्ट्रपति बनने की राह को हमवार बनाने का इरादा ज़ाहिर कर दिया। इससे प्रतिभा पाटिल का राष्ट्रपति भवन में जाना निश्चित हो गया।

★ **पद व गोपनीयता की शपथ :–** 14 जून, 2007 को नाटकीय घटनाक्रम के बाद अन्ततः यू.पी.ए. और वामदलों ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम अन्तिम रूप से तय कर लिया। वह नाम था–राजस्थान की तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल शेखावत का। श्रीमती प्रतिभा पाटिल से माउंट आबू में फोन पर बात करके उन्हें राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार बनाये जाने की जानकारी दी गई। प्रतिभा पाटिल ने कुछ क्षण हैरानी में गुजारने के बाद अपनी स्वीकृति दे दी। तब मीडिया को राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्याशी की जानकारी दी गई। इस प्रकार एक माह से चल रही वार्ताओं और अनिश्चितताओं पर विराम लग गया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने बुधवार 25 जुलाई, 2007 को औपचारिक रूप से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का दायित्व ग्रहण किया। उन्हें दोपहर के 2.30 बजे संसद के केन्द्रीय भवन में मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही ए.पी. जे. अब्दुल कलाम भी औपचारिक रूप से राष्ट्रपति भवन से विदा हो गए। श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने अंग्रेज़ी में शपथ ग्रहण की। शपथ लेने के बाद श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने परम्परा का निर्वाह करते हुए निवर्तमान राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से सीट परिवर्तित की। तभी उनके सम्मान में संसद के बाहर 21 तोपों की ध्वनि गूँज उठी। यह कार्यक्रम 20 मिनट तक चला था। इस समारोह में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी, राज्यसभा के कार्यवाहक सभापति आर. रहमान ख़ान, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोसिंह शेखावत, यू.पी.ए. अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं इन्द्रकुमार गुजराल, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता जसवन्त सिंह सहित मंत्री, राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री मौजूद थे।

उन्होंने भारत की महिलाओं और बच्चों के कल्याण और समाज के उपेक्षित वर्गों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने उनकी प्रगति के लिए विभिन्न संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने मुंबई और दिल्ली में काम करने वाली महिलाओं के लिए हॉस्टल की स्थापना की, ग्रामीण युवाओं के लिए जलगांव में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। श्रम साधना ट्रस्ट जो कि महिलाओं की उन्नति के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियों में शामिल है। उन्होंने नेत्रहीन विकलांगों बच्चों के लिए जलगांव में एक औद्योगिक प्रशिक्षण स्कूल भी स्थापित किया है। विमुक्ता जातियों (नॉमैडीक जनजाति) और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल स्थापित किया। इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र अमरावती में एक कृषि विज्ञान केंद्र (किसान प्रशिक्षण केंद्र) खोल दिया है। उन्होंने महिला विकास महामंडल की नींव में एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई जिसमें महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अमरावती, महाराष्ट्र में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए संगीत, कंप्यूटर और सिलाई कक्षाएं आयोजित करने में भी विशेष योगदान दिया।

★ **संकटकालीन परिस्थितियाँ :–** श्रीमती प्रतिभा पाटिल को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य करने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, तथापि वे राज्यपाल पद की गरिमा के विषय में पूर्ण जानकारी रखती थीं। बहरहाल उनका राजस्थान का राज्यपाल बनना इस दृष्टि से चुनौतीपूर्ण कार्य था, कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार थी और

स्वयं प्रतिभा पाटिल पूर्व में कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिज्ञ रह चुकी थीं। राजस्थान की राज्यपाल के रूप में उन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह अंजाम दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार के साथ मज़बूती से खड़ी भी नजर आईं। राज्यपाल के रूप में श्रीमती प्रतिभा पाटिल का मर्यादित आचरण प्रशंसा का विषय तब बना, जब राजस्थान में गुर्जरों ने आरक्षण की माँग को लेकर हिंसक प्रदर्शन किए और सड़क तथा रेल मार्ग को बाधित कर दिया। उससे एक क़दम आगे बढ़कर यह भी हुआ कि मीणा समाज के लोग जनजाति आरक्षण में बँटवारे का विरोध करने के लिए गुर्जर समाज के मुकाबले में आ खड़े हुए। कुछ स्थानों पर दोनों समुदायों में हिंसक टकराव भी हुआ। राजस्थान जैसा शान्त प्रदेश आरक्षण के कारण जातीय हिंसा की चपेट में आ गया था। राजनीतिक दूरदर्शिता से ही इस टकराव को टाला जा सकता था। यह वह समय था, जब सम्पूर्ण प्रदेश और देश की निगाहें प्रतिभा पाटिल पर लगी थीं। लोगों को उम्मीद थी कि 'लॉ एण्ड ऑर्डर' के पूर्णतया विफल होने पर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जाएगी। लेकिन प्रतिभा पाटिल ने लोकतांत्रिक सरकार को मौक़ा दिया कि वह प्रदेश में क़ानून व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाए। वह भी तब जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यदि कोई अन्य दुराग्रही राज्यपाल होता, तो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को ढाल बनाकर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर सकता था, लेकिन श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने ऐसा नहीं किया। केन्द्र में यू.पी.ए. गठबंधन वाली सरकार थी और वाम मोर्चा उसके साथ था। निवर्तमान राष्ट्रपति ए.पी. जे. अब्दुल कलाम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें पुनः राष्ट्रपति चुना जा सकता था। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी चाहती थीं, कि सर्वदलीय सहमति से राष्ट्रपति पद के लिए नाम तय कर लिया जाए। इस दिशा में उन्होंने अपनी ओर से पहल करके भाजपा तथा अन्य राजनीतिक पार्टियों से इस विषय पर चर्चा करने का प्रस्ताव किया।

इसमें कोई सन्देह नहीं था, कि यदि 'मिसाइल मैन' ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नाम पर आम सहमति का प्रस्ताव आगे बढ़ता तो उनका लगातार दूसरा कार्यकाल निश्चित था। लेकिन कुछ समय पहले जब 'मिसाइल मैन', राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से पुनः राष्ट्रपति बनने के विषय में मीडिया ने पूछा तो उन्होंने अनिच्छा ज़ाहिर कर दी। इस कारण श्रीमती सोनिया गांधी के सामने उनके नाम पर मज़बूती से विचार किए जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। महान् व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी अब्दुल कलाम भारत के सच्चे सपूत हैं। उनका सम्पूर्ण जीवन भारत की उन्नति के प्रयासों में ही गुजरा है। कई राजनीतिक समीक्षकों का अनुमान है कि यदि मिसाइल मैन के सन्दर्भ में विपक्ष ने उस समय सोनिया गांधी से बातचीत की होती, जब सर्वसम्मति से राष्ट्रपति निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया गया था, तो उनके नाम पर आम सहमति अवश्य बन जाती। लेकिन विपक्ष द्वारा प्रस्ताव ठुकरा दिये जाने के कारण मिसाइल मैन के पुनः राष्ट्रपति बनने की सम्भावना धूमिल हो गई।

★ **सामाजिक कार्य** :– राजनीती के अलावा श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हमेशा सामाजिक कार्यो से भी जुड़ी रही. महिलाओं के कल्ध्याण एवं ग्रामीण अर्थव्व्यवस्था के विकास के लिए श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने बहुत से कार्य किये. जलगांव जिले में महिला होम गार्ड की स्थापना की. निर्धन और जरूरतमंद महिलाओं के लिए सिलाई, संगीत एवं कंप्यूटर की कक्षायें भी खुलवाई. पिछड़े वर्गों, गरीब और अन्ध्य पिछड़े वर्गों के बच्च्चों के लिए नर्सरी स्च्कूल की स्थापना भी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने की. अमरावती में दृष्टिहीनों के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय एवं किसानों को अच्छी फसल उगाने की वैज्ञानिक तकनीकें सिखाने के लिए 'कृषि विज्ञान केंद्र' की स्थापना की। मुंबई एवं दिल्ली में घर से दूर रहने वाली कामकाजी लडकियों एवं महिलाओं के लिए हॉस्टल खुलवाए। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रतिभा जी ने महिला विकास के ओर विशेष ध्यान दिया, महिला व बाल विकास के लिए कई नियमों का उल्लेखन प्रतिभा जी ने करवाया. प्रतिभा जी राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहते हुए एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्त्ता भी थी. वे समय समय पर बच्चों व महिलाओं से मिलकर उनकी समस्या सुनती थी, और उसके निदान के लिए तुरंत कदम उठती थी। एक महिला होते हुए भी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति पद त क पहुची और सफलतापूर्वक कार्य संभाला. उन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया की ओरतें सिर्फ घर संभाल सकती, मौका मिले तो वे देश भी बखूबी चला सकती है. प्रतिभा जी के राष्ट्रपति बनने के बाद देश की हर महिला उनसे विशेष उम्मीद लगाये बैठी थी, सबको उम्मीद थी कि प्रतिभा जी महिलाओं के लिए अच्छे कार्य करेंगी, इस बात को उन्होंने सच कर दिखाया और आज देश की हर महिला को प्रतिभा जी पर गर्व है। सभी के लिए श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी एक प्रेरणा है।

★ **उम्मीदों पर खरी उतरी :–** श्रीमती पाटिल के राष्ट्रपति पद पर चयन से महिलाओं को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी वे अपने सामाजिक कार्य से पीछे नहीं हटी हैं. वे लगातार बच्चों की शिक्षा की तरफ पूरी तरह से कोशिश करती रहती है और बच्चों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझती हैं तथा सरकार को उनके कल्याण का उपाय करने का निर्देश देती हैं इन उम्मीदों पर वे काफी हद तक खरी उतरी हैं।

★ **सुनहरे अवसर :–** श्रीमती प्रतिभा पाटिल की सरकार ने पिछले वर्षों में महिलाओं और बच्चों के लिए कई प्रकार के कार्य करवाए और उन्होंने कई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण कामकाजी महिलाओं को रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान किए गए हैं।

★ **नई दिशा दिखाई :–** इनके समय में सामाजिक कार्य और महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को तीव्र गति से लागू करने की कोशिश करी. जो भी हो श्रीमति पाटिल के नेतृत्व में देश को एक नई राजनीतिक एवं सामाजिक दिशा मिली और आज देश की हर महिला को प्रतिभा जी पर गर्व है सभी के लिए श्री मती प्रतिभा पाटिल एक प्रेरणा बनी है।

प्रखर और संजीदा व्यक्तित्व के धनी राष्ट्रपति
प्रणव मुखर्जी

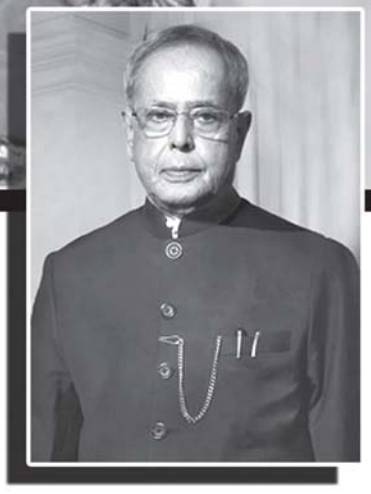

प्रणव मुखर्जी संजीदा व्यक्तित्व वाले नेता हैं। पार्टी के वरिष्ठतम नेता होने के कारण वह राजनीति की भी अच्छी समझ रखते हैं। बंगाली परिवार से होने के कारण उन्हें रबिंद्र संगीत में अत्याधिक रुचि है। प्रणब मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के अन्य निवासियों की तरह ही माँ दुर्गा का उपासक भी माना जाता है और दुर्गा पूजा के दौरान वे माता की उपासना भी करते हैं। प्रणव मुखर्जी को पढ़ने, लिखने, बागवानी और संगीत का बहुत शौक है. प्रणब को बागवानी, किताबें पढ़ना और संगीत पसंद है। प्रणब का पसंदीदा खाना है फिश करी। वह मंगलवार को छोड़कर क़रीब–क़रीब रोज़ ही फिश करी खाते हैं। वे रोज सुबह जल्दी उठते हैं। पूजा के बाद वह अपने काम पर लग जाते हैं। दिन में एक घंटा सोते भी हैं। रात को सोने से पहले वे पढ़ते हैं। प्रणब दा रोज 18 घंटे काम करते हैं। उन्हें पढ़ने, गार्डनिंग व संगीत सुनने का भी शौक़ है। सुकांत भट्टाचार्य का लिखा और हेमंता मुखर्जी का गाया 'अबक पृथ्वी' उनका पसंदीदा गीत है। इसके अलावा रवीन्द्र संगीत भी वो काफ़ी पसंद करते हैं। इसके अलावा प्रणब दा चाकलेट खाना खूब पसंद करते हैं। चाचा चौधरी की कॉमिक्स के फैन रहे हैं। प्रणव कुमार मुखर्जी भारत के तेरहवें राष्ट्रपति रह चुके हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिपक्षी प्रत्याशी पी.ए. संगमा को हराया। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के तेरहवें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। प्रणब मुखर्जी ने किताब 'द कोलिएशन ईयर्सः 1996–2012' लिखा है।

प्रणव मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में किरनाहर शहर के निकट स्थित मिराती गाँव के एक ब्राह्मण परिवार में कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के यहाँ हुआ था। उनके पिता 1920 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने के साथ पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1952 से 64 तक सदस्य और वीरभूम (पश्चिम बंगाल) जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे।उनके पिता एक सम्मानित स्वतन्त्रता सेनानी थे,। जिन्होंने ब्रिटिश शासन की खिलाफत के परिणाम स्वरूप 10 वर्षो से अधिक जेल की सजा भी काटी थी।

प्रणव मुखर्जी ने सूरी (वीरभूम) के सूरी विद्यासागर कॉलेज में शिक्षा पाई, कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ साथ कानून की डिग्री हासिल की है। वे एक वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके हैं। उन्हें मानद डी.लिट उपाधि भी प्राप्त है। उन्होंने पहले एक कॉलेज प्राध्यापक के रूप में और बाद में एक पत्रकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। वे बाँग्ला प्रकाशन संस्थान देशेर डाक (मातृभूमि की पुकार) में भी काम कर चुके हैं। प्रणव मुखर्जी बंगीय साहित्य परिषद के ट्रस्टी एवं अखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। प्रणव का विवाह बाइस वर्ष की आयु में 13 जुलाई 1957 को शुभ्रा मुखर्जी के साथ हुआ था। उनके दो बेटे और एक बेटी – कुल तीन बच्चे हैं।

★ **राजनीतिक कैरियर :–** उनका संसदीय कैरियर करीब पाँच दशक पुराना है, जो 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में (उच्च सदन) से शुरू हुआ था। वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर से चुने गये। 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उप मन्त्री

के रूप में मन्त्रिमण्डल में शामिल हुए। वे सन 1982 से 1984 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे और और सन् 1984 में भारत के वित्त मंत्री बने। सन 1984 में, यूरोमनी पत्रिका के एक सर्वेक्षण में उनका विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में मूल्यांकन किया गया।(5) उनका कार्यकाल भारत के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के ऋण की 1.1 अरब अमरीकी डॉलर की आखिरी किस्त नहीं अदा कर पाने के लिए उल्लेखनीय रहा। वित्त मंत्री के रूप में प्रणव के कार्यकाल के दौरान डॉ॰ मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी की समर्थक मण्डली के षड्यन्त्र के शिकार हुए जिसने इन्हें मन्त्रिमणडल में शामिल नहीं होने दिया। कुछ समय के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। उस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, लेकिन सन 1989 में राजीव गान्धी के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने अपने दल का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया।(6) उनका राजनीतिक कैरियर उस समय पुनर्जीवित हो उठा, जब पी.वी. नरसिंह राव ने पहले उन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में और बाद में एक केन्द्रीय कैबिनेट मन्त्री के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने राव के मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक पहली बार विदेश मन्त्री के रूप में कार्य किया। 1997 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद चुना गया। सन 1985 के बाद से वह कांग्रेस की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के भी अध्यक्ष हैं। सन 2004 में, जब कांग्रेस ने गठबन्धन सरकार के अगुआ के रूप में सरकार बनायी, तो कांग्रेस के प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह सिर्फ एक राज्यसभा सांसद थे। इसलिए जंगीपुर (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले प्रणव मुखर्जी को लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया। उन्हें रक्षा, वित्त, विदेश विषयक मन्त्रालय, राजस्व, नौवहन, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य और उद्योग, समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मन्त्रालयों के मन्त्री होने का गौरव भी हासिल है। वह कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके हैं, जिसमें देश के सभी कांग्रेस सांसद और विधायक शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोकसभा में सदन के नेता, बंगाल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंत्रिपरिषद में केन्द्रीय वित्त मन्त्री भी रहे। लोकसभा चुनावों से पहले जब प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह ने अपनी बाई–पास सर्जरी कराई, प्रणव दा विदेश मन्त्रालय में केन्द्रीय मंत्री होने के बावजूद राजनैतिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष और वित्त मन्त्रालय में केन्द्रीय मन्त्री का अतिरिक्त प्रभार लेकर

मन्त्रिमण्डल के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे।

★ **राजनीतिक दल में भूमिका :–** मुखर्जी को पार्टी के भीतर तो मिला ही, सामाजिक नीतियों के क्षेत्र में भी काफी सम्मान मिला है। अन्य प्रचार माध्यमों में उन्हें बेजोड़ स्मरणशक्ति वाला, आंकड़ाप्रेमी और अपना अस्तित्व बरकरार रखने की अचूक इच्छाशक्ति रखने वाले एक राजनेता के रूप में वर्णित किया जाता है। जब सोनिया गान्धी अनिच्छा के साथ राजनीति में शामिल होने के लिए राजी हुईं तब प्रणव उनके प्रमुख परामर्शदाताओं में से रहे, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में उन्हें उदाहरणों के जरिये बताया कि उनकी सास इंदिरा गांधी इस तरह के हालात से कैसे निपटती थीं। मुखर्जी की अमोघ निष्ठा और योग्यता ने ही उन्हें यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंह के करीब लाया और इसी वजह से जब 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आयी तो उन्हें भारत के रक्षा मंत्री के प्रतिष्ठित पद पर पहुँचने में मदद मिली। सन 1991 से 1996 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहे।

★ **कैबिनेट मंत्री :–** उसके बाद वे 3 साल के अंदर ही वर्ष 1973 में केंद्र सरकार में प्रणब मुखर्जी ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए औद्योगिक विकास (इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट) मंत्रालय में उप–मंत्री का पदभार संभाला। प्रणब मुखर्जी सन 1974 में केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री बने। प्रणब वर्ष 1982 से 1984 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे। इसके

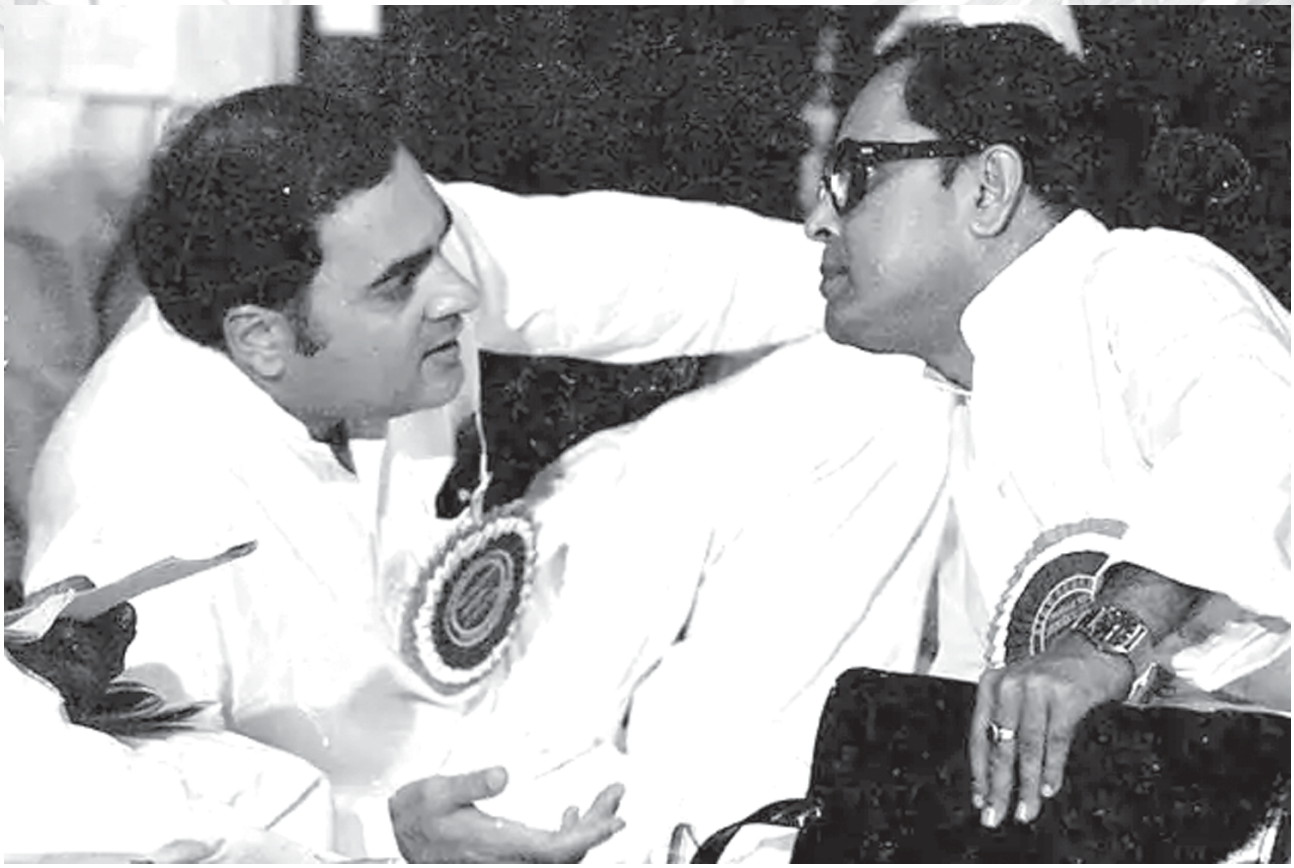

बाद वर्ष 1984 में वह पहली बार भारत के वित्त मंत्री बने। प्रणब मुखर्जी ने सन 1982–83 के लिए पहला बजट सदन में पेश किया। वह 7 बार कैबिनेट मंत्री रहे। जिसमें 2 बार वाणिज्य मंत्री, 2 बार विदेश मंत्री और एक बार रक्षा मंत्री जैसे महत्त्वपूर्ण कैबिनेट पद शामिल हैं। 1982–84 में जब वे भारत के वित्त मंत्री थे तो यूरोमनी मैगजीन ने उनका मूल्यांकन विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के तौर पर किया था।

★ **वित्त मन्त्री** :– मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में मुखर्जी भारत के वित्त मन्त्री बने। इस पद पर वे पहले 1980 के दशक में भी काम कर चुके थे। 6 जुलाई 2009 को उन्होंने सरकार का वार्षिक बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने क्षुब्ध करने वाले फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और कमोडिटीज ट्रांसक्शन कर को हटाने सहित कई तरह के कर सुधारों की घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि वित्त मन्त्रालय की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि माल और सेवा कर लागू किये बगैर काम चला सके। उनके इस तर्क को कई महत्वपूर्ण कॉरपोरेट अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों ने सराहा। प्रणव ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, लड़कियों की साक्षरता और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए समुचित धन का प्रावधान किया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, बिजलीकरण का विस्तार और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन सरीखी बुनियादी सुविधाओं वाले कार्यक्रमों का भी विस्तार किया। हालांकि, कई लोगों ने 1991 के बाद लगातार बढ़ रहे राजकोषीय घाटे के बारे में चिन्ता व्यक्त की, परन्तु मुखर्जी ने कहा कि सरकारी खर्च में विस्तार केवल अस्थायी है और सरकार वित्तीय दूरदर्शिता के सिद्धान्त के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रणव मुखर्जी के नाम पर एक बार भारतीय राष्ट्रपति जैसे सम्मानजनक पद के लिए भी विचार किया गया था। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमण्डल में व्यावहारिक रूप से उनके अपरिहार्य योगदान को देखते हुए उनका नाम हटा लिया गया। मुखर्जी की वर्तमान विरासत में अमेरिकी सरकार के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर भारत–अमेरिका के सफलतापूर्वक हस्ताक्षर और परमाणु अप्रसार सन्धि पर दस्तखत नहीं होने के बावजूद असैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के साथ हुए हस्ताक्षर भी शामिल हैं। सन 2007 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया।

★ **कांग्रेस से अलग पार्टी का गठन** :– इन्दिरा गांधी की हत्या के पश्चात, राजीव गांधी सरकार की कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी को शामिल नहीं किया गया। इस बीच प्रणब मुखर्जी ने 1986 में अपनी अलग राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस (राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी दल) का गठन किया। लेकिन जल्द ही वर्ष 1989 में राजीव गांधी से विवाद का निपटारा होने के बाद प्रणब मुखर्जी ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया। पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव उन्हें पार्टी में दोबारा लेकर आये थे। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च निकाय (ब्ब्) कार्य समिति के 1978 में सदस्य बने। वर्ष 1985 तक प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन काम का बोझ बढ़ जाने के कारण उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था।

★ **लोकसभा सांसद** :– प्रणब मुखर्जी पहली बार वह लोकसभा के लिए पश्चिम बंगाल के जंगीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 13 मई 2004 को चुने गए थे और इसी क्षेत्र से दुबारा 2009 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। इतने सालों तक, राज्यसभा के सदस्य के तौर पर राजनीति करने के बाद, प्रणब मुखर्जी पहली बार लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए और, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से सबसे अधिक 1, 28,252 मतों से जीतने वाले सदस्य रहे।

★ **लोकसभा में सदन के नेता :–** 2004 में कांग्रेस पार्टी के दोबारा से सत्ता में आने के बाद से वे फिर से मंत्रिमंडल में वरिष्ठ सदस्य के तौर पर शामिल हुए। सन 2004 में जब कांग्रेस ने गठबंधन सरकार के अगुआ के रूप में सरकार बनाई तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ एक राज्यसभा सांसद ही थे। इसलिए प्रणब मुखर्जी को लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया। मुखर्जी की अमोघ निष्ठा और योग्यता ने उन्हें सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के क़रीब लाया। इस वजह से जब 2004 में पार्टी सत्ता में आई तो उन्हें भारत के रक्षा मंत्री के प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने में मदद मिली। 24 अक्टूबर 2006 को उन्हें भारत का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। रक्षा मंत्रालय में उनकी जगह ए.के. एंटनी ने ली, जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और दक्षिणी राज्य केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। वह यूपीए की सरकार में 24 जनवरी 2009 से वित्त मंत्रालय का पदभार संभाल रहे थे।

2005 के प्रारम्भ में पेटेण्ट संशोधन बिल पर समझौते के दौरान उनकी प्रतिभा के दर्शन हुए। कांग्रेस एक आईपी विधेयक पारित करने के लिए प्रतिबद्ध थी, लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल वाममोर्चे के कुछ घटक दल बौद्धिक सम्पदा के एकाधिकार के कुछ पहलुओं का परम्परागत रूप से विरोध कर रहे थे। रक्षा मन्त्री के रूप में प्रणव मामले में औपचारिक रूप से शामिल नहीं थे, लेकिन बातचीत के कौशल को देखकर उन्हें आमन्त्रित किया गया था। उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिष्ट नेता ज्योति बसु सहित कई पुराने गठबन्धनों को मनाकर मध्यस्थता के कुछ नये बिंदु तय किये, जिसमे उत्पाद पेटेण्ट के अलावा और कुछ और बातें भी शामिल थीं; तब उन्हें, वाणिज्य मन्त्री कमल नाथ सहित अपने सहयोगियों यह कहकर मनाना पड़ा कि: "कोई कानून नहीं रहने से बेहतर है एक अपूर्ण कानून बनना।"अंत में 23 मार्च 2005 को बिल को मंजूरी दे दी गई।

★ **अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका :–** 10 अक्टूबर 2008 को मुखर्जी और अमेरिकी विदेश सचिव कोंडोलीजा राइस ने धारा 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रशासक बोर्ड के सदस्य भी थे। सन 1984 में उन्होंने आईएमएफ और विश्व बैंक से जुड़े ग्रुप–24 की बैठक की अध्यक्षता की। मई और नवम्बर 1995 के बीच उन्होंने सार्क मन्त्रिपरिषद सम्मेलन की अध्यक्षता की।

★ **भ्रष्टाचार पर विचार :–** मुखर्जी की खुद की छवि पाक–साफ है, परन्तु सन् 1998 में रीडिफ.कॉम को दिये गये एक साक्षात्कार में उनसे जब कांग्रेस सरकार, जिसमें वह विदेश मंत्री थे, पर लगे भ्रष्टाचार के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा–"भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। घोषणा पत्र में हमने इससे निपटने की बात कही है। लेकिन मैं यह कहते हुए क्षमा चाहता हूँ कि ये घोटाले केवल कांग्रेस या कांग्रेस सरकार तक ही सीमित नहीं हैं। बहुत सारे घोटाले हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेता उनमें शामिल हैं। तो यह कहना काफी सरल है कि कांग्रेस सरकार भी इन घोटालों में शामिल थी।"

★ **सम्मान पुरस्कार और विशिष्टता :–** न्यूयॉर्क से प्रकाशित पत्रिका, यूरोमनी के एक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 1984 में दुनिया के पाँच सर्वोत्तम वित्त मन्त्रियों में से एक प्रणव मुखर्जी भी थे। सन् 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला।

वित्त मन्त्रालय और अन्य आर्थिक मन्त्रालयों में राष्ट्रीय और आन्तरिक रूप से उनके नेतृत्व का लोहा माना गया। वह लम्बे समय के लिए देश की आर्थिक नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में ही भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की अन्तिम किस्त नहीं लेने का गौरव अर्जित किया। उन्हें प्रथम दर्जे का मन्त्री माना जाता है और सन 1980–1985 के दौरान प्रधानमन्त्री की अनुपस्थिति में उन्होंने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता की। सन् 2008 के दौरान सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया।

★ **उपलब्धियां और योगदान :–** प्रणब मुखर्जी को कई प्रतिष्ठित और हाई प्रोफाइल मंत्रालय संभालने जैसी विशिष्टता प्राप्त है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश विषयक मंत्रालय, शिपिंग, राजस्व, नौवहन, यातायात, संचार, वाणिज्य और उद्योग, आर्थिक मामले जैसे लगभग सभी महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी हैं। वह कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी रह चुके है। साथ–साथ वह

लोकसभा में सदन के नेता, बंगाल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंत्रीपरिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके है। लोकसभा चुनावों से पहले जब प्रधानमंत्री ने बाई–पास सर्जरी कराई, प्रणब, विदेश मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष और वित्त मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री का अतिरिक्त प्रभार लेकर मंत्रिमंडल के संचालन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले कई सालों तक वह कांग्रेस के मिस्टर भरोसेमंद रहे हैं। भारतीय राजनीति, आर्थिक मामलों व नीतिगत मुद्दों की गहरी समझ रखने वाले प्रणब को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की केबिनेट में सबसे अनुभवी माना जाता है। प्रणब को संपूर्ण राजनीतिज्ञ माना जाता है। 10 अक्तूबर 2008 को प्रणब मुखर्जी और अमेरिकी विदेश सचिव कोंडोलीजा राइस ने धारा 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रणब मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व बैंक (इंटरनेशन मॉनिटरी फंड), एशियाई विकास बैंक (एशियन डेवलपमेंट बैंक) और अफ्रीकी विकास बैंक (अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक) के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के गवर्नरों से एक रह चुके हैं। राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात् जब सोनिया गांधी ने राजनीति में आने का निर्णय लिया तब प्रणब मुखर्जी ने उनके सलाहकार और मार्गदर्शक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। कांग्रेस के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के बाद ही सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2004 में रक्षा मंत्रालय सौंपा गया। वर्ष 2005 में पेटेंट संशोधन अधिनियम के दौरान जब यूपीए सांसदों के भीतर मनमुटाव पैदा हो गया, जिसकी वजह से कोई राय नहीं बन पा रही थे, ऐसे समय में प्रणब मुखर्जी ने अपनी सूझबूझ और कुशल रणनीति का परिचय देकर, ज्योति बसु सहित कई पुराने गठबंधनों को मनाकर मध्यस्थता के कुछ नये बिंदु तय किये, जिसमें उत्पाद पेटेंट के अलावा और कुछ और बातें शामिल थीं। तब उन्हें, वाणिच्य मंत्री कमल नाथ सहित अपने सहयोगियों यह कहकर मनाना पड़ा कि कोई क़ानून नहीं रहने से बेहतर है एक अपूर्ण क़ानून बनना। अंत में 23 मार्च 2005 को बिल को मंजूरी दे दी गई। मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रणब मुखर्जी को दोबारा वित्त–मंत्रालय का कार्यभार प्रदान किया गया। मुखर्जी की वर्तमान विरासत में अमेरिकी सरकार के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर भारत–अमेरिका के सफलतापूर्वक हस्ताक्षर और परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं होने के बावजूद असैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के साथ हुआ हस्ताक्षर शामिल है। सन 2007 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, लड़कियों की साक्षरता और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए और धन का प्रावधान किया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, बिजलीकरण का विस्तार और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की तरह बुनियादी सुविधाओं वाले कार्यक्रमों का भी विस्तार किया। हालांकि, कई लोगों ने 1991 के बाद से सबसे अधिक बढ़ रहे राजकोषीय घाटे के बारे में चिंता व्यक्त की। श्री मुखर्जी ने कहा कि सरकारी खर्च में विस्तार केवल अस्थायी है और सरकार वित्तीय दूरदर्शिता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है।

★ प्रणब मुखर्जी के जीवन से जुड़ी रोचक बातें :–

☞ **नंबर 13 से अजीब रिश्ता :–** प्रणब मुखर्जी का 13 से अनोखा नाता रहा है। वे 13 वें राष्ट्रपति बनने के लिए मैदान में उतरे। 13 नंबर का बंगला है दिल्ली में। 13 तारीख को आती है शादी की सालगिरह। इतना ही नहीं 13 जून, 2012 को ही ममता ने प्रणब का नाम उछाला था।

☞ **तुम इसी लाइफ में बनोगे राष्ट्रपति' :–** जब 1969 में प्रणब राज्यसभा के सदस्य बने तो उनका आधिकारिक घर राष्ट्रपति संपदा के पास ही था। राष्ट्रपति भवन के ठाठ को प्रणब खूब निहारा करते थे। एक दिन उन्होंने राष्ट्रपति की घोड़े वाली बग्गी को देखकर अपनी बहन अन्नापूर्णा बनर्जी से कहा कि इस आलीशान राष्ट्रपति भवन का आनंद उठाने के लिए वो अगले जन्म में घोड़ा बनना पसंद करेंगे। लेकिन तब उनकी बहन ने उन्हें कहा था – 'इसके लिए तुम्हें अगले जन्म तक रुकना नहीं पड़ेगा बल्कि इसी जन्म में तुम्हें इसमें रहने का मौका मिलेगा।'

☞ **बचपन से ही थे जिद्दी :–** प्रणब मुखर्जी के जो तेवर आज दिखते हैं वही तेवर आज बचपन में भी दिखते थे। अपनी जिद्द के चलते उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के दौरान डबल प्रोमोशन पाया। दरअसल दूसरी कक्षा में उन्होंने अपने परिवार वालों से मिराती गांव के स्कूल जाने से इंकार कर दिया। वह किरनाहर स्थित स्कूल में प्रवेश पाना चाहते थे। किरनाहर स्थित स्कूल पांचवी कक्षा से था। ऐसे में प्रणब ने किरनाहर के स्कूल में सीधे पांचवीं कक्षा में प्रवेश पाने के टेस्ट दिया और उसे पास भी करके दिखाया।

☞ **वीरभूम से दो देशों के राष्ट्रपति :–** प्रणब के राष्ट्रपति बनने पर वीरभूम का नाम ऐसे ज़िलों में शुमार हो जाएगा जहां से दो देशों के राष्ट्रपति संबंध रखते हैं। प्रणब से पहले इसी ज़िले में जन्मे अब्दुल सत्तर (दकर गांव में जन्मे) 1981 से 1982 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। असल में वह विभाजन के बाद ढाका चले गए थे।

☞ **प्रत्याशी रहते हुए वोट** :– डॉ. फखरूद्दीन अली अहमद और ज्ञानी जैल सिंह के बाद वह तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के प्रत्याशी रहते हुए वोट डाला।

राज्यपाल से राष्ट्रपति तक कोविंद

राम नाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद एक दलित नेता और साथ ही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सदस्य भी है। सन 2015 से 2017 तक रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर भी रहे चुके है।

★ राम नाथ कोविंद का प्रारंभिक जीवन, निजी जिंदगी और परिवार :– रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को भारत के उत्तरप्रदेश राज्य के कानपुर जिले के डेरापुर के परौन्ख गाँव में हुआ था। उनके पिता मैकूलाल एक किसान थे और माता कलावती गृहिणी थी। रामनाथ दलित जाति से संबंध रखते है। 1998 से 2002 के बीच हुए बीजेपी दलित मोर्चा के वे अध्यक्ष थे। कोविंद जी ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स और LLB की डिग्री हासिल कर रखी है। राजनीती में आने से पहले कोविंद पेशे से अधिवक्ता थे। 20 मई 1974 को कोविंद ने सविता कोविंद से शादी की थी। उनके एक बेटा, प्रशांत कुमार और एक बेटी स्वाति भी है।

★ रामनाथ कोविंद राजनीतिक करियर:– कानपुर कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएट होने के बाद कोविंद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गये। तीन बार कोशिश करने बाद आखिर उन्हें परीक्षा में सफलता मिल ही गयी लेकिन वे ड्यूटी में शामिल नही हुए क्योकि उनका चयन आईएस की जगह संबंद्ध सेवा में हुआ था और इसके बाद कोविंद लॉ का अभ्यास करने लगे। 1977 से 1979 तक वे नयी दिल्ली में केंद्र सरकार के अधिवक्ता रह चुके है और 1980 से 1993 तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार का स्थायी वकील रहते हुए सेवा भी की। 1978 में वे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिकारिक वकील बने थे। उन्होंने नयी दिल्ली के हाई कोर्ट में लॉ की ट्रेनिंग ली थी, तकरीबन 16 साल 1913 तक उन्होंने लॉ का अभ्यास किया। बार कौंसिल ऑफ दिल्ली ने 1971 में उनका नाम अधिवक्ता के रूप में दर्ज किया था। अधिवक्ता के रूप में वे समाज के गरीब लोगो को मुफ्त में सलाह देते थे, साथ ही नयी दिल्ली की फ्री लीगल ऐड सोसाइटी में भी कार्यरत थे। 1977 से 1978 तक उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का पर्सनल असिस्टेंट बने रहते हुए भी सेवा की है।

★ रामनाथ कोविंद बीजेपी सदस्य :– 1991 में वे बीजेपी में शामिल हुए। 1998 और 2002 में वे बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष थे और ऑल इंडिया कोली समाज के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बने रहते हुए भी कई बार देश की सेवा की है। उन्होंने डेरापुर के अपने पूर्वजो के घर को आरएसएस को दान में दे दिया था। घाटमपुर और भोगनीपुर (दोनों ही उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते है) दोनों निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी की टिकट लेकर वे चुनाव में खड़े हुए थे लेकिन दोनों ही चुनावो में उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा।

★ रामनाथ कोविंद राज्य सभा :– अप्रैल 1994 को वे नियुक्त हुए और इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य सभा एमपी भी बनाया गया। मार्च 2006 तक लगातार दो बार उन्होंने 12 सालो तक इस पद पर रहते हुए सेवा की। सांसद के सदस्य

के रूप में उन्होंने समाज कल्याण, गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, न्याय और कानून इत्यादि संसदीय समिति में रहते हुए उन्होंने सेवा की है। राज्यसभा की हाउस कमिटी का चेयरमैन रहते हुए भी उन्होंने कई सालो तक काम किया है। अपने संसदीय काल में एम.पी. रहते हुए उन्होंने ग्रामीण भागो की शिक्षा व्यवस्था और उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में स्कूलो के निर्माण पर ज्यादा ध्यान दिया। संसद का सदस्य रहते हुए, उन्होंने नेपाल, थाईलैंड, सिंगापूर, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की यात्रा भी की है।

★ रामनाथ कोविंद गवर्नर :– 8 अगस्त 2015 को भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें बिहार के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। 16 अगस्त 2015 को उन्हें पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस घोषित किया गया था। शपथ लेने के साथ ही कोविंद, बिहार के 36 वे गवर्नर बन चुके थे। शपथ विधि का आयोजन पटना के राज भवन में रखा गया था। गवर्नर के रूप में उन्होंने कई सराहनीय और प्रभावशाली बदलाव किए। सबसे पहले उन्होंने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमे कई सुधाार किये और यूनिवर्सिटी एवं स्कूलो में नए शिक्षको की भर्तियाँ करवाई। साथ ही सरकार द्वारा शिक्षा के लिए भेजे जा रहे फण्ड का दुरूपयोग ना हो इसकी भी उन्होंने छानबीन की। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश करने के बाद उन्होंने बिहार के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया और 20 जून 2017 को भारत के वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दी।

★ रामनाथ कोविंद की अन्य नियुक्तियां :– लखनऊ की डॉ. बी. आर. आंबेडकर यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में रहते हुए भी उन्होंने काम किया है और साथ ही आईआईएम कोलकाता के वे बोर्ड ऑफ गवर्नर में से एक थे। यूनाइटेड नेशन में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और अक्टूबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित भी किया है।

★ रामनाथ कोविंद का करियर और फैक्ट्स :– किसान के परिवार में पलकर बढे हुए कोविंद ने अपना ग्रेजुएशन लॉ में कानपुर कॉलेज से पूरा किया। डिग्री हासिल करने के बाद रामनाथ दिल्ली गये और वहां उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी की। पहले दो प्रयासों में वे परीक्षा में असफल हुए। लेकिन तीसरे प्रयास में वे सफल हुए लेकिन आईएस की जगह उनकी नियुक्ति अलाइड सर्विसेज में की गयी।

19 जून 2017 को बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें NDA का उम्मीदवार घोषित किया है। 20 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बन गए। 1977 से 1979 तक रामनाथ कोविंद नयी दिल्ली में केंद्र सरकार के अधिवक्ता थे। 1980 से 1993 तक नयी दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार का स्थायी वकील रहते हुए भी उन्होंने काम किया है। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने

उनकी नियुक्ती अधिवक्ता के रूप में की थी। 1998 से 2002 तक रामनाथ कोविंद बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके है और साथ ही ऑल इंडिया कोली समाज के भी अध्यक्ष रह चुके है। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर रहते हुए भी काम कर चुके है। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति ने अगस्त 2015 को उन्हें बिहार के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। 1994 से 2000 और 2000 से 2006 तक दो बार राज्य सभा में उनकी नियुक्ती की जा चुकी है। 16 सालो तक 1993 तक उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभ्यास किया। सुप्रीम कोर्ट में उन्हें हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है।

☆ रामनाथ कोविंद के जीवन के महत्वपूर्ण क्षण :– रामनाथ कोविंद के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण अगस्त 2015 को आया जब वह बिहार के राज्यपाल घोषित किये गए. वे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी के दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय कोरी समाज के अध्यक्ष भी रहे है।

1 अक्टूबर, 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में जन्मे रामनाथ कोविंद तीन भाइयों में सबसे छोटे हैं। कानपुर कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद वह UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली आए। तीसरे प्रयास में उन्हें सफलता मिली। हालांकि, अलाइड सर्विस में सिलेक्शन के कारण उन्होंने आगे लॉ के फील्ड में अपना करियर जारी रखने का फैसला किया। कोविंद की राजनीति में एंट्री 1994 में हुई, जब वह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2006 तक वह दो बार संसद के ऊपरी सदन के सदस्य रहे। कोविंद की पत्नी का नाम सविता कोविंद है। कोविंद दो बच्चों के पिता हैं। उनके बेटे का नाम प्रशांत और बेटी का नाम स्वाति है। पेशे से वकील कोविंद ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की है। कोविंद ने अक्टूबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित किया था। कोविंद, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव भी रह चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता भी नियुक्त किया था। 8 अगस्त, 2015 को रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर नियुक्त किए गए थे। वह बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वह ऑल इंडिया कोली समाज के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने IIM–कोलकाता में SC/ST वर्ग का भी प्रतिनिधित्व किया है। रामनाथ कोविंद लखनऊ स्थित डॉ. बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य भी रह चुके हैं। उनके व्यक्तित्व की एक खास बात यह है कि उन्होंने अपने पैतृक घर को बारात घर और सामुदायिक भवन के लिए दान कर दिया था।

धारा 370 और आतंकवाद

आजादी के बाद 1951 में जब देश की जनगणना हुई तब से आज तक हर एक भारतीय कश्मीर समस्या को जस का तस देख रहा है। और तो और पाकिस्तान से काश्मीर को लेकर हिन्दुस्तान ने चार लड़ाइयां लड़ चुका है तो उसके द्वारा फैलाये आतंकवाद के कारण आज तक शायद ही कोई महिना ऐसा रहा हो जब भारतीय जवान या कश्मीरी लोग मरे न हों! भारतीय संविधान में धारा 370 समय–समय पर लोगों की बहस और विरोध का कारण बन जाती है जिसके चलते धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को लेकर लोगों के बीच झगड़े होने लगते हैं। आईये आपको बताते हैं कि धारा 370 है क्या? जो देश के विशेष राज्य कश्मीर में लागू है। भारतीय संविधान की धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। 370 के पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले आपको कई लोग मिलेंगे। विरोध करने वालों के पास भी पर्याप्त आधार है और इस आर्टिकल के पक्ष में बोलने वालों के पास भी पर्याप्त आधार है। किसी को लगता है कि संविधान की इस धारा में संशोधन होना चाहिए तो किसी को यह मात्र एक बहस का मुद्दा लगता है। अगर कश्मीर में मौजूदा हालात पर बात करें तो आतंकी वारदात और सीमापार से घुसपैठ बढ़ रही हैं। धीरे–धीरे घाटी में आतंकवाद की फिर से वापसी होती नज़र आ रही है। इस बात में दो राय नहीं कि कश्मीर समस्या और आतंकवाद तब तक यथावत रहेगा, जब तक कठोर फ़ैसला लेते हुए विशेष राज्य का दर्जा देने वाले धारा 370 ख़त्म नहीं कर दी जाती। वाक़ई अगर कश्मीर समस्या सदा के लिए हल करना है तो भारतीय संसद को ज़बरदस्ती इस धारा को स्क्रैप कर देना चाहिए। प्रस्तुत है धारा 370 की समीक्षात्मक रिपोर्ट :–

पिछले क़रीब सात दशक से सत्ता सुख भोगने वाले ये लोग इसे ख़त्म करना तो दूर इस पर चर्चा का भी विरोध करते हैं। बहस या समीक्षा की मांग सिरे से ख़ारिज़ करते हैं। सीएम मेहबूबा मुफ़्ती, उमर अब्दुल्ला आदि धमकी देते हैं कि अगर यह हटा तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। इस बात में दो राय नहीं कि इस विकास–विरोधी प्रावधान को अब्दुल्ला–मुफ़्ती जैसे सियासतदां और नैशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए बनाए रखना चाहती हैं, क्योंकि यह धारा उनकी सियासत को बनाए रखने का कारगर टूल बन गया है। कई लोग आशंकित रहते हैं कि इसे ख़त्म करने से बवाल हो सकता है। यह महज़ भ्रांति है, क्योंकि राज्य में जितने लोग इस धारा के समर्थक हैं, उससे ज़्यादा इसके विरोधी। इसलिए, अगर संसद इसे ख़त्म करने का प्रस्ताव पारित करती है, तो बहुत होगा, मुट्ठी भर लोग श्रीनगर की सड़कों पर निकलेंगे। इस तरह का विरोध तो यहां 26–27 साल से आए दिन हो रहा है। एक और विरोध प्रशासन झेल लेगा, जैसे 8 अगस्त 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को कथित तौर पर कश्मीर को भारत से अलग करने की साज़िश रचने के आरोप में डिसमिस करके जेल में डाल देने पर विरोध ज़रूर हुआ था परंतु वह धीरे–धीरे शांत हो गया। ठीक इसी तरह धारा 370 ख़त्म करने पर विरोध होगा, लेकिन धीरे–धीरे शांत हो जाएगा और कम से कम एक नासूर की स्थाई सर्जरी तो हो जाएगी।

★ **राजनीतिक दलों का रवैया :–**विभिन्न राजनीतिक दलों का इस मामले पर रवैया अलग–अलग है। भारतीय जनता पार्टी एवं कई राष्ट्रवादी दल इसे जम्मू एवं कश्मीर में व्याप्त अलगाववाद के लिये जिम्मेदार मानते हैं तथा इसे समाप्त करने की माँग करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सहित पूरा संघ परिवार प्रारंभ से इस धारा के ख़लिाफ़ रहा है। इसे समाप्त करवाने के लिए उसने अभियान छेड़ा था। उनके नारे थे ' एक देश में दो विधान नहीं। 370 धोखा है, देश बचा लो। भाजपा का मुख्य तर्क है कि धारा 370 के कारण जम्मू–कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त है। भाजपा का मानना है कि इन प्रावधानों के कारण यह मुस्लिम बहुल राज्य बना हुआ है और पूरे देश के साथ समरस नही हो पाया है। पार्टी के अनुसार इसी वजह से वहाँ अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। घोर राष्ट्रवादी पार्टी मानने वाली बीजेपी के लिए सबसे अहम् एजेंडे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब बीजेपी कह रही है, जब भारतीय संसद में दो तिहाई बहुमत मिलेगा, इस मसले को तब देखेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इस बात पर अफ़सोस करते रहे कि बहुमत न होने के कारण धारा 370 को पर कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। कम से कम ऐसी शिकायत मोदी को नहीं है, क्योंकि उनके पास लोकसभा में 280 सीट का अच्छा बहुमत है। देश की जनता ने मोदी को बहुमत और एनडीए को 336 लोकसभा सदस्यों की शक्ति देकर यह संदेश दिया है कि भारत में सभी राज्यों को बराबर कर दीजिए। लिहाज़ा, मोदी के सत्ता में आते ही लोग धारा 370 को ख़त्म करने की चर्चा करने लगे थे। यह सच है कि धारा 370 ख़त्म करने के लिए संसद में दो तिहाई बहुमत यानी लोकसभा में 367 सीट और राज्यसभा में 164 सीट की ज़रूरत है। यह काम केंद्र नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास दो तिहाई बहुमत न तो लोकसभा में है न ही राज्यसभा में। लेकिन, चूंकि मोदी ने ख़ुद चुनाव प्रचार के दौरान धारा 370 के औचित्य पर सवाल उठाया था और उन्हें उसी मुद्दे उन्हें जनादेश मिला था। लिहाज़ा, कम से कम सरकार को इस मुद्दे पर संसद में बहस की पहल तो करनी चाहिए थी। ताकि पूरा देश सुनता कि उनके क़ानून–निर्माता किसी राज्य विशेष को स्पेशल स्टैटस देने के बारे में क्या सोच रखते हैं।

जम्मू–कश्मीर की प्रमुख पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रवैया

इसके विपरीत है। उसका कहना है कि भारत सरकार ने जम्मू–कश्मीर के लोगों के साथ धारा 370 का वादा किया था और किसी भी दल की सरकार हो, उसे इसका आदर करना चाहिए। उसका कहना है कि यह धारा 370 ही है जो जम्मू–कश्मीर को भारत से जोड़े हुए है।

70 सालों में कश्मीर को भारत सरकार ने चार लाख करोड़ो रूपया प्रत्यक्ष सहायता के रूप में दिया है, तो अप्रत्यक्ष और सीमाओं की रक्षा, आतंकवाद से निपटने के मामलों पर खर्च हूए। कुछ साल पहले देशभर में अगर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत 26 था तो जम्मू कश्मीर में यह प्रतिशत 3.4 था। अर्थात जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां गरीबों की संख्या 3.4 प्रतिशत थी और वह भी कश्मीर में नहीं गरीब सिर्फ जम्मू संभाग में थे। तो भला कौन सी स्वाययत्ता चाहिए इन्हें? एक बात हम पिछले 70 साल से नहीं समझ सके हैं कि पहाड़ की ढलान पर या तो हम ऊपर चढ़ते हैं अथवा स्वयं ही नीचे फिसलते जाते हैं. चढ़ान पर यथास्थिति जैसी कोई बात नहीं होती है। कश्मीर के मामले में कमोबेश हमारे साथ भी यही हो रहा है कि हम यथास्थिति बनाने के चक्कर में नीचे की ओर फिसलते जा रहे हैं।

उधर कश्मीर की स्थिति भी जन्नत से किसी जहन्नुम तक पहुंचने में देर नहीं लगा रही है। महीने दो महीने ठहरकर कश्मीर के अलगाववादी नेता, पाकिस्तान की सह पर भोले भाले युवाओं का गलत मार्गदर्शन कर उन्हें पत्थरबाज बना दिया है। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष, 8 नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का देश को 500 और 1000 के नोट को बंद कर नये नोट का चलन चालू करने के ऐलान के बाद से कुछ समय तक हिंसक पत्थरबाजों के आन्दोलन पर विराम लगा था किन्तु विगत कुछ महीनों से वही सिलसिला पुनः हुर्रीयत नेताओं के इशारे पर

शुरू हो चुका है। सनद् रहे कि कश्मीर घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा को सस्पेंड किए जाने से सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी की वारदातों में नाटकीय रूप से कमी आई। दरअसल घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में बाधा डालने और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी के लिए युवाओं को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उकसाया जाता था। सूत्रों के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि करीब 300 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पत्थरबाजों को सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की जानकारी दी जाती थी। इतना ही नहीं इसके जरिए ही उन्हें मुठभेड़ वाली जगह पर इकट्ठा कराया जाता था। अधिकारी के अनुसार इन 300 व्हाट्सएप ग्रुप में से प्रत्येक में करीब 250 सदस्य होते थे। इन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मुठभेड़ की जगह पर पत्थरबाजों की भीड़ जुटाई जाती थी जो सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बाधा पहुंचाने की कोशिश करती थी। इसके अलावा नाम जाहिर न करने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि

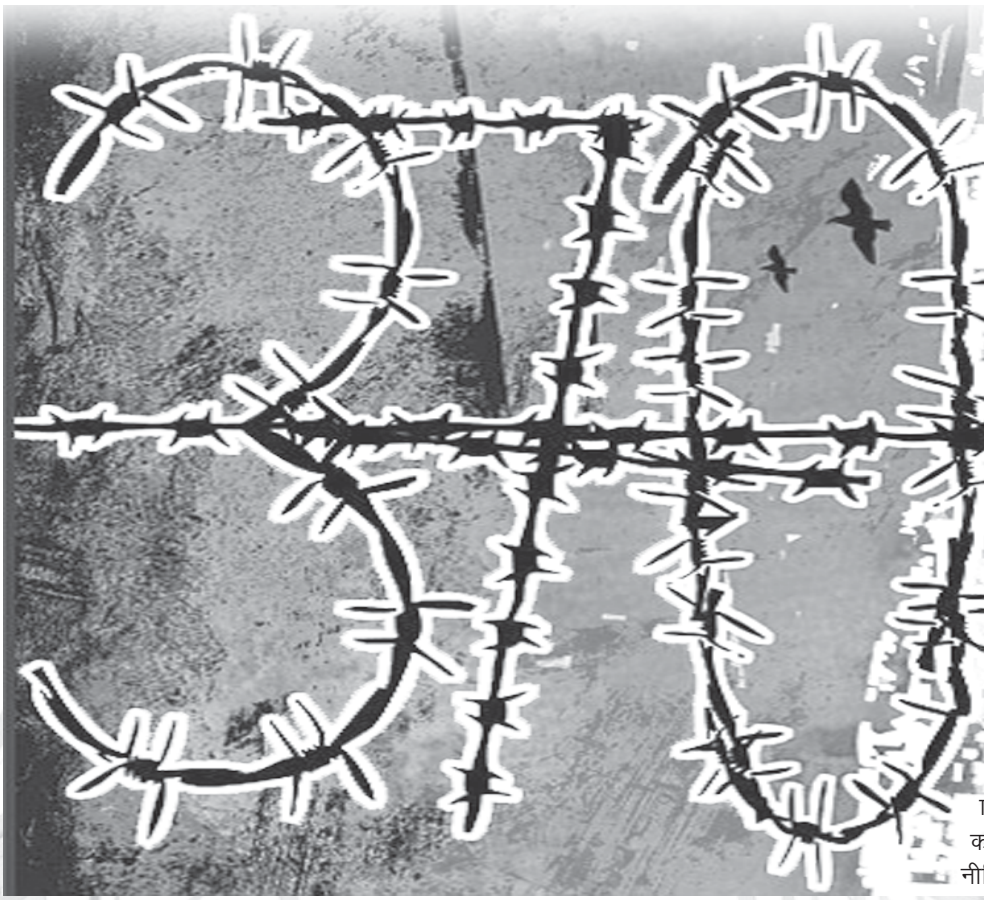

उन्होंने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप और ग्रुप ऐडमिनिस्ट्रेटर्स की पहचान कर उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। जिसके बाद उन्हें इस पहल का बहुत ही अच्छा नतीजा मिला है। अधिकारी के अनुसार उस वक्त के कुछ दिनों बाद में इनमें से 90 प्रतिशत से ज्यादे ग्रुप बंद हो चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि इंटरनेट सेवा को निलंबित करने की सरकार की नीति के सकारात्मक नतीजे मिल रहे

हैं और इससे मुठभेड़ स्थलों पर पत्थरबाजी पर लगाम लगी है। इसके अलावा उन्होंने बडगाम जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ का हवाला भी दिया। अधिकारी ने बताया कि बडगाम में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर कर दिए गए लेकिन वहां सिर्फ कुछ युवक ही इकट्ठे हुए जिन्होंने सुरक्षाबलों पर पथराव किया। यह उसी इलाके में 28 मार्च को हुए एनकाउंटर के उलट है जहां बड़ी तादाद में पत्थरबाज इकट्ठे हुए थे और उनमें से तीन की सुरक्षाबलों की फायरिंग में मौत हुई थी।

गौरतलब है कि इतिहास के पन्नों को अगर टटोलें तो ज्ञात होगा कि नेहरू, शास्त्री और इंदिरा ने मौका और वक्त रहते ही पाकिस्तान को ठीक ढंग से नहीं मरोड़ा, तो उस प्रलाप का क्या लाभ, क्योंकि सवाल तो आज भी है हमारे सामने हैं! आज हमारे सामने चीन का उदाहरण है कि किस तरह वह अकेला खड़ा होकर पूरे विश्व–समुदाय से दक्षिणी चीन सागर पर टक्कर ले रहा है और हम हैं कि कश्मीर में कश्मीरियों के रूप में रह रहे पाकिस्तानियों के मुकाबले उसकी डेमोग्राफिक स्थिति तक नहीं बदल पाए हैं। आज पैलेट गन की आड़ लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहता फिर रहा है कि भारत कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है, मिलिट्री के दम पर वह कब्जा किया बैठा है तो क्या कश्मीरी पंडितों की पूरी वापसी और उनके लिए सुरक्षित माहौल हम नहीं दे सकते हैं? फौज के दम पर ही सही! पूरे देश में राष्ट्रवाद और हिंदूवाद का दम भरने वाली विश्व की सबसे अनुशासित संस्था आरएसएस और उसकी अनुगामी भाजपा की वहां और केंद्र दोनों जगह सरकारें हैं, तो फिर सामान्य गतिविधियों के लिए हम क्यों एक–दुसरे का मुंह ताकते हैं? जम्मू कश्मीर के लिए हमारे पीएम 80 हजार करोड़ का पैकेज देते हैं, वह दें किन्तु कश्मीरी–पंडितों के मुद्दे पर इतना बड़ा क्वेश्चन–मार्क कहाँ से लग गया? साफ है कि वहां कश्मीरियों के वेश में छुपे हुए कुछ पाकिस्तानी बैठे हैं तो उनका मुकाबला करने के लिए पूर्व–सैनिकों को, कश्मीरी पंडितों को, टूरिस्टों के रूप में अन्य देशभक्तों को वहां बसाना ही होगा और वह भी बेहद तेजी से! पाकिस्तान हमसे चार–युद्ध कर चुका है, आतंकवाद की आग में कश्मीर को जलाने का यत्न कर चुका है और इससे ज्यादा वह क्या कर सकता है? कहते हैं कि शांति का मार्ग, युद्ध से होकर ही जाता है और इसके लिए हमें तैयार होकर वहां पूर्ण दबंगई दिखलानी होगी। छद्म– कश्मीरियों के नाम पर पाकिस्तानियों को जहन्नुम भेजना होगा तो कश्मीरी पंडित सहित अन्य कश्मीरी निवासियों के मन में यह बात भरनी होगी कि भारत इतना शक्तिशाली है कि वह सबकी रक्षा कर सकता है, बेशक इसके लिए चाहे जो कीमत चुकानी पड़े! इंदिरा गाँधी ने एक बार बांग्लादेश को अलग करने में जो भूमिका निभाई थी, वही भूमिका कश्मीर के सम्बन्ध में वर्तमान सरकार निभाये और जहाँ तक स्वाययत्ता और विशेषाधिकार की बात है तो उस कागज को या तो जला देना होगा अथवा उस कागज को जो पाकिस्तानी–आँख पढ़ने का दुस्साहस करे, उसे फोड़ देना होगा, पैलेट–गन से ही! किन्तु न केवल कश्मीर के लिए, बल्कि शेष भारत और पूरे दक्षिण एशिया के लिए कश्मीर समस्या के स्थाई समाधान के लिए यत्न शुरू करना होगा और इसका दूसरा कोई यत्न नहीं है, सिवाय इसके कि पाकिस्तानियों को उस क्षेत्र से भगाओ और कश्मीरी–पंडितों समेत अन्य देशभक्तों को वहां भरो, बुलेट और पैलेट के दम पर ही सही! हाँ, जब तक इन तथ्यों को आत्मसात नहीं कर लिया जाता तब तक राजनाथ सिंह बयानबाजी जरूर करें और कश्मीर घाटी में अशांति के लिए पाकिस्तान को दोषी भी ठहराएं और खूब कहें कि कश्मीरी हमारे अपने लोग हैं जिन्हें बरगलाया जा रहा है, लेकिन हम कश्मीरियत, जम्हूरियत एवं इंसानियत के साथ कश्मीर के हालात को सामान्य बनायेंगे और उसके गौरव एवं शोहरत को बहाल करेंगे। शोहरत और गौरव तो बहाल होना ही चाहिए राजनाथ सिंह जी, पर पैलेट गन के साथ–साथ आप कश्मीरी–पंडितों और पूर्व–सैनिकों को वहां बसाने की दबंगई दिखलायें। इस समस्या का स्थाई समाधान करने की ओर मजबूत और सख्त कदम बढ़ा कि अवश्कता है।

कश्मीर का भूगोल ही ऐसा है कि वह स्वतंत्र देश के रूप में अपना अस्तित्व लंबे समय तक नहीं बनाए रख सकता। अगस्त 1947 में वह आज़ाद था, पर विभाजन के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने क़ब्ज़े के मकसद से कबिलाइयों के साथ हमला कर दिया और मुज़फ़्फ़राबाद व मीरपुर जैसे समृद्ध इलाकों पर क़ब्ज़ा कर लिया। कश्मीर पाकिस्तान से बचाने के लिए राजा हरिसिंह और शेख अब्दुल्ला ने दिल्ली का रुख किया। 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय के समझौते का बाद कश्मीर भारत का हिस्सा बना। मतलब, मान लीजिए, कश्मीर आज़ाद हो भी जाए, तो पाकिस्तान उसे आज़ाद नहीं रहने देगा। अगर पाकिस्तान से बच गया तो चीन घात लगाए बैठा है। जैसे तिब्बत पर क़ब्ज़ा कर लिया, वैसे ही कश्मीर पर क़ब्ज़ा कर लेगा। यानी कश्मीर का स्वतंत्र अस्तित्व फिज़िबल नहीं है। यह तथ्य अलगाववादी और दूसरे नेता भली–भांति जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि कश्मीर भारत से अलग नहीं हो सकता। लिहाज़ा, अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए आज़ादी का राग आलापते रहते हैं। देश के पैसे पर पल रहे ये लोग इतने भारत को अपना देश मानते ही नहीं और दुष्प्रचार करते रहते

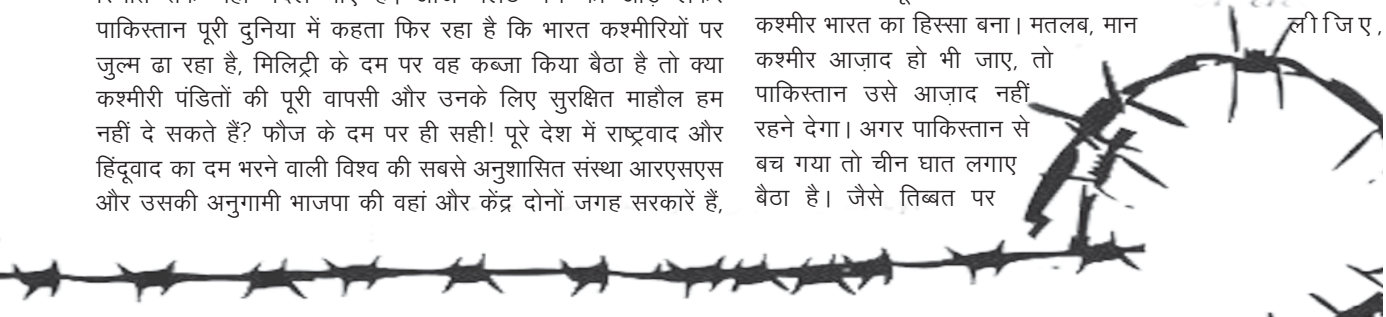

हैं। इनकी पूरी कवायद धारा 370 अक्षुण्ण रखने के लिए होती है।

देश के स्वरूप पर आघात करने वाले इस प्रावधान का डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने पुरज़ोर विरोध किया था। 1952 में मुखर्जी ने नेहरू से कहा, "आप जो करने जा रहे हैं, वह नासूर बन जाएगा और किसी दिन देश को विखंडित कर देगा। यह प्रावधान उन लोगों को मज़बूत करेगा, जो कहते कि भारत एक देश नहीं, बल्कि कई राष्ट्रों का समूह है।" आज घाटी में जो हालात हैं, उन्हें देखकर लगता है कि मुखर्जी की आशंका ग़लत नहीं थी?

☆ **नेहरू के हस्तक्षेप से धारा तैयार :–** भारतीय संविधान में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध सम्बन्धी भाग 21 का अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था। स्वतन्त्र भारत के लिये कश्मीर का मुद्दा आज तक समस्या बना हुआ है।

विशेष अधिकार धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू–कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य विषय से सम्बन्धित क़ानून को लागू करवाने के लिये केन्द्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिये। इसी विशेष दर्ज़े के कारण जम्मू–कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्ख़ास्त करने का अधिकार नहीं है। 1976 का शहरी भूमि क़ानून जम्मू–कश्मीर पर लागू नहीं होता। इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि ख़रीदने का अधिकार है। यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू– कश्मीर में ज़मीन नहीं ख़रीद सकते। भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अन्तर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू– कश्मीर पर लागू नहीं होती।

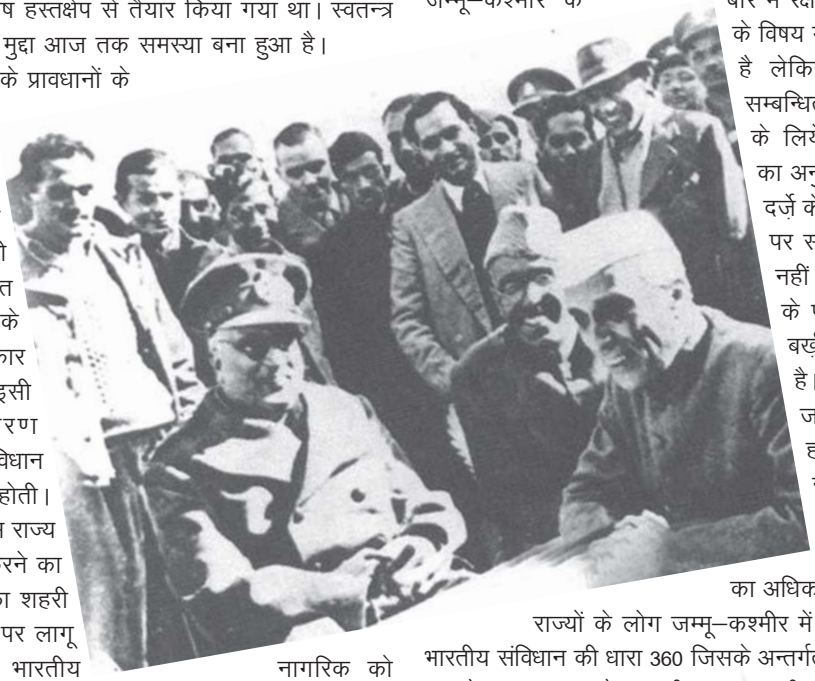

धारा 370 के कारण ही राज्य मुख्यधारा से जुडने की बजाय अलगाववाद की ओर मुड़ गया। यानी देश के अंदर ही एक मिनी पाकिस्तान बन गया, जहां तिरंगे का अपमान होता है, देशविरोधी नारे लगाए जाते हैं और भारतीयों की मौत की कामना की जाती है।

अगर कहा जाए कि इस सीमावर्ती राज्य की समस्या के लिए केवल पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ज़िम्मेदार हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेहरू की अदूरदर्शिता नतीजा आज पूरा मुल्क़ भुगत रहा है। धारा 370 का सबने कड़ा विरोध किया था, पर नेहरू अड़े रहे। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता और मज़बूरी' का हवाला देकर इसे लागू कराने में सफल रहे। नेहरू और शेख अब्दुला के बीच दिल्ली समझौते के बाद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का समावेश किया गया।

☆ **विशेष अधिकार :–** धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू–कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य विषय से सम्बन्धित क़ानून को लागू करवाने के लिये केन्द्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिये। इसी विशेष दर्ज़े के कारण जम्मू–कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्ख़ास्त करने का अधिकार नहीं है। 1976 का शहरी भूमि क़ानून जम्मू–कश्मीर पर लागू नहीं होता। इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि ख़रीदने का अधिकार है। यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू–कश्मीर में ज़मीन नहीं ख़रीद सकते। भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अन्तर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू–कश्मीर पर लागू नहीं होती। जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय करना ज़्यादा बड़ी ज़रूरत थी और इस काम को अंजाम देने के लिये धारा 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को उस समय दिये गये थे। ये विशेष अधिकार निचले अनुभाग में दिये जा रहे हैं।

☆ **विशेष अधिकारों की सूची :–**

☞ जम्मू–कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है।

आप भी जानिये धारा 370

- जम्मू–कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है
- जम्मू–कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता है
- जम्मू–कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है
- जम्मू–कश्मीर के अन्दर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता
- भारत के उच्चतम न्यायलय के आदेश जम्मू–कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते हैं
- भारत की संसद जम्मू–कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है
- जम्मू–कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह करले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जायेगी, इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह करले तो उसे जम्मू–कश्मीर की नागरिकता मिल जायेगी
- धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई लागू नहीं है, आरटीई लागू नहीं है और सीएजी लागू नहीं होता भारत का कोई भी कानून लागू नहीं होता
- कश्मीर में महिलाओं पर शरीया कानून लागू है
- कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं हैं
- कश्मीर में चपरासी को 2500 ही मिलते हैं
- कश्मीर में अल्पसंख्यकों (हिन्दु–सिख) को 16% आरक्षण नहीं मिलता
- धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं
- धारा 370 की वजह से पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है इसके लिए पाकिस्तानियों को केवल किसी कश्मीरी लडकी से शादी करनी होती है

☞ जम्मू–कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता है।

☞ जम्मू – कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

☞ जम्मू–कश्मीर के अन्दर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है।

☞ भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू–कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते हैं।

☞ भारत की संसद को जम्मू–कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यन्त सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है।

☞ जम्मू–कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जायेगी। इसके विपरीत यदि वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू–कश्मीर की नागरिकता मिल जायेगी।

☞ धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई और सीएजी जैसे कानून लागू नहीं होते है।

☞ कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून लागू है।

☞ कश्मीर में पंचायत को अधिकार प्राप्त नहीं है।

☞ कश्मीर में चपरासी को 2500 रूपये ही मिलते है।

☞ कश्मीर में अल्पसंख्यकों (हिन्दू–सिख) को 16% आरक्षण नहीं मिलता।

☞ धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं।

☞ धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है।

धारा 370 के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें :–

☞ धारा 370 अपने भारत के संविधान का अंग है।

☞ यह धारा संविधान के 21वें भाग में समाविष्ट है जिसका शीर्षक है– 'अस्थायी, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान'।

☞ धारा 370 के शीर्षक के शब्द हैं – जम्मू–कश्मीर के सम्बन्ध में अस्थायी प्रावधान।

☞ धारा 370 के तहत जो प्रावधान है उनमें समय समय पर परिवर्तन किया गया है जिनका आरम्भ 1954 से हुआ। 1954 का महत्त्व इस लिये है कि 1953 में उस समय के कश्मीर के वजीर–ए–आजम शेख महम्मद अब्दुल्ला, जो जवाहरलाल नेहरू के अंतरंग मित्र थे, को गिरफ्तार कर बंदी बनाया था। ये सारे संशोधन जम्मू–कश्मीर के विधानसभा द्वारा पारित किये गये हैं।

★ संशोधित किये हुये प्रावधान इस प्रकार हैं :–

☞ 1954 में चुंगी, केंद्रीय आबकारी, नागरीक उड्डयन और डाकतार विभागों के कानून और नियम जम्मू–कश्मीर को लागू किये गये।

☞ 1958 से केन्द्रीय सेवा के आईएएस तथा आईपीएस अधिकारियों की नियुक्तियाँ इस राज्य में होने लगीं। इसी के साथ सी ए जी (CAG) के अधिकार भी इस राज्य पर लागू हुए।

☞ 1959 में भारतीय जनगणना का कानून जम्मू–कश्मीर पर लागू हुआ।

☞1930 में सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू–कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को स्वीकार करना शुरू किया, उसे अधिकृत किया गया।

☞ 1964 में संविधान के अनुच्छेद 353 तथा 357 इस राज्य पर लागू किये गये। इस अनुच्छेदों के अनुसार जम्मू–कश्मीर में संवैधानिक

व्यवस्था के गड़बड़ा जाने पर राष्ट्रपति का शासन लागू करने के अधिकार प्राप्त हुए।

☞ 1965 से श्रमिक कल्याण, श्रमिक संगठन, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा सम्बन्धी केन्द्रीय कानून राज्य पर लागू हुए।

☞ 1966 में लोकसभा में प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया।

☞ 1966 में ही जम्मू–कश्मीर की विधानसभा ने अपने संविधान में आवश्यक सुधार करते हुए– 'प्रधानमन्त्री' के स्थान पर 'मुख्यमन्त्री' तथा 'सदर–ए–रियासत' के स्थान पर 'राज्यपाल' इन पदनामों को स्वीकृत कर उन नामों का प्रयोग करने की स्वीकृति दी। 'सदर–ए–रियासत' का चुनाव विधानसभा द्वारा हुआ करता था, अब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होने लगी।

☞ 1968 में जम्मू–कश्मीर के उच्च न्यायालय ने चुनाव सम्बन्धी मामलों पर अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया।

☞ 1971में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत विशिष्ट प्रकार के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया।

☞ 1986 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के प्रावधान जम्मू–कश्मीर पर लागू हुए।

☞ इस धारा में ही उसके सम्पूर्ण समाप्ति की व्यवस्था बताई गयी है। धारा 370 का उप अनुच्छेद 3 बताता है कि ''पूर्ववर्ती प्रावधानों में कुछ भी लिखा हो, राष्ट्रपति प्रकट सूचना द्वारा यह घोषित कर सकते है कि यह धारा कुछ अपवादों या संशोधनों को छोड दिया जाये तो समाप्त की जा सकती है। इस धारा का एक परन्तुक भी है। वह कहता है कि इसके लिये राज्य की संविधान सभा की मान्यता चाहिये। किन्तु अब राज्य की संविधान सभा ही अस्तित्व में नहीं है। जो व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है वह कारगर कैसे हो सकती है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा जम्मू–कश्मीर के एक नेता पं॰ प्रेमनाथ बजाज को 21 अगस्त 1962 में लिखे हुये पत्र से यह स्पष्ट होता है कि उनकी कल्पना में भी यही था कि कभी न कभी धारा 370 समाप्त होगी। पं॰ नेहरू ने अपने पत्र में लिखा है– ''वास्तविकता तो यह है कि संविधान का यह अनुच्छेद, जो जम्मू–कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिलाने के लिये कारणीभूत बताया जाता है, उसके होते हुये भी कई अन्य बातें की गयी हैं और जो कुछ और किया जाना है, वह भी किया जायेगा। मुख्य सवाल तो भावना का है, उसमें दूसरी और कोई बात नहीं है। कभी–कभी भावना ही बडी महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है।''केंद्र इस राज्य को आंख मूंदकर पैसे देता है, फिर भी राज्य में उद्योग–धंधा खड़ा नहीं हो सका। यहां पूंजी लगाने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि यह धारा आड़े आती हैं। उद्योग का रोज़गार से सीधा संबंध है। उद्योग नहीं होगा तो रोज़गार के अवसर नहीं होंगे। राज्य सरकार की रोज़गार देने की क्षमता कम हो रही है। कुदरती तौर पर इतना समृद्ध होने के बावजूद इसे शासकों ने दीन–हीन राज्य बना दिया है। यह केंद्र के दान पर बुरी तरह निर्भर है। इसकी माली हालत इतनी ख़राब है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन का 86 फ़ीसदी हिस्सा केंद्र देता है। इतना ही नहीं इस राज्य के लोग पूरे देश के पैसे पर ऐश करते हैं। दरअसल, धारा 370 को लागू करते समय नेहरू ने भरोसा दिया था कि यह अस्थायी व्यवस्था है, जो समय के साथ घिस–घिसकर खुद समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह घिसने की बजाय परमानेंट हो गई। अब पीडीपी और एनसी क्रमशः सेल्फ़रूल और ग्रेटर ऑटोनॉमी के ज़रिए कश्मीर को 1953 से पहले की पोज़िशन में लाने की वकालत करते हैं। वे इन मुद्दों को उछालकर कश्मीरी नेतृत्व संकेत देता है कि धारा 370 को टच मत करो। ऐसे में यह कहना अतिरंजनापूर्ण कतई नहीं होगा कि मोदी ने चुनाव के दौरान यह मसला व्यापक राष्ट्रीय हित में उठाया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। विशेषज्ञों का मानना है कि धारा 370 हटाने

के बाद राज्य की 95 फ़ीसदी आबादी का विकास होगा जो अब तक मुख्यधारा से कटी हुई है क्योंकि सत्ता सुख भोगने वाले राजनेता अकेले ही अब तक सारी मलाई खाते रहे हैं।

✯ **जम्मू–कश्मीर में धारा 35A हटाने की बात :–** जम्मू–कश्मीर में धारा 35A हटाने की बात भर पर बवाल मचा हुआ है। कट्टरपंथियों के साथ–साथ राजीनीतिक दलों को ये भी बात पच नहीं रही है। नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया है कि संविधान की धारा 35A को रद्द किए जाने पर 'जनविद्रोह' की स्थिति पैदा होगी।

✯ **आखिर क्या है ये धारा :–** आपको जानकर हैरानी होगी कि संविधान की किताबों में न मिलने वाला अनुच्छेद 35A जम्मू–कश्मीर की विधान सभा को यह अधिकार देता है कि वह 'स्थायी नागरिक' की परिभाषा तय कर सके। दरअसल, संविधान के अनुच्छेद 35A को 14 मई 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जगह मिली थी। संविधान सभा से लेकर संसद की किसी भी कार्यवाही में, कभी अनुच्छेद 35A को संविधान का हिस्सा बनाने के संदर्भ में किसी संविधान संशोधन या बिल लाने का जिक्र नहीं मिलता है। अनुच्छेद 35A को लागू करने के लिए तत्कालीन सरकार ने धारा 370 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल किया था।इस अनुच्छेद को हटाने के लिए एक दलील ये दी जा रही है कि इसे संसद के जरिए लागू नहीं करवाया गया था. दूसरी दलील ये है कि देश के विभाजन के वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आए. इनमें लाखों की तादाद में शरणार्थी जम्मू–कश्मीर राज्य में भी रह रहे हैं. जम्मू–कश्मीर सरकार ने अनुच्छेद 35A के जरिए इन सभी भारतीय नागरिकों को जम्मू–कश्मीर के स्थायी निवासी प्रमाणपत्र से वंचित कर दिया. इन वंचितों में 80 फीसद लोग पिछड़े और दलित हिंदू समुदाय से हैं. इसी के साथ जम्मू–कश्मीर में विवाह कर बसने वाली महिलाओं और अन्य भारतीय नागरिकों के साथ भी जम्मू–कश्मीर सरकार अनुच्छेद 35। की आड़ लेकर भेदभाव करती है.

✯ **लोग पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट :–** बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में लोगों ने शिकायत की थी कि अनुच्छेद 35। के कारण संविधान प्रदत्त उनके मूल अधिकार जम्मू–कश्मीर राज्य में छीन लिए गए हैं, लिहाजा राष्ट्रपति के आदेश से लागू इस धारा को केंद्र सरकार फौरन रद्द किया जाए। धारा 306ए से बनी थी धारा 370 उस समय कश्मीर का भारत में विलय करने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने का वक्त नहीं था. इसी हालात को देखते हुए संघीय संविधान सभा में गोपालस्वामी आयंगर ने धारा 306–ए का प्रारूप

प्रस्तुत किया था, जो बाद में धारा 370 बन गई। जिसकी वजह से जम्मू–कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग अधिकार मिले हैं।

✯ **क्या है पूरी धारा :–** अनुच्छेद 35Aसे जम्मू–कश्मीर सरकार और वहां की विधानसभा को स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार मिलता है. इसका मतलब है कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू–कश्मीर में किस तरह की सहूलियतें दे अथवा नहीं दे। 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था. इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35 जोड़ दिया गया।

✯ **नहीं खरीद सकते जमीन :–** बहुत कम लोगों को पता है कि अनुच्छेद 35A धारा 370 का ही हिस्सा है. इस धारा की वजह से कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू–कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है।

✯ **जम्मू–कश्मीर का संविधान :–** 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था। इसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। इस संविधान के मुताबिक स्थायी नागरिक वो व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो. साथ ही उसने वहां संपत्ति हासिल की हो।

✯ **लड़कियों के अधिकार :–** अनुच्छेद 35A के मुताबिक अगर जम्मू–कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहर के लड़के से शादी कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं. साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं।

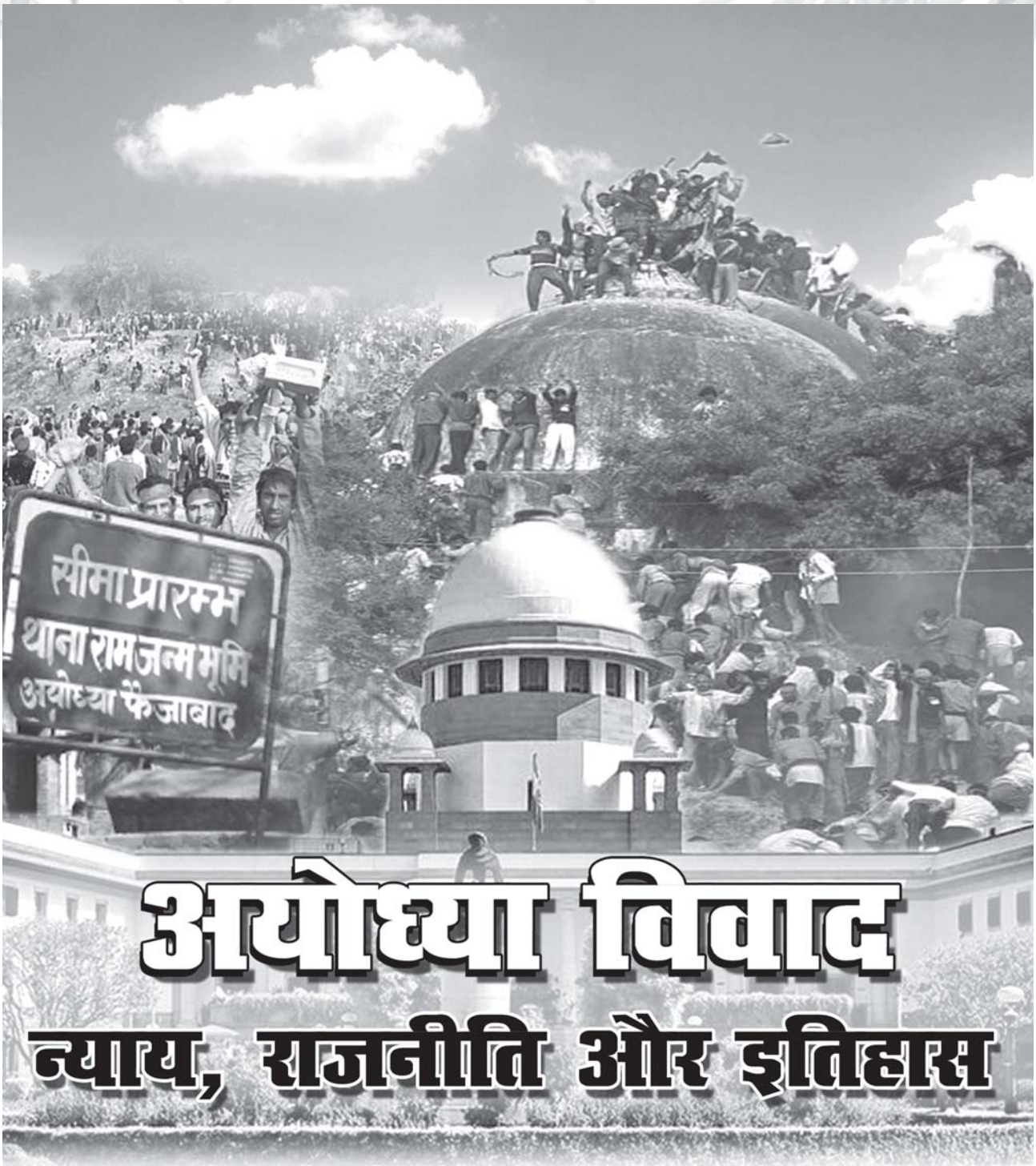

अयोध्या विवाद
न्याय, राजनीति और इतिहास

अयोध्या विवाद को दशकों बीत रहे हैं। मसला आज भी जस का तस है। विवाद इस बात पर है कि देश के हिंदूओं की मान्यता के अनुसार अयोध्या की विवादित जमीन भगवान राम की जन्मभूमि है या देश के मुसलमानों की पाक बाबरी मस्जिद भी विवादित स्थल पर स्थित है। 6 दिसंबर 1992, एक ऐसा दिन जब कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। वो दिन जब अयोध्या 'जय श्री राम' के नारों से गूंज रहा था और सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद पर चोट करती ठक–ठक की आवाजें हर तरफ सुनाई दे रही थीं। और फिर आया अगला दिन यानी 7 दिसंबर जब यही आवाजें खामोशी में तब्दील हो गईं और देश में आने वाले तूफान का संकेत देने लगीं। लगभग 26 साल पहले शुरू हुए इस बाबरी मस्जिद विध्वंस मसला आज भी जस का तस है। आइए जानते है सबसे पहले बाबरी मस्जिद व राम मंदिर के इतिहास को :–

बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के फ़ैज़ाबाद ज़िले के अयोध्या शहर में रामकोट पहाड़ी ("राम का किला") पर एक मस्जिद थी। रैली के आयोजकों द्वारा मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय से वचनबद्धता के बावजूद, 1992 में 1,50,000 लोगों की एक हिंसक रैली के दंगा में बदल जाने से यह विध्वस्त हो गयी। मुंबई और दिल्ली सहित कई प्रमुख भारतीय शहरों में इसके फलस्वरूप हुए प्रतिरोध में 2,000 से अधिक लोग मारे गये। विशेष हित साधने के लिए कुछ लोगों द्वारा प्रचारित किया गया कि भारत के प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर के आदेश पर मंदिर को ध्वस्त कर वहां पर 1527 में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। पुजारियों से हिन्दू ढांचे या निर्माण को छीनने के बाद मीर बाकी ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। 1940 के दशक से पहले, मस्जिद को मस्जिद–ए–जन्म अस्थान कहा जाता था, इस तरह इस स्थान को हिन्दू ईश्वर, राम की जन्मभूमि के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। पुजारियों से हिन्दू ढांचे को छीनने के बाद मीर बाकी ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। परंतु वास्तविकता यह है कि किसी भी मस्जिद का निर्माण किसी अवैध जगह पर या छीनी गई जगह पर नहीं किया जा सकता ऐसा इस्लाम धर्म में प्रतिबंधित है। बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश, भारत के इस राज्य में 3 करोड़ 10 लाख मुस्लिम रहा करते हैं, की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक थी। हालांकि आसपास के ज़िलों में और भी अनेक पुरानी मस्जिदें हैं, जिनमे शरीकी राजाओं द्वारा बनायी गयी हज़रत बल मस्जिद भी शामिल है, लेकिन विवादित स्थल के महत्व के कारण बाबरी मस्जिद सबसे बड़ी बन गयी। इसके आकार और प्रसिद्धि के बावजूद, ज़िले के मुस्लिम समुदाय द्वारा मस्जिद का उपयोग कम ही हुआ करता था और अदालतों में हिंदुओं द्वारा अनेक याचिकाओं के परिणामस्वरूप इस स्थल पर राम के हिन्दू भक्तों का प्रवेश होने लगा। बाबरी मस्जिद के इतिहास और इसके स्थान पर तथा किसी पहले के मंदिर को तोड़कर या उसमें बदलाव लाकर इसे बनाया गया है या नहीं, इस पर चल रही राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक–धार्मिक बहस को "अयोध्या विवाद" के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद की वास्तुकला मंदिरों या घरेलू शैलियां से विकसित हुई, जो कि वहां की जलवायु, भूभाग, सामग्रियों द्वारा अनुकूलित थे; इसीलिए बंगाल, कश्मीर और गुजरात की मस्जिदों में भारी अंतर है। बाबरी मस्जिद ने जौनपुर की स्थापत्य पद्धति का अनुकरण किया।

एक विशिष्ट शैली की एक महत्वपूर्ण मस्जिद बाबरी मुख्यतया वास्तुकला में संरक्षित रही, जिसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना (1192) के

बाद विकसित किया गया था। हैदराबाद के चारमीनार (1591) चौक के बड़े मेहराब, तोरण पथ और मीनार बहुत ही खास हैं। इस कला में पत्थर का व्यापक उपयोग किया गया है और 17वीं सदी में मुगल कला के स्थानांतरित होने तक जैसा कि ताजमहल जैसी संरचनाओं द्वारा दिखाई पड़ता है; मुसलमानों के शासन में भारतीय अनुकूलन प्रतिबिंबित होता है। एक संलग्न आंगन के साथ परंपरागत हाइपोस्टाइल योजना पश्चिमी एशिया से आयात की गयी, जो आम तौर पर नए क्षेत्रों में इस्लाम के प्रवेश के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन बाद में स्थानीय आबोहवा और जरुरत के हिसाब से अधिक उपयुक्त योजनाओं के कारण इसे त्याग दिया गया। बाबरी मस्जिद स्थानीय प्रभाव और पश्चिम एशियाई शैली का मिश्रण थी और भारत में इस प्रकार की मस्जिदों के उदाहरण आम हैं। तीन गुंबदों के साथ बाबरी मस्जिद की भव्य संरचना थी, तीन गुंबदों में से एक प्रमुख था और दो गौण। यह दो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, जो एक दूसरे के समानांतर थीं और एक कुएं के साथ एक बड़ा–सा आंगन संलग्न था, उस कुएं को उसके ठंडे व मीठे जल के लिए जाना जाता है। गुंबददार संरचना के ऊंचे प्रवेश द्वार पर दो शिलालेख लगे हुए हैं जिनमे फ़ारसी भाषा में दो अभिलेख दर्ज हैं, जो घोषित करते हैं कि बाबर के आदेश पर किसी मीर बाक़ी ने इस संरचना का निर्माण किया। बाबरी मस्जिद की दीवारें भौंडे सफेद रेतीले पत्थर के खंडों से बने हैं, जिनके आकार आयताकार हैं, जबकि गुंबद पतले और छोटे पके हुए ईंटों के बने हैं। इन दोनों संरचनात्मक उपादानों को दानेदार बालू के साथ मोटे चून के लसदार मिश्रण से पलस्तर किया गया है।

मध्य आंगन बड़ी मात्रा में वक्र स्तंभों से घिरा हुआ था, छत की ऊंचाई बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। योजना और वास्तुकला

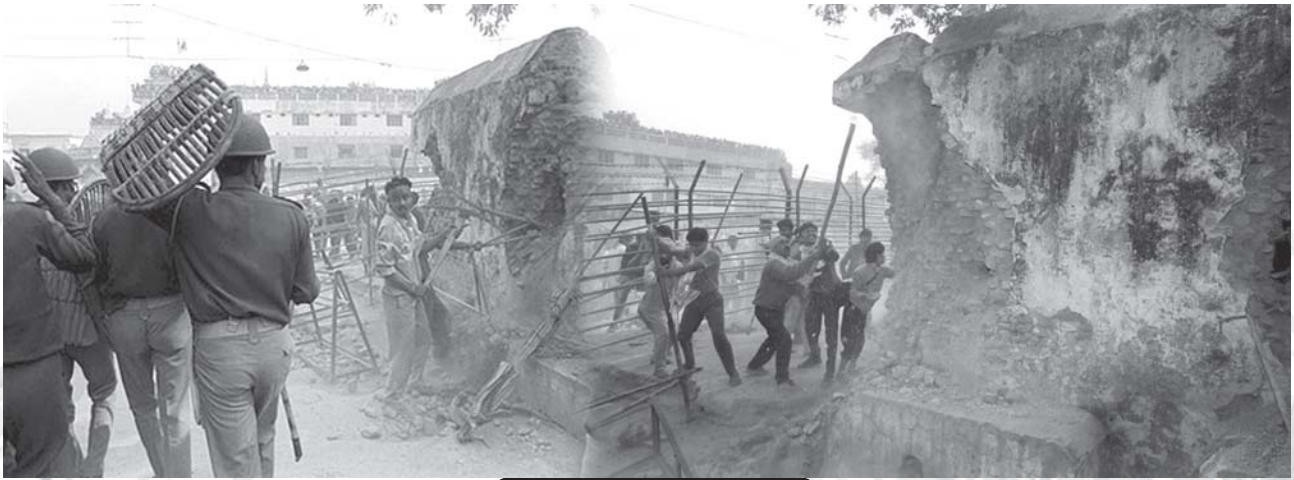

जहांपनाह की बेगमपुर की शुक्रवार मस्जिद से प्रभावित थी, न कि मुगल शैली से, जहां हिंदू राजमिस्त्री अपनी सीधी संरचनात्मक और सजावटी परंपराओं का इस्तेमाल किया करते थे। उनकी दस्तकारी की उत्कृष्टता उनके वानस्पतिक इमारती सजावट और कमल आकृति में साफ दिखती है। ये बेलबूटे फिरोजाबाद के फिरोज शाह मस्जिद (ई.सं. 1354), जो अब एक उजड़ी हुई स्थिति में है, किला कुहना मस्जिद (ई.सं. 1540), दीवार गौड़ शहर के दक्षिणी उपनगर की दरसबरी मस्जिद और शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित जमाली कामिली मस्जिद में भी मौजूद हैं। यह अकबर द्वारा अपनाई गयी भारत–इस्लामी शैली का अग्रवर्ती था।

☆ **बाबरी मस्जिद ध्वनिक और शीतलन प्रणाली :–** लॉर्ड विलियम बैन्टिक (1828–1833) के वास्तुकार ग्राहम पिकफोर्ड के अनुसार "बाबरी मस्जिद के मेहराब से एक कानाफूसी भी दूसरे छोर से, 200 फीट (60 मी) दूर और मध्य आंगन की लंबाई और चौडाई से, सुनी जा सकती है।" उनकी पुस्तक "हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ़ अवध" (अवध अर्थात अयोध्या) में उन्होंने मस्जिद की ध्वनिकी का उल्लेख किया है, जहां वे कहते हैं "किसी 16वीं सदी की इमारत में मंच से आवाज का फैलाव और प्रक्षेपण अत्यधिक उन्नत है, इस संरचना में ध्वनि का अद्वितीय फैलाव आगंतुक को चकित कर देगा। आधुनिक वास्तुकारों ने इस ध्वनिक विशेषता के लिए मेहराब की दीवार में बड़ी खाली जगह और चारों ओर की दीवारों में अनेक खाली जगहों को श्रेय दिया है, जो अनुनादक परिपथ के रूप में काम करती हैं; इस डिजाइन ने मेहराब के वक्ता को सुनने में सबकी मदद की। बाबरी मस्जिद के निर्माण में इस्तेमाल किये गये रेतीले पत्थर भी अनुनादक किस्म के थे, जिनका अद्वितीय ध्वनिकी में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। बाबरी मस्जिद की तुगलकी शैली अन्य स्वदेशी डिजाइन घटकों और तकनीक के साथ एकीकृत हुई, जैसे कि मेहराब, मेहराबी छत और गुम्बज जैसे इस्लामी वास्तुशिल्प तत्वों के आवरण में वातानुकूलित प्रणाली। बाबरी मस्जिद की एक शांतिपूर्ण पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली में ऊंची छतें, गुम्बज और छः बड़ी जालीदार झरोखे शामिल रहे थे। यह प्रणाली प्राकृतिक रूप से अंदरुनी भाग को ठंडा रखने और साथ ही सूर्य के प्रकाश को आने में मदद करती थी।

1527 में फरगना से जब मुस्लिम सम्राट बाबर आया तो उसने सिकरी में चित्तौड़गढ़ के हिंदू राजा राणा संग्राम सिंह को तोपखाने और गोला–बारूद का इस्तेमाल करके हराया। इस जीत के बाद, बाबर ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, उसने अपने सेनापति मीर बाकी को वहां का सूबेदार बना दिया। मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कर इसका नामकरण सम्राट बाबर के नाम पर किया। बाबर के रोजनामचा बाबरनामा में वहां किसी नई मस्जिद का जिक्र नहीं है, हालांकि रोजमानचे में उस अवधि से संबद्ध पन्ने गायब हैं। समकालीन तारीख–ए–बाबरी कहता है कि बाबर की सेना ने "चंदेरी में बहुत सारे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। 1992 में ध्वस्त ढांचे के मलबे से निकले एक मोटे पत्थर के खंड के अभिलेख से उस स्थल पर एक पुराने हिंदू मंदिर के पैलियोग्राफिक (लेखन के प्राचीनकालीन रूप के अध्ययन) प्रमाण प्राप्त हुए। विध्वंस के दिन 260 से अधिक अन्य कलाकृतियां और प्राचीन हिंदू मंदिर का हिस्सा होने के और भी बहुत सारे तथ्य भी निकाले गये। शिलालेख में 20 पंक्तियां, 30 श्लोक (Nan) हैं और इसे संस्कृत में नागरी लिपि में लिखा गया है। ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी में 'नागरी लिपि' प्रचलित थी। प्रो॰ ए. एम. शास्त्री, डॉ॰ के. वी. रमेश, डॉ॰ टी. पी. वर्मा, प्रो॰ बी.आर. ग्रोवर, डॉ॰ ए.के. सिन्हा, डॉ॰ सुधा मलैया, डॉ॰ डी. पी. दुबे और डॉ॰ जी. सी. त्रिपाठी समेत पुरालेखवेत्ताओं, संस्कृत विद्वानों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के दल द्वारा गूढ़ लेखों के रूप में संदेश के महत्वपूर्ण भाग को समझा गया। शुरू के बीस छंद राजा गोविंद चंद्र गढ़वाल (1114–1154 ई.) और उनके वंश की प्रशंसा करते हैं। इक्कीसवां छंद इस प्रकार कहता है: "वामन अवतार (बौने ब्राह्मण के रूप में विष्णु के अवतार) के चरणों में शीश नवाने के बाद अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए राजा ने विष्णु हरि (श्री राम) के अद्भुत मंदिर के लिए संगमरमर के खंबे और आकाश तक पहुंचनेवाले पत्थर की संरचना का निर्माण करने और शीर्ष चूड़ा को बहुत सारे सोने से मढ़ दिया और वाण का मुंह आकाश की ओर करके इसे पूरा किया – यह एक ऐसा भव्य मंदिर है जैसा इससे पहले देश के इतिहास में किसी राजा ने नहीं बनाया। इसमें आगे भी कहा गया है कि यह मंदिर, मंदिरों के शहर

अयोध्या में बनाया गया था। एक अन्य सन्दर्भ में, एक महंत रघुबर दास द्वारा दायर शिकायत पर फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने 18 मार्च 1886 को फैसला सुनाया था। हालांकि शिकायत को खारिज कर दिया गया था, फिर भी फैसले में दो प्रासंगिक तथ्य निकल कर आए: "मैंने पाया कि सम्राट बाबर द्वारा निर्मित मस्जिद अयोध्या नगर की सीमा पर स्थित है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मस्जिद ऐसी विशेष जमीन पर बनायी गयी है कि जो हिंदुओं द्वारा पूज्य है, लेकिन चूंकि यह घटना 358 साल पहले की है, इसीलिए इस शिकायत के प्रतिकार के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जो किया जा सकता है वह यह कि सभी पक्षों द्वारा यथास्थिति को बनाए रखा जाए। ऐसे किसी मामले में जैसा कि वर्तमान मामला है, किसी भी तरह का नवप्रवर्तन लाभ के बजाए और भी अधिक नुकसान और शांति में खलल पैदा करेगा।"

जैनियों के सामाजिक संगठन जैन समता वाहिनी के अनुसार, "उत्खनन के दौरान अगर कोई संरचना यहां मिलती है तो वह केवल छठी सदी का जैन मंदिर ही हो सकता है। जैन समता वाहिनी के महासचिव सोहन मेहता का दावा है कि बाबरी मस्जिद–राम जन्मभूमि विवाद सुलझाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर एएसआई द्वारा किया गया उत्खनन इस बात को प्रमाणित कर देता है कि विवादित ध्वस्त ढांचा वास्तव में, एक प्राचीन जैन मंदिर के अवशेष पर बनाया गया था। मेहता 18वीं शताब्दी के जैन भिक्षुओं की रचानाओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि अयोध्या वह जगह हैं जहां पांच जैन तीर्थंकर, ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ रहा करते थे। 1527 से पहले यह प्राचीन शहर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के पांच बड़े केंद्रों में से एक रहा है।

ऐसा कोई ऐतिहासिक अभिलेख इस तथ्य की ओर संकेत नहीं करता है कि 1528 में जब मीर बाकी ने मस्जिद स्थापित की, उस समय यहां अस्तित्व में रहे किसी हिंदू मंदिर का विध्वंस किया गया था। 23 दिसम्बर 1949 को जब अवैध रूप से मस्जिद में राम की मूर्तियों को रखा गया, तब प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री जेबी पंत को पत्र लिखकर उस गड़बड़ी को सुधारने की मांग की; क्योंकि "इससे वहां एक खतरनाक मिसाल स्थापित होती है।" स्थानीय प्रशासक, फैजाबाद उपायुक्त के. के. नायर ने नेहरू की चिंताओं को खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि मूर्तियों की स्थापना "एक अवैध कार्य थी", नायर ने मस्जिद से उन्हें हटाने से मना करते हुए यह दावा किया कि "इस गतिविधि के पीछे जो गहरी भावना है। उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए." 2010 में, हिंदू धर्मग्रंथों का हवाला देते हुए हजारों पृष्ठों के फैसले में उच्च न्यायालय ने जमीन का दो–तिहाई हिंदू मंदिर को दे दिया, लेकिन 1949 के अधिनियम की अवैधता की जांच में बहुत कम प्रयास किये गये। मनोज मिट्ठा के अनुसार, "एक तरह से मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने के लिए मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ किया जाना, स्वत्वाधिकार मुकदमा के अधिनिर्णय का केंद्र था।" मुसलमानों और अन्य आलोचकों का दावा है कि पुरातत्व रिपोर्ट जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और हिंदू मुन्नानी जैसे अतिवादी हिंदू संगठनों द्वारा बाबरी मस्जिद स्थल पर किए गए दावे पर भरोसा करके तैयार किये गए हैं, वे राजनीति से प्रेरित है। आलोचकों का कहना है कि एएसआई (ASI) द्वारा "हर जगह पशु की हड्डियों के साथ–साथ 'सुर्खी' और चूना–गारा पाया गया", ये सभी मुसलमानों की मौजूदगी के लक्षण है जो कि "बाबरी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर की संभावना को खारिज करते हैं," लेकिन रिपोर्ट में 'खंभों की बुनियाद' के आधार पर दावा किया जाना इसके साथ "साफ तौर पर धोखाधड़ी" है क्योंकि कोई खंभा नहीं पाया गया और कथित तौर पर खंभे की बुनियाद के अस्तित्व पर पुरातत्वविदों द्वारा तर्क–वितर्क किया गया है।

"1526 में पानीपत में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर के कदम हिंदुस्तान पर पड़े और अफगानी वंश के लोधी को परास्त कर वर्तमान संयुक्त प्रांत के पूर्वी जिलों और मध्य दोआब, अवध पर कब्जा करते हुए वह आगरा की ओर बढ़ा. 1527 में, बाबर के मध्य भारत से लौटने पर, कन्नौज के पास दक्षिणी अवध में उसने अपने विरोधियों को हरा दिया और प्रांत को पार करते हुए बहुत दूर तक जाते हुए अयोध्या तक पहुंच गया, जहां उसने 1528 में एक मस्जिद का निर्माण किया। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद अफगान बादशाह विपक्षी बने रहे, लेकिन अगले वर्ष लखनऊ के पास उन्हें हरा दिया।

★ **स्थल को लेकर संघर्ष :–** आधुनिक समय में इस मसले पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा की पहली घटना 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल के दौरान दर्ज की गयी। निर्मोही नामक एक हिंदू संप्रदाय ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ा है वहां एक मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था। अगले दो वर्षों में इस मुद्दे पर समय–समय पर हिंसा भड़की और नागरिक प्रशासन को हस्तक्षेप करते हुए इस स्थल पर मंदिर का निर्माण करने या पूजा करने की अनुमति देने से इंकार करना पड़ा। फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार, "इस समय (1855) तक, हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में इबादत या पूजा करते रहे थे। लेकिन विद्रोह (1857) के बाद, मस्जिद के सामने एक बाहरी दीवार डाल दी गयी और हिंदुओं को अदंरुनी प्रांगण में जाने, वेदिका (चबूतरा), जिसे उन लोगों ने बाहरी दीवार पर खड़ा किया था, पर चढ़ावा देने से मना कर दिया गया।" 1883 में इस चबूतरे पर मंदिर का निर्माण करने की कोशिश को उपायुक्त द्वारा रोक दिया गया, उन्होंने 19 जनवरी 1885 को इसे निषिद्ध कर दिया। महंत रघुवीर दास ने उप–न्यायाधीश फैजाबाद की अदालत में एक मामला दायर किया। 17 फीट 21 फीट माप के चबूतरे पर पंडित हरिकिशन एक मंदिर के निर्माण की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन मुकदमे को बर्खास्त कर दिया गया। एक अपील फैजाबाद जिला न्यायाधीश, कर्नल जे.ई.ए. चमबिअर की अदालत में दायर किया गया, स्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने 17 मार्च 1886 को इस अपील को खारिज

कर दिया। एक दूसरी अपील 25 मई 1886 को अवध के न्यायिक आयुक्त डब्ल्यू. यंग की अदालत में दायर की गयी थी, इन्होंने भी इस अपील खारिज कर दिया। इसी के साथ, हिंदुओं द्वारा लड़ी गयी पहले दौर की कानूनी लड़ाई का अंत हो गया। 1934 के "सांप्रदायिक दंगों" के दौरान, मस्जिद के चारों ओर की दीवार और मस्जिद के गुंबदों में एक गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इनका पुनर्निर्माण किया गया।

मस्जिद और गंज–ए–शहीदन कब्रिस्तान नामक कब्रगाह से संबंधित भूमि को वक्फ क्र. 26 फैजाबाद के रूप में यूपी सुन्नी केंद्रीय वक्फ (मुस्लिम पवित्र स्थल) बोर्ड के साथ 1936 के अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। इस अवधि के दौरान मुसलमानों के उत्पीड़न की पृष्ठभूमि की क्रमशः 10 और 23 दिसम्बर 1949 की दो रिपोर्ट दर्ज करके वक्फ निरीक्षक मोहम्मद इब्राहिम द्वारा वक्फ बोर्ड के सचिव को दिया गया था। पहली रिपोर्ट कहती है "मस्जिद की तरफ जानेवाले किसी भी मुस्लिम टोका गया और नाम वगैरह ... लिया गया। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि हिंदुओं से मस्जिद को खतरा है।.. जब नमाजी (नमाज अदा करने वाले) लौट कर जाने लगते है तो उनकी तरफ आसपास के घरों के जूते और पत्थर फेंके जाते हैं। मुसलमान भय के कारण एक शब्द भी नहीं कहते। रघुदास के बाद लोहिया ने अयोध्या का दौरा किया और वहां भाषण दिया ... कब्र को नुकसान मत पहुंचाइए... बैरागियों ने कहा मस्जिद जन्मभूमि है और इसलिए इसे हमें दे दें। मैंने अयोध्या में एक रात बिताई और बैरागी जबरन मस्जिद पर कब्जा करने लगे।

22 दिसम्बर 1949 की आधी रात को जब पुलिस गार्ड सो रहे थे, तब राम और सीता की मूर्तियों को चुपचाप मस्जिद में ले जाया गया और वहां स्थापित कर दिया गया। अगली सुबह इसकी खबर कांस्टेबल माता प्रसाद द्वारा दी गयी और अयोध्या पुलिस थाने में इसकी सूचना दर्ज की गयी। 23 दिसम्बर 1949 को अयोध्या पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर राम दुबे द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा गयाः "50–60 व्यक्तियों के एक दल ने मस्जिद परिसर के गेट का ताला तोड़ने के बाद या दीवारों को फांद कर बाबरी मस्जिद में प्रवेश किया। और वहां श्री भगवान की मूर्ति की स्थापना की तथा बाहरी और अंदरुनी दीवार पर गेरू (लाल दूमट) से सीता–राम का चित्र बनाया गया। उसके बाद, 5–6 हजार लोगों की भीड़ आसपास इकट्ठी हुई तथा भजन गाते और धार्मिक नारे लगाते हुए मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन रोक दिए गए।" अगली सुबह, हिंदुओं की बड़ी भीड़ ने भगवानों को प्रसाद चढ़ाने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने का प्रयास किया। जिला मजिस्ट्रेट के.के. नायर ने दर्ज किया है कि "यह भीड़ जबरन प्रवेश करने की कोशिश करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प थी। ताला तोड़ डाला गया और पुलिसवालों को धक्का देकर गिरा दिया गया। हममें से सब अधिकारियों और दूसरे लोगों ने किसी तरह भीड़ को पीछे की ओर खदेड़ा और फाटक को बंद किया। पुलिस और हथियारों की परवाह न करते हुए साधु एकदम से उन पर टूट पड़े और तब बहुत ही मुश्किल से हमलोगों ने किसी तरह से फाटक को बंद किया। फाटक सुरक्षित था और बाहर से लाये गए एक बहुत ही मजबूत ताले से उसे बंद कर दिया गया तथा पुलिस बल को सुदृढ़ किया गया । इस खबर को सुनकर प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को यह निर्देश दिया कि वे यह देखें कि देवताओं को हटा लिया जाए। पंत के आदेश के तहत मुख्य सचिव भगवान सहाय और फैजाबाद के पुलिस महानिरीक्षक वी.एन. लाहिड़ी ने देवताओं को हटा लेने के लिए फैजाबाद को तत्काल निर्देश भेजा। हालांकि, के. के. नायर को डर था कि हिंदू जवाबी कार्रवाई करेंगे और आदेश के पालन को अक्षम करने की पैरवी करेंगे।

1984 में, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने मस्जिद के ताले को खुलवाने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया और 1985 में

राजीव गांधी की सरकार ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खोल देने का आदेश दिया। उस तारीख से पहले केवल हिन्दू आयोजन की अनुमति थी, जिसमें हिंदू पुरोहित मूर्तियों की सालाना पूजा करते थे। इस फैसले के बाद, सभी हिंदुओं को, जो इसे राम का जन्मस्थान मानते थे, वहां तक जाने की अनुमति मिल गयी और मस्जिद को एक हिंदू मंदिर के रूप में कुछ अधिकार मिल गया।

क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव तब बहुत अधिक बढ़ गया जब नवंबर 1989 में राष्ट्रीय चुनाव से पहले विहिप को विवादित स्थल पर शिलान्यास (नींव स्थापना समारोह) करने की अनुमति प्राप्त हो गई। वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक रथ पर सवार होकर दक्षिण से अयोध्या तक की 10,000 किमी की यात्रा की शुरूआत की।

★ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट :– 1970, 1992 और 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा विवादित स्थल के आसपास की गयी खुदाई से उस स्थल पर बौद्ध मठ होने के संकेत मिला है। 2003 में, भारतीय अदालत द्वारा दिए गए आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इसका और अधिक गहन अध्ययन करने तथा मलबे के नीचे विशेष तरह की संचरना की खुदाई करने को कहा गया। एएसआई का रिपोर्ट सारांश मस्जिद के नीचे मंदिर के सबूत होने के निश्चित संकेत देता है। एएसआई शोधकर्ताओं के शब्दों में, उनलोगों ने "उत्तर भारत के मंदिरों से जुड़ी विशिष्टताओं की" खोज की।

खुदाई का नतीजा :– stone and decorated bricks as well as mutilated sculpture of a divine couple and carved architectural features, including foliage patterns, amalaka, kapotapali, doorjamb with semi-circular shrine pilaster, broke octagonal shaft of black schist pillar, lotus motif, circular shrine having pranjala (watershute) in the north and 50 pillar bases in association with a huge structure "

सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट (सहमत) ने रिपोर्ट की आलोचना यह कहते हुए की कि "हर तरफ पशु हड्डियों के साथ ही साथ सुर्खी और चूना–गारा की मौजूदगी" जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मिला, ये सब मुसलमानों की उपस्थिति के लक्षण हैं "जो कि मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर के होने की बात को खारिज कर देती है" लेकिन 'खंभों की

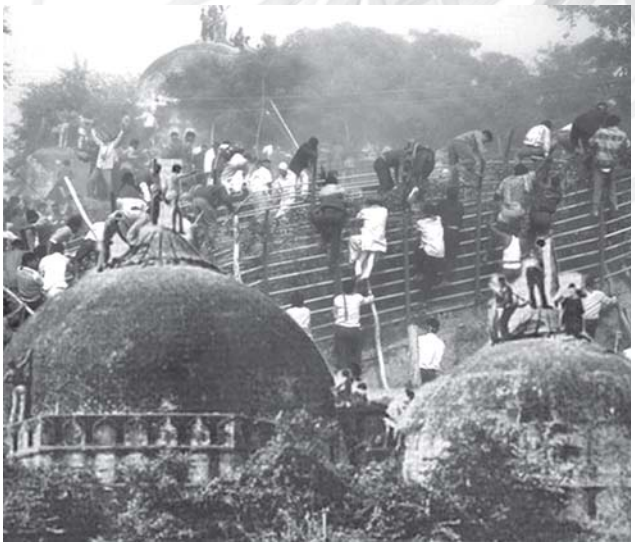

बुनियाद' के आधार पर रिपोर्ट कुछ और दावा करती है जो कि अपने निश्चयन में "स्पष्टतः धोखाधड़ी" है क्योंकि कोई खंभा नहीं मिला है और पुरातत्वविदों के बीच उस तथाकथित 'खंबे की बुनियाद' के अस्तित्व पर बहस जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआइएमपीएलबी) के अध्यक्ष सैयद रबे हसन नदवी ने बताया कि एएसआई अपनी अंतरिम रिपोर्ट में किसी मंदिर के कोई सबूत का उल्लेख करने में विफल रहा है और राष्ट्रीय तनाव के समय के दौरान केवल अंतिम रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया, जिससे रिपोर्ट बहुत ही सदिग्ध बन जाती है।

हालांकि, न्यायाधीश अग्रवाल, एक न्यायाधीश जिन्होंने क्षेत्र का विभाजन किया, कहते हैं कि बहुत सारे "स्वतंत्र इतिहासकारों" ने तथ्य्यों के मामले में "शुतुरमुर्ग जैसे रवैए" का प्रदर्शन किया और वास्तव में जब उनको "जांचा गया तो पता चला" कि इस विषय पर किसी तरह की विशेषज्ञता का उनमें अभाव था। इसके अलावा, ज्यादातर "विशेषज्ञ" परस्पर आपस में जुड़े पाए गएः या तो उनलोगों ने खबरों को पढ़कर अपनी विशेषज्ञता को तैयार किया या फिर वक्फ बोर्ड के लिए "विशेषज्ञ गवाह" की तरह उनका किसी अन्य व्यावसायिक संगठनो के साथ जुड़ाव है। ढांचे के नीचे मंदिर (हिंदू मंदिर) पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निष्कर्ष की जांच करते हुए विहिप और आरएसएस, मुसलमानों से यह मांग करते हुए आगे आए कि उत्तर भारतीयों की तीन पवित्रतम मंदिर हिंदुओं को सौंप दी जाए।

★ विध्वंसः– 6 दिसम्बर 1992 भारत सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए बनी परिस्थितियों की जांच करने के लिए लिब्रहान आयोग का गठन किया गया। विभिन्न सरकारों द्वारा 48 बार अतिरिक्त समय की मंजूरी पाने वाला, भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक काम करनेवाला यह आयोग है। इस घटना के 17 सालों से भी अधिक समय के बाद 30 जून 2009 को आयोग ने प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट की सामग्री नवंबर 2009 को समाचार मीडिया में लीक हो गयी। मस्जिद के विध्वंस के लिए रिपोर्ट ने भारत सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों और हिंदू राष्ट्रवादियों को दोषी ठहराया. इसकी सामग्री भारतीय संसद में हंगामे का कारण बनी। 06 दिसम्बर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन जो कुछ भी हुआ था, लिब्रहान रिपोर्ट ने उन सिलसिलेवार घटनाओं के टुकड़ों कों एक साथ गूंथा था। लालकृष्ण आडवाणी और अन्य लोगों ने विनय कटियार के घर पर मुलाकात की। रिपोर्ट कहती है कि इसके

बाद वे विवादित ढांचे के लिए रवाना हुए. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कटियार पूजा की वेदी पर पहुंचे, जहां प्रतीकात्मक रूप से कार सेवा होनी थी, फिर आडवाणी और जोशी ने अगले 20 मिनट तक तैयारियों का निरीक्षण किया। इसके बाद दोनो वरिष्ठ नेता 200 मीटर की दूरी पर राम कथा कुंज के लिए रवाना हो गए। यह वह इमारत है जो विवादित ढांचे के सामने थी, जहां वरिष्ठ नेताओं के लिए एक मंच का निर्माण किया गया था। एक किशोर कार सेवक कूद कर गुंबद के ऊपर पहुंच गया और उसने बाहरी घेरे को तोड़ देने का संकेत दिया। रिपोर्ट कहती है कि इस समय आडवाणी, जोशी और विजय राजे सिंधिया ने "... या तो गंभीरता से या मीडिया का लाभ उठाने के लिए कार सेवकों से उतर आने का औपचारिक अनुरोध किया। पवित्र स्थान के गर्भगृह में नहीं जाने या ढांचे को न तोड़ने की कार सेवकों से कोई अपील नहीं की गयी थी। रिपोर्ट कहती हैः "नेताओं के ऐसे चुनिंदा कार्य विवादित ढांचे के विध्वंस को पूरा करने के उन सबके भीतर छिपे के इरादों का खुलासा करते हैं। रिपोर्ट का मानना है कि "राम कथा कुंज में मौजूद आंदोलन के प्रतीक ... तक बहुत ही आसानी से पहुंच कर... विध्वंस को रोक सकते थे।"

★ **विध्वंस में अग्रिम योजना बनाई गई :–** पूर्व खुफिया ब्यूरो (आईबी) के संयुक्त निदेशक मलय कृष्ण धर ने 2005 की एक पुस्तक में दावा किया कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की योजना 10 महीने पहले आरएसएस, भाजपा और विहिप के शीर्ष नेताओं द्वारा बनाई गई थी और इन लोगों ने इस मसले पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव द्वारा उठाये गए कदम पर सवाल उठाया था। धर ने दावा किया है कि भाजपा/संघ परिवार की एक महत्वपूर्ण बैठक की रिपोर्ट तैयार करने का प्रबंध करने का उन्हें निर्देश दिया गया था और उस बैठक ने "इस शक की गुंजाइश को परे कर दिया कि उनलोगों (आरएसएस, भाजपा, विहिप) ने आनेवाले महीने में हिंदुत्व हमले का खाका तैयार किया और दिसंबर 1992 में अयोध्या में 'प्रलय नृत्य' (विनाश का नृत्य) का निर्देशन किया।.. बैठक में मौजूद आरएसएस, भाजपा, विहिप और बजरंग दल के नेता काम को योजनाबद्ध रूप से अंजाम देने की बात पर आपसी सहमति से तैयार हो गए।" उनका दावा है कि बैठक के टेप को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने बॉस के सुपुर्द किया, उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि उन्हें इसमें कोई शक नहीं है कि उनके बॉस ने उस टेप की सामग्री को प्रधानमंत्री (राव) और गृह मंत्री (एसबी चव्हाण) को दिखाया। लेखक ने दावा किया है कि यहां एक मूक समझौता हुआ था जिसमें अयोध्या ने उन्हें "राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हिंदुत्व की लहर को शिखर पर पहुंचाने का एक अद्भुत अवसर" प्रदान किया।

★ **लिब्रहान आयोग के निष्कर्ष :–** न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्राहन द्वारा लिखी गयी रिपोर्ट में मस्जिद के विध्वंस के लिए 68 लोगों को दोषी ठहराया गया है – इनमें ज्यादातर भाजपा के नेता और कुछ नौकरशाह हैं। रिपोर्ट में पूर्व भाजपा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और संसद में पार्टी के तत्कालीन (2009) नेता लालकृष्ण आडवाणी का नाम लिया गया हैं। कल्याण सिंह, जो मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, की भी रिपोर्ट में कड़ी आलोचना की गयी। उन पर अयोध्या में ऐसे नौकरशाहों और पुलिस को तैनात करने का आरोप है, जो विध्वंस के दौरान मूक बन कर खड़े रहे। लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट में राजग सरकार में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी को भी विध्वंस में दोषी ठहराया गया है। एक भारतीय पुलिस अधिकारी अंजू गुप्ता अभियोजन गवाह के रूप में पेश की गयीं। विध्वंस के दिन वे आडवाणी की सुरक्षा प्रभारी थीं और उन्होंने खुलासा किया कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने भड़ाकाऊ भाषण दिए।

★ **लोकप्रिय संस्कृति में :–** बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन द्वारा 1993 में लिखे गए विवादास्पद बांग्ला उपन्यास लज्जा में कहानी विध्वंस के बाद के दिनों पर आधारित है। इसके विमोचन के बाद लेखिका को उनके गृह देश में जान से मारने की धमकी मिली है और तब से वे निर्वासन में रह रही हैं। विध्वंस से उठे धुएं के परिणामस्वरूप घटनेवाली घटनाएं और दंगे बोम्बे (1995), दैवनामाथिल (2005) जैसी फिल्म की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं, दोनों फिल्मों को राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का संबंधित राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के दौरान नरगिस दत्त अवार्ड मिला; नसीम (1995), स्ट्राइकर (2010) और स्लमडॉग मिलियनेयर (2008) में भी इसका जिक्र था।

★ **उच्चतम न्यायालय के अब तक की प्रकिया** :– वर्षों से राम मंदिर का मुद्दा न्यायालय के अंदर चल रहा है और ना ही इस पर सुनवाई हो रही है और ना ही फैसला। बीते दिनों यह कयास लगाया जा रहा था कि सुनवाई बहुत जल्द संभव होगी। किन्तु उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन से संबंधित मामले की सुनवाई जनवरी तक स्थगित कर दी है। बताते चले कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जनवरी, 2019 में यह मामला उचित पीठ के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले की जल्द सुनवाई की दलीलों के बीच न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा कि हमारी अन्य प्राथमिकताएं भी हैं। उच्चतम न्यायालय ने 27 सितंबर को इस्माइल पफारुकी मामले में अपने 1994 के फैसले पर पुनर्विचार करने से इंकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, यहां तक कि खुले में भी। बताते चले कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन–सदस्यीय खंडपीठ ने 2:1 के बहुमत का फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस्माइल फारुकी मामले में इस न्यायालय का 1994 का फैसला भूमि अधिग्रहण से जुड़ा और विशेष संदर्भ में था। अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई में उस बिंदु को शामिल नहीं किया जा सकता। खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर हैं। न्यायमूर्ति भूषण ने अपनी और मुख्य न्यायाधीश की ओर से फैसला पढ़ा जबकि न्यायमूर्ति नजीर ने असहमति का फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 30 सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थीं जिन पर शीर्ष न्यायालय में सुनवाई की जानी है। शीर्ष

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मामले की सुनवाई की अगली तारीख भी जनवरी, 2019 में तय की जाएगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने 2:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों–सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला में बराबर–बराबर बांट दिया जाए। उच्चतम न्यायालय में पिछले आठ वर्ष से यह मामला चल रहा है। गौरतलब है कि 16वीं शताब्दी में निर्मित बाबरी मस्जिद को 1992 में लाखों कारसेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। उन्होंने इसे भगवान राम का जन्म स्थान बताते हुए यहां राम मंदिर निर्माण की मांग की थी। उसके बाद से यह मामला हमेशा चर्चा में रहा है और 2014 के आम चुनाव में यह भाजपा के घोषणा पत्रा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी था।

बहरहाल एक के बाद एक न्यायालय की प्रक्रिया पर सभी की नजरे टिकी हुई थी एवं सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विवाद में जमीन के मालिकाना हक पर 29 अक्टूबर 2018 को सुनवाई करने वाली थी, जिसे अगले साल 2019 के जनवरी तक टाल दिया गया। सनद् रहे कि मालिकाना हक का ये मामला देश की अदालतों में 1949 से ही चला आ रहा है। गौरतलब रहे की यह ममला सन 1528 ई यानि 490 साल पुराना है ।

✯ आइए एक नजर समझते है 490 साल पुराने इस विवाद को कब शुरू हुआ और अब तक इस विवाद में समय का पहिया कैसे घूमा है:–

☞ 1528 :– अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसे कुछ हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं।

☞ 1853 :– पहली बार इस स्थल के पास सांप्रदायिक दंगे हुए। समझा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने यह मस्जिद बनवाई थी, जिस कारण इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। अब कुछ हिंदू संगठन उस जगह पर राम मंदिर बनाना चाहते हैं।

☞ 1859 :– ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी।

☞ 1949 :– भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। कथित रूप से कुछ हिंदूओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थीं। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके यहां ताला लगा दिया।

☞ 1984 :– कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद् के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लालकृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया।

☞ 1986 :– जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया।

☞ 1989 :– विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी।

☞1990 :– विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को कुछ नुकसान पहुँचाया। तत्कालीन प्रधनमंत्रीा चंद्रशेखर ने वार्ता के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की मगर कामयाबी नहीं मिली।

☞ 1992 :– विश्व हिंदू परिषद, शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके

बाद देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए।

☞ 1998 :– प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाई।

☞ 2001 :– बाबरी मस्जिद गिराए जाने की बरसी पर तनाव बढ़ गया और विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण करने के अपना संकल्प दोहराया।

☞ जनवरी 2002 :– अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया। वरिष्ठ अधिकारी शत्राुधन सिन्हा को हिंदू और मुसलमान नेताओं के साथ बातचीत के लिए नियुक्त किया गया।

☞ फरवरी 2002 :– भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधनसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से इंकार किया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा की। सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या में जुटे। अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार्यकर्ता जिस रेलगाड़ी में यात्राा कर रहे थे, उस पर गुजरात के गोधरा में हुए हमले में 58 कारसेवक मारे गए।

☞ 13 मार्च, 2002 :– सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी और किसी को भी सरकार द्वारा अधिग्रहीत जमीन पर शिलापूजन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत के फैसले का पालन किया जाएगा।

☞ 15 मार्च, 2002 :– विश्व हिंदू परिषद और केंद्र सरकार के बीच इस बात को लेकर समझौता हुआ कि परिषद के नेता सरकार को मंदिर परिसर से बाहर शिलाएं सौंपेंगे। रामजन्म भूमि न्यास के अध्यक्ष महंत परमहंस रामचंद्र दास और विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल के नेतृत्व में लगभग आठ सौ कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारी को अखाड़े में शिलाएं सौंपीं।

☞ 22 जून, 2002 :– विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए विवादित भूमि के हस्तांतरण की मांग उठाई।

☞ जनवरी 2003 :– रेडियो तरंगों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या विवादित राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद परिसर के नीचे किसी प्राचीन इमारत के अवशेष दबे हैं, कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकला।

☞ मार्च 2003 :– केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विवादित स्थल पर

पूजापाठ की अनुमति देने का अनुरोध किया जिसे ठुकरा दिया गया।

☞ अप्रैल 2003 :– इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की, जून महीने तक खुदाई चलने के बाद आई रिपोर्ट में कहा गया है कि उसमें मंदिर से मिलते–जुलते अवशेष मिले हैं।

☞ मई 2003 :– सीबीआई ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी सहित आठ लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए।

☞ जून 2003 :– कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की और उम्मीद जताई कि जुलाई तक अयोध्या मुद्दे का हल निश्चित रूप से निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

☞ अगस्त 2003 :– भाजपा नेता और उप प्रधानमंत्री एल.के. आडवाणी ने विहिप के इस अनुरोध को ठुकराया कि राम मंदिर बनाने के लिए विशेष विधेयक लाया जाए।

☞ अप्रैल 2004 :– आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राममंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा।

☞ जुलाई 2004 :– शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने सुझाव दिया कि अयोध्या में विवादित स्थल पर मंगल पांडे के नाम पर कोई राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए।

☞ जनवरी 2005 :– लालकृष्ण आडवाणी को अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उनकी कथित भूमिका के मामले में अदालत में तलब किया गया।

☞ जुलाई 2005 :– पांच हथियारबंद चरमपंथियों ने विवादित परिसर पर हमला किया जिसमें पांचों चरमपंथियों सहित छह लोग मारे गए, हमलावर बाहरी सुरक्षा घेरे के नजदीक ही मार डाले गए।

☞ 6 जुलाई 2005 :– इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी को भी शामिल करने का आदेश दिया। इससे पहले उन्हें बरी कर दिया गया था।

☞ 28 जुलाई 2005 :–लालकृष्ण आडवाणी 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में रायबरेली की एक अदालत में पेश हुए। अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ आरोप तय किए।

☞ 4 अगस्त 2005 :– फैजाबाद की अदालत ने अयोध्या के विवादित परिसर के पास हुए हमले में कथित रूप से शामिल चार लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा।

☞ 20 अप्रैल 2006 :– कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लिब्रहान आयोग के समक्ष लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था और इसमें भाजपा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल और शिवसेना की मिलीभगत थी।

☞ जुलाई 2006 :– सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेटप्रूफ काँच का घेरा बनाए जाने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया और कहा कि यह अदालत के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे।

☞ 19 मार्च 2007 :– कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी दौरे के बीच कहा कि अगर नेहरू–गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद न गिरी होती। उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई।

☞ 30 जून 2009 :– बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की जांच के लिए गठित लिब्रहान आयोग ने 17 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी।

☞ 7 जुलाई, 2009 :– उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामे में स्वीकार किया कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 23 महत्वपूर्ण फाइलें सचिवालय से गायब हो गई हैं।

☞ 24 नवंबर, 2009 :– लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया और नरसिंह राव को क्लीन चिट दी।

☞ 20 मई, 2010 :– बाबरी विध्वंस के मामले में लालकृष्ण आडवाणी और अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने को लेकर दायर पुनरीक्षण याचिका हाई कोर्ट में खारिज।

☞ 26 जुलाई, 2010 :– रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई पूरी।

☞ 8 सितंबर, 2010 :– अदालत ने अयोध्या विवाद पर 24 सितंबर को फैसला सुनाने की घोषणा की।

☞ 17 सितंबर, 2010 :– हाई कोर्ट ने फैसला टालने की अर्जी खारिज की।

☞ 30 सितम्बर 2010 :– एक ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या के विवादित स्थल को राम जन्मभूमि घोषित किया और तीन हिस्सों में बांट दिया।

☞ 9 मई 2011 :– सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने पर रोक रहेगी। साथ ही विवादित स्थल पर सात जनवरी

1993 वाली यथास्थिति बहाल रहेगी।

☞ 26 फरवरी 2016 :– विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

☞ 20 जुलाई 2016:– बाबरी मस्जिद–राम जन्मभूमि के सबसे उम्रदराज मुद्दई ;वादीद्ध हाशिम अंसारी का 96 साल की उम्र में अयोध्या में निधन हो गया।

☞ 21 मार्च 2017 :– सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि अयोध्या विवाद मामले को आपसी बातचीत से सुलझा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे बातचीत की मध्यस्थता कर सकते हैं, उनके इस सुझाव का लालकृष्ण आडवाणी सहित भाजपा के कई नेताओं ने स्वागत किया।

☞ 7 अगस्त 2017 :– सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिए गए इस्माइल फारूकी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच का गठन किया।

☞ 8 अगस्त 2017 :– यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अयोध्या में विवादित जमीन से कुछ दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद बनाई जा सकती है।

☞ 11 सितंबर 2017 :– सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश देते हुए कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की निगरानी के लिए 10 दिनों के अंदर दो जजों को बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए।

☞ 20 नवंबर 2017 :– यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मंदिर अयोध्या में और मस्जिद लखनऊ में बनाई जा सकती है।

☞ 1 दिसंबर 2017 :– 32 कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती देने के लिए हस्तक्षेप आवेदन दिए। इसमें फिल्म निर्माताओं अपर्णा सेन, श्याम बेनेगल और मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ समेत सुब्रमण्यम स्वामी के आवेदन शामिल थे।

☞ 8 फरवरी 2018 :– सुप्रीम कोर्ट में दिवानी मामले की सुनवाई शुरू।

☞ 14 मार्च 2018 :– सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी समेत सभी अंतरिम याचिकाओं को खारिज किया। केवल सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के बारे में अदालत ने कहा कि अब इसे एक अलग याचिका के रूप में सूचीब किया जाएगा।

☞ 6 अप्रैल 2018 :– मुस्लिम पक्षकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव ध्वन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वो 1994 के अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजे।

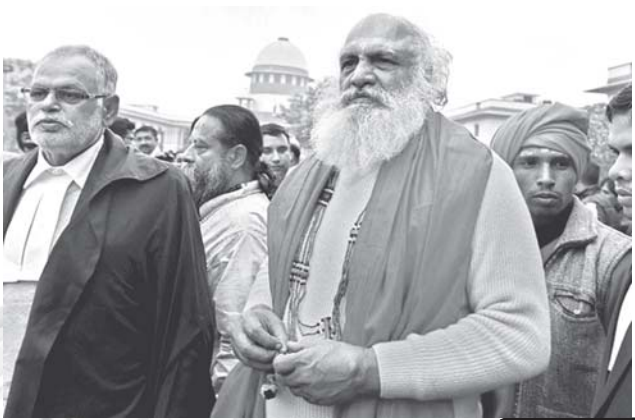

☞ 6 जुलाई 2018 :– उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कुछ मुस्लिम संगठन 1994 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर मामले की सुनवाई में देर कराने की कोशिश कर रहे हैं।

☞ 13 जुलाई 2018 :– सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अयोध्या में विवादित जमीन के मामले में 20 जुलाई से लगातार सुनवाई होगी।

☞ 20 जुलाई 2018 :– सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।

☞ 27 सितंबर 2018 :– सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद से जुड़े 1994 वाले फैसले पर पुनर्विचार से इंकार किया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारुकी मामले को संवैधनिक पीठ के पास भेजने से भी इनकार कर दिया।

उपर्युक्त तिथियों पर लगातार देश की नजरें टिकी हुई थी, बावजूद इसके निर्णय अभी तक सामने नहीं आये। ध्यान रहे कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कद्दावर और कट्टर हिन्दूवादी नेता के रूप में देखते हुए नरेन्द्र मोदी को प्रधनमंत्री को उम्मीदवार बनाया था और इनके समर्थन में विश्व हिन्दू परिषद् आरएसएस सहित अन्य सहयोगी दलों ने अपना भरपूर साथ दिया। इसका परिणाम यह रहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अप्रत्याशित जन सर्मथन प्राप्त हुआ और नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बनाये गये। हालांकि चुनावी घोषणा में जिस प्रकार भाजपा एवं नरेन्द्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण पर जोर दिया था, वह इनके कार्यकाल में नहीं पूर्ण हो पाये, बहरहाल कई सहयोगी संगठनों में इनका कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है।

बताते चले कि अयोध्या में स्थित विवादित श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण को लेकर आमरण अनशन पर बैठे तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। आमरण अनशन पर बैठे महंत परमहंस ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार यह नहीं चाहती है कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो। उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह मेरा अनशन जबर्दस्ती तुड़वाना चाहती है, इसके लिए बार–बार मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है तथा धमकियां भी दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आमरण अनशन पर बैठने का मेरा मकसद यही था कि देश के प्रधानमंत्री मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें और श्रीराम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दर्शन करें। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों से मुझे धमकी दिलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर आप अनशन नहीं तोड़ेंगे तो आपको यहां से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अनशन तोडना होता तो मैं शुरू क्यों करता? मेरे अनशन को लेकर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल शुरू नहीं की गई है। तपस्वी छावनी के महंत ने कहा कि आज भाजपा की सरकार राम मंदिर के नाम पर केन्द्र में पूर्ण बहुमत से है। इसके बावजूद भी रामलला टाट पट्टी में विराजमान हैं। महंत ने कहा कि मैं एक सत्याग्रही हूं और गांधीवादी विचारधारा की तरह शांति एवं न्यायप्रिय ढंग से सरकार से मांग कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक बार अयोध्या आकर रामलला का दर्शन कर लें, लेकिन प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं आना चाहते और न ही राम मंदिर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए विहिप सुप्रीमो अशोक सिंहल, महंत रामचन्द्रदास परमहंस, महंत अवैद्यनाथ जैसे

लोग और लाखों कार सेवक शहीद हो गए। उसके बाद भी राम का मंदिर नहीं बन पाया। दूसरी तरफ विश्व हिन्दू परिषद ने कहा कि वह राम मंदिर के निर्माण के लिए अदालत के फैसले का अनंतकाल तक इंतजार नहीं कर सकती। साथ ही विहिप ने सरकार से राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कानून लाने की अपील भी की। विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने मोदी सरकार से संसद के शीतकालीन सत्र में इस विषय पर कानून बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पांच अक्टूबर 2018 को संतों की उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई है, जिसमें यह निर्णय हुआ कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं किया जा सकता। विहिप के कार्याध्यक्ष ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारे रुख को बल मिलता है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए अनंत काल तक इंतजार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार कानून लाए। विहिप के कार्याध्यक्ष का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के विषय को अगले वर्ष जनवरी तक आगे बढ़ा दिया। कुमार ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए जनमत बनाने की पहल करते हुए विहिप सभी राज्य के राज्यपालों को ज्ञापन दे रही है। इसके बाद नवम्बर महीने में देश भर में विहिप कार्यकर्ता क्षेत्र की जनता के साथ अपने सांसदों एवं जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और राम मंदिर के निर्माण के लिए कानून बनाने पर जोर देंगे। विहिप के कार्याध्यक्ष ने कहा कि दिसंबर माह में राम मंदिर के निर्माण के लिए देशभर के प्रमुख धर्मिक स्थलों पर यज्ञ, पूजा और अनुष्ठान किया जाएगा। इसके बाद हम प्रयाग में कुंभ के दौरान 31 जनवरी से फरवरी के पहले सप्ताह तक आयोजित होने वाली धर्म संसद में स्थिति की समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक विवाद मामले में दायर दीवानी अपीलों को अगले साल जनवरी के पहले हफते में एक उचित पीठ के सामने सूचीब किया है जो सुनवाई की तारीख तय करेगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि उचित पीठ अगले साल जनवरी में सुनवाई की आगे की तारीख तय करेगी।

विडम्बना है कि हिन्दू बहुल्य देश में प्रभु राम की जन्मभूमि पर उनके अस्तित्व पर सवाल उठाये जाने से लेकर प्रभु राम को न्यायालय में लाना हिन्दू आस्था को ठेस पहुंचाता रहा है और ऐसे में नेता अपना उल्लू सीध करने की पुरजोर कोशिश में जुटे रहते हैं। फिलवक्त जैसे ही राम जन्मभूमि की सुनवाई पर चर्चा तेज हुई की कई दलीय नेताओं के तीखे बयान देना शुरू हो कर दिया है। IMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में केंद्र सरकार को अध्यादेश लाने की चुनौती दी है। दूसरी ओर ओवैसी ने कहा कि कोर्ट का निर्णय है और इसे हम सबको मानना पड़ेगा, जबकि भाजपा नेता विनय कटियार ने कांग्रेस के दबाव में काम होने का आरोप लगाया है। केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सब्र टूटने वाले बयान पर ओवैसी ने कहा कि गिरिराज को ही अदालत में खड़ा कर देना चाहिए। सांसद ओवैसी ने कहा कि देश संविधान के तहत चलेगा। परोक्ष रूप से मोदी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर 56 इंच का सीना है तो अध्यादेश लाइए। किसको डरा रहे हैं, अध्यादेश लाएंगे तो फिर फटकार पड़ेगी। गौरतलब है कि कोर्ट के निर्णय से पहले गिरिराज ने कहा था कि अब हिन्दुओं का सब्र टूट रहा है। मुझे भय है कि अगर हिंदुओं का सब्र टूटा तो क्या होगा? वहीं, भाजपा नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने इस मामले पर चुप्पी साधली, जबकि शिया वक्फ बोर्ड के चीफ वसीम रिजवी ने कहा कि कुछ कट्टरपंथी मुल्लाओं और कांग्रेस की सियासत के कारण यह मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा है। भगवान अपने घर के लिए इंसानी अदालत के फैसले के इंतजार में हैं। यह शर्मनाक है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा कि जहां रामलला विराजमान हैं वही उनकी जन्मभूमि है। सरकार अयोध्या के विकास के निरंतर काम कर रही है। श्रीराम का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जायेगा। यह एक संवैधनिक मामला है। न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते यह मेरा कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि सूबे के सभी स्थलों का विकास हो। इसके लिए मैं संकल्पित भी हूं। सरकार अयोध्या के विकास को लेकर संकल्पित है। इससे न केवल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार भी मिलेगा।

बहरहाल, मोदी–योगी की राजनीति में राममंदिर बनने का आश लगाये रामभक्तों को उनके प्रभु राम को उनका वाजिब हक मिल जाये, वह इसी से प्रसन्न हो जायेंगे किन्तु जिस प्रकार बार–बार प्रभु राम के नाम पर राजनीति करना, रामभक्तों को ठगने जैसा ही है। दिगर बात यह भी है कि वर्ष 2014 में अप्रत्याशित सीट मिलने के बावजूद इन साढ़े चार वर्षों में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सका तो, इसकी क्या गारंटी है कि पुनः राम के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा हिन्दुओं को उन्हें प्रभु राम का हक दिला देगी, ये भविष्य के गर्भ में है। अब तो बस कुछ है, तो वह है अगले वर्ष 2019 के जनवरी का इंतजार।

सामाजिक परिवर्तन का साधन अब बाजारवाद में होता जा रहा तब्दील

पत्रकारिता

पत्रकारिता (मीडिया) का प्रभाव समाज पर लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद यह पेशा अब संकटों से घिरकर लगातार असुरक्षित हो गया है। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गये हैं; जैसे–अखबार, पत्रिकायें, रेडियो, दूरदर्शन, वेब–पत्रकारिता आदि। बदलते वक्त के साथ बाजारवाद और पत्रकारिता के अंतर्संबंधों ने पत्रकारिता की विषय–वस्तु तथा प्रस्तुति शैली में व्यापक परिवर्तन किए। पत्रकारिता जनता को समसामयिक घटनाएं वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष रुप से उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य है। सत्य की आधारशीला पर पत्रकारिता का कार्य आधारित होता है तथा जनकल्याण की भावना से जुड़कर पत्रकारिता सामाजिक परिवर्तन का साधन बन जाता है। पत्रकारिता के इतिहास पर नजर डाले तो स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य था। स्वतंत्रता के लिए चले आंदोलन और स्वाधीनता संग्राम में पत्रकारिता ने अहम और सार्थक भूमिका निभाई। उस दौर में पत्रकारिता ने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने के साथ–साथ पूरे समाज को स्वाधीनता की प्राप्ति के लक्ष्य से जोड़े रखा। यह वह समय था जब अखबार को समाज का दर्पण माना गया और सत्ता–शासकों ने पत्रकारिता को समाज का चौथा स्तंभ कहा। भारत में ही पत्रकारिता की इस महत्ता को समझा गया था क्योंकि भारत की ही पत्रकारिता ने अंग्रेजों को भारत छोडने़ के लिए मजबूर किया और असंख्य भारतवासियों को शब्द से जगाने का कार्य किया। जो पत्रकारिता कल तक भारत का चौथा स्तंभ थी और आज क्या हुआ कि वह स्वयं की स्वतंत्रता के लिए बेबस हो गई है? क्या देश के तीन और स्तंभ ने भी कभी अपनी स्वतंत्रता के लिए गुहार लगायी है? तब जवाब ना में होगा और कुतर्क के तौर पर दलील दी जाएगी कि शेष तीन स्तंभ संवैधानिक हैं। बात कुछ हद तक गलत नहीं है लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है क्योंकि जिस पत्रकारिता में राजसत्ता बदलने की ताकत हो, वह पत्रकारिता स्वयं की स्वतंत्रता को कायम ना रख पाए तो अनेक सवाल खड़े होते हैं। जैसा कि पहले ही कहा गया कि स्वतंत्रता और स्वछंदता में महीन सा अंतर होता है। स्वतंत्रता का अर्थ अनुशासन से है जबकि स्वच्छंदता का अर्थ अनुशासनहीनता से। कोई गुरेज नहीं कि हमने स्वतंत्रता का अर्थ ही बदल दिया है और स्वच्छंदता के लिए लड़ रहे हैं। यह स्थिति दुर्भाग्यजनक क्योंकि जो पत्रकारिता समाज का दर्पण हो, समाज आज उसे अपना चेहरा देखने के लिए कह रही है।

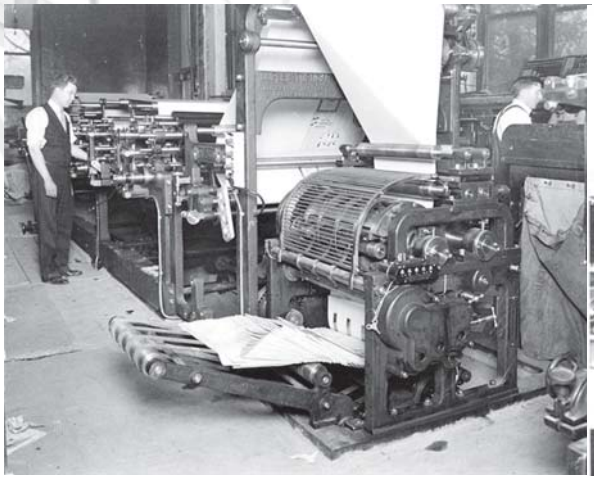

भारत में हिन्दी पत्रकारिता का उदयकाल 30 मई 1826 को माना जाता है। इस दिन साप्ताहिक पत्र 'उदंत मार्तंड' का प्रकाशन आरंभ हुआ था। इसके बाद आहिस्ता–आहिस्ता देश के कोने कोने से समाचारपत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ। यह वह समय था जब प्रकाशन व्यवसाय नहीं था। पत्रकारिता मिशन थी और यही मिशन ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता कहलाती थी। तब प्रकाशनों के समक्ष सर्वजन सुखाय, सर्वजनहिताय प्रमुख होता था। प्रकाशनों से आय अर्जित करना लक्ष्य नहीं था बल्कि तब घर फूंक तमाशा देखा जाता था। एक कमिटमेंट के साथ पत्रकारिता होती थी। यह परम्परा भारत के स्वाधीन होने के बाद भी बनी रही। अब भारत की पत्रकारिता के समक्ष नव–भारत के निर्माण का लक्ष्य था। चुनौती यह थी कि अब अपने ही लोगों के खिलाफ लडना है। उनकी कमियां बतानी है और उन्हें सजग और सचेत करना है। यह जवाबदारी भी एक परम्परा के रूप में पूरी हो रही थी क्योंकि आजादी के जंग में जिन्होंने अपना सर्वस्व स्वाहा किया था, वह सोने की चिडिया कहलाने वाले भारत को उसका गौरव, उसका अभिमान लौटाने के लिए बेताब थे। इस बात से भी इंकार नहीं कि उस दौर में प्रतिबद्ध पत्रकारों की फौज थी तो उनका सम्मान करने वाले राजनेताओं की संख्या भी बड़ी थी। दोनों के मध्य समझ और सामजंस्य से पत्रकारिता लगातार परवान चढ़ रही थी। हैरानी की बात यह है कि तब पत्रकारिता को अभिव्यक्ति की आजादी के लिए सत्ता और शासन से लडना नहीं पड़ा। पत्रकारिता को लिखने की पूर्ण स्वतंत्रता थी बल्कि कई बार तो ऐसी रिपोर्ट और लेखों पर सरकार और सत्ता की तरफ से हौसला बढ़ाया जाता था। दोनों पक्षों को यह पता था कि जो लिखा जा रहा है, वह लक्ष्यभेदी नहीं है बल्कि ध्येनिष्ठ है और समाज की शुचिता के लिए है। मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। उसे वह सब जानना अच्छा लगता है जो सार्वजनिक नहीं हो अथवा जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही हो। मनुष्य यदि पत्रकार हो तो उसकी यही कोशिश रहती है कि वह ऐसी गूढ़ बातें या सच उजागर करे जो रहस्य की गहराइयों में कैद हो। सच की तह तक जाकर उसे सतह पर लाने या उजागर करने को ही हम अन्वेषी या खोजी पत्रकारिता कहते हैं। भारतीय पत्रकारिता के बीते तीन दशक के दौर को छोड़ दें तो पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठा। उल्टे जब तब अवसर आया तो हर बार छपी खबरों का हवाला देकर प्रमाणित करने की कोशिश की गई। अखबारों का उल्लेख तो इस तरह होता है जिस तरह किसी धार्मिक ग्रंथ को साक्ष्य मानकर बोला जाता है। इतनी विश्वसनीयता समाज के दूसरे किसी सेक्टर पर कभी नहीं रहा। आज भी हम पत्रकारिता के संक्रमणकाल से गुजर रहे हैं और बार–बार पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगने के बाद भी भरोसा अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। जब समाज का हम पर इतना भरोसा है तो फिर क्या कुछ हुआ कि हम बेबस हो गए हैं? इस बेबसी के बरक्स हमें आत्मचिंतन करना होगा। आखिर हमारी चूक कहां हुई और शायद कर रहे हैं। पत्रकारिता से मीडिया में परिवर्तित हुआ यह परिदृश्य क य ा ` अविश्वसनीय हुआ, इसकी पड़ताल करना जरूरी लगता है। इस क्रम में सबसे पहले मुद्रित माध्यम की चर्चा करना जरूरी लगता है। भारत में पत्रकारिता का श्रीगणेश मुद्रित माध्यम से ही हुआ है, सो इसकी चर्चा पहले जरूरी है। पराधीन भारत से स्वतंत्र भारत तक मुद्रित माध्यमों के जरिये पत्रकारिता जीवित रही और वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही। अखबारों में नाम प्रकाशित होने का भी अपना गौरव और शर्म की बात होती थी। किसी अच्छे कार्यों के सिलसिले में किसी सत्ता–शासक या प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम का उल्लेख हो जाए तो उसके लिए शान की बात होती थी।

वह गौरव का अनुभव करता था किन्तु यही नाम जब किसी ऐसे मामले में प्रकाशित हो जाए तो उसका सिर शर्म से झुक जाता था। पत्रकारिता के वर्तमान स्वरूप ने पत्रकारिता शब्द की परिभाषा ही बदल दी है। आज का पत्रकार खादी कपड़े से सैकडो किलोमीटर दूर पीटर इंग्लैंड की शर्ट और पैजामे की बंदिशो से मुक्त जींस के साथ पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश करता नज़र आता है। उसका ऊपर से लेकर नीचे तक का पहनावा उसकी वास्त्विक स्थति प्रदर्शित करती है की आज की पत्रकारिता कितनी संपन्न हो चुकी है एवं बिना किसी धन के अभाव के सुचारू रूप से चल रही है। एक ओर पत्रकारिता का जन्म कागज़ पर खिलती हुई स्याही के रूप मे हुआ था वही आज उसने नवीनतम् ग्राफिक्स, एनीमेशन, 2डी और 3डी इफेक्ट्स ने ले ली है।

★ टारगेटेड जर्नलिज्म कि शुरूआत :– सबसे खतरनाक और सौ फीसदी टारगेटेड जर्नलिज्म का दौर नव मीडिया के समय हुआ। हालांकि साल 2000 के समाप्त होते ना होते यह नए किस्म के मीडिया ने पैर पसारना शुरू कर दिया था लेकिन लगभग डेढ़ दशक की लम्बी यात्रा के बाद वह बेकाबू ढंग से फैल गया। राजनीतिक दलों ने भरपूर उपयोग किया और अपनी सूचनाएं, अपने पक्ष में लोगों को करने का काम इस मीडिया के माध्यम से किया गया। हालांकि बोलचाल की भाषा में इस मीडिया को सोशल मीडिया कहा जरूर गया लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी से यह मीडिया बेखबर रहा। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी नियंत्रण का अभाव रहा। नियंत्रण के अभाव में कई बार ऐसी बातें और बयान पोस्ट किए जाते रहे जिससे लोगों की मानहानि हुई। दूसरा इस मीडिया में काम करने वालों ने व्यक्तिगत लक्ष्य बनाया और अनचाहे में कई तरह की विषम स्थितियां समाज के समक्ष खड़ी हुई। सोशल मीडिया में एक बड़ा खेल लाईक और कमेंट का रहा। कहा जाता है कि लाईक और कमेंट का यह एक बड़ा कारोबार है जिसमें एक बड़ा समूह जुड़ा हुआ है जो किसी व्यक्ति, पोस्ट को हिट करने में अपनी भूमिका निभाता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस किस्म का आरोप लगातार लगता रहा लेकिन किसी ने भी तो खंडन किया और ना ही इन आरोपों की कोई जांच की गई। कहा जाता है चुप रहना भी स्वीकार करना होता है तो लगता है कि आरोप बेबुनियाद नहीं हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता से टारगेटेड जर्नलिज्म की तरफ हम बढ़ते चले गए। प्रकाशन और प्रसारण की संख्या में बढ़ोत्तरी चौंकाने वाली है लेकिन मूल उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से हमने शिक्षा के उद्देश्य को तिरोहित कर दिया है। अब हमारे पास सूचनाओं का भंडार है बल्कि विस्फोटक स्थिति में हैं और मनोरंजन का जो सबसे घटिया दर्जा हो सकता है, वह हम छाप रहे हैं और दिखा रहे हैं। लोकप्रिय और विवादों का कपिल शर्मा शो में कपिल बार–बार पर्दे पर 'बाबाजी का ठुल्लु' कहता है और यह डॉयलाग छोटे बच्चों की जुबान पर भी चढ़ गया है। मनोरंजन की यही परिभाषा है तो जॉनी वाकर को भूल जाइए या फिर दूरदर्शन के उल्टा–पुल्टा धारावाहिक को भूले से भी याद मत करिए। भारतीय परिवेश में आज भी इतना खुलापन नहीं आया है कि हम बेशर्म हो जाएं और बेपरदा हो जाएं। यह निपटाने वाले जर्नलिज्म का दौर है तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को निपटाया जा रहा है। हमें खुले दिल से इसका स्वागत किया जाना चाहिए ना कि एतराज। पत्रकारिता जो की लोकतंत्र का स्तम्भ है, जिसकी समाज के प्रति एक अहम भूमिका होती है, ये समाज में हो रही बुराईयों को जनता के सामने लाता है तथा उन बुराईयों को खत्म करने के लिए लोगो को प्रेरित करता है। पत्रकारिता समाज और सरकार के प्रति एक ऐसा मुख्य कड़ी है, जो कि समाज के लोगो और सरकार को आपस में जोड़े रहती है। वह जनता के विचारों और भावनाओं को सरकार के सामने रखकर उन्हे प्रतिबिंबित करता है । आज की पत्रकारिता आस–पास की हलचल और खोजनफीस खबरो से बडकर कर मनोरंजन और रोमांच से भर गई है। पत्रकारिता का व्यापक व्यवसायिकरण ने उसे सफलता एवं समद्धि की ऊचाईयों तक पहुचाया है। बडे–बडे समाचार चैनल लाखों करोडो रुपए निवेश कर उन्हें शुरू किया जाता है उसके बाद वैध–अवैध प्रचार–प्रसार सामग्री जुटा कर लोगो का मनोरंजन कर लाखो की कमाई की जाती है। इन बडे–बडे समाचर चैनल के निवेशक और ऊँचे पद पर स्थापित कर्मचारी इस गोरखधंधे से लाखो–करोड़ो का धन पत्रकारिता के सारे नियम कानून कोदरकिनार करके अपने निजि खातो मे उडेल रहे है। सत्ता–शासकों में पत्रकारिता के प्रति असहिष्णुता का पहला दृश्य आपातकाल के समय देखने को मिला। अराजक और तानाशाही का बेमिसाल दौर था जब पत्रकारिता पर नकेल डालने की स्वतंत्र भारत में पहली शुरूआत हुई थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने की जो हिमाकत अंग्रेज शासक भी नहीं कर पाये थे, वह मंजर हमने अपने ही आजाद मुल्क में देखा था। बावजूद इसके गर्व से कहा जा सकता है कि इस तानाशाही में भी पत्रकारिता ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ना तो दुहाई दी और ना ही रिहाई की मांग की। आत्मस्वाभिमान के साथ पत्रकारिता के उस तेवर से सत्ता–शासन का परिचय कराया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अखबारों ने कोरे पन्ने छोड़ कर चेता दिया कि पत्रकारिता कोई पेशा नहीं, आत्म स्वाभिमान है। हमारे देश में हजारो ऐसी पत्र–पत्रिकायें छप रही है जिसमें पूंजीपति अपने हितो को ध्यान में रखकर प्रकाशित कर रहे है। आधुनिक युग में जिस तरह से पत्रकारिता का विकाश हो रहा है, उसने एक ओर जहां उधोग को बढावा दिया है, वही दूसरी ओर राजनीति क्षेत्र में भी विकसित हो रहा है। जिसके फलस्वरूप राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल बड़ी तेजी से बढ रहे है, इन दोनों शक्तियों ने स्वतंत्र सत्ता बनाने के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में पूंजी और व्यवसाय का महत्व बढ़ता गया । एक समय ऐसा था जब केवल समाचार पत्रों में समाचारों का महत्व दिया जाता था। किन्तु आज के इस तकनीकी और वैज्ञानिक युग में समाचार पत्रो में विज्ञापन देकर और भी रंगीन बनाया जा रहा है।

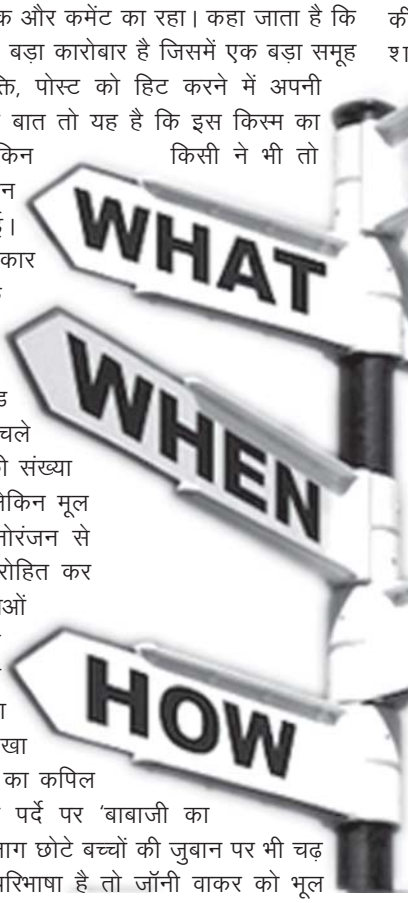

इन रंगीन समाचार पत्रो ने उधोग धंधो को काफी विकसित किया है। आज हमारें देश में साहित्यिक पत्रिकाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पाठकों व प्रशंसकों की हमेशा कमी थी। यही वजह थी की ये पत्रिकायें या तो बन्द हो गई या फिर हमेशा धन का अभाव झेलती रही। यह इस बात का प्रमाण है कि आज इस आधुनिक युग में जिस तरह से समाचार पत्रो का स्वरूप बदला है, उसने पत्रकारिता के क्षेत्र को भी परिवर्तित कर दिया है। समाचार चैनलों ने टी. आर. पी को लेकर जिस तरह से लड़ायी कर रहे है, उसे देखते हुए आचार संहिता बनानी चाहिए और इसे मीडिया को स्वयं बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आदर्श जनतंत्र में यह काम किसी सरकार के हाथों में नहीं दिया जा सकता है। उसे अपने हर खबरो को जनतंत्र के मूल्यों व समाजिक राष्टीय हितो की कसौटी पर कसना होगा, यही सेंसरशिप है, जिसकी पत्रकारिता को जरूरत है। पत्रकारिता वास्तव में जीवन में हो रही विभिन्न क्रियाकलापों व गतिविधियों की जानकारी देता है। वास्तव में पत्रकारिता वह है जो तथ्यों की तह तक जाकर उसका निर्भिकता से विश्लेशण करती है और अपने साथ सुसहमति रखने वाले व्यक्तियों और वर्गो को उनके विचार अभिव्यक्ति करने का अवसर देती है। ज्ञात रहे कि पत्रकारिता के माध्यम से हम देश में क्रान्ति ला सकते है, देश में फैली कई बुराईयो को हमेशा के लिए खत्म कर सकते है। अतः पत्रकारिता का उपयोग हम जनहित और समाज के भलाई के लिए करें न कि किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में। पत्रकारिता की छवी साफ सुथरी रहे तभी समाज के कल्याण की उम्मीद कर सकते है।

★ **इंटरनेट और सूचना के आधिकार :–** इंटरनेट और सूचना के आधिकार (आर.टी.आई.) ने आज की पत्रकारिता को बहुआयामी और अनंत बना दिया है। आज कोई भी जानकारी पलक झपकते उपलब्ध की और कराई जा सकती है। मीडिया आज काफी सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावकारी हो गया है। पत्रकारिता की पहुँच और आभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यापक इस्तेमाल आमतौर पर सामाजिक सरोकारों और भलाई से ही जुड़ा है, किंतु कभी कभार इसका दुरपयोग भी होने लगा है। संचार क्रांति तथा सूचना के आधिकार के अलावा आर्थिक उदारीकरण ने पत्रकारिता के चेहरे को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। विज्ञापनों से होनेवाली अथाह कमाई ने पत्रकारिता को काफी हद तक व्यावसायिक बना दिया है। मीडिया का लक्ष्य आज आधिक से आधिक कमाई का हो चला है। मीडिया के इसी व्यावसायिक दृष्टिकोन का नतीजा है कि उसका ध्यान सामाजिक सरोकारों से कहीं भटक गया है। मुद्दों पर आधारित पत्रकारिता के बजाय आज इन्फोटेमेंट ही मीडिया की सुर्खियों में रहता है। इंटरनेट की व्यापकता और उस तक सार्वजनिक पहुँच के कारण उसका दुष्प्रयोग भी होने लगा है। इंटरनेट के उपयोगकर्ता निजी भड़ास निकालने और अतंर्गततथा आपत्तिजनक प्रलाप करने के लिए इस उपयोगी साधन का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। यही कारण है कि यदा–कदा मीडिया के इन बहुपयोगी साधनों पर अंकुश लगाने की बहस भी छिड़ जाती है। गनीमत है कि यह बहस सुझावों और शिकायतों तक ही सीमित रहती है। उस पर अमल की नौबत नहीं आने पाती। लोकतंत्र के हित में यही है कि जहाँ तक हो सके पत्रकारिता हो

स्वतंत्र और निर्बाध रहने दिया जाए, और पत्रकारिता का अपना हित इसमें है कि वह आभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग समाज और सामाजिक सरोकारों के प्रति अपने दायित्वों के ईमानदार निवर्हन के लिए करती रहे।

★ **डिजिटल मिडिया का युग :–** इंटरनेट, सर्च इंजनों, ब्लॉग्स एवं बेवसाइटों के इस वर्त्तमान युग में मीडीया का स्वरूप बदल चुका है । इस क्षेत्र में तेज बनने की चाहत एवं तेज नहीं बनने पर पीछे छूटने का भय सबको सता रहा है । हिंदुस्तान की शीर्ष स्थ मीडिया का जिक्र करें तो हिंदुस्तान टाईम्स ने अपना नेट संस्करण हिंदुस्तान टाईम्स डॉट कॉम एवं हिंदुस्तान हिंदी दैनिक से दैनिक डॉट कॉम और टाईम्स ऑफ इंडिया ने टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम तथा नवभारत टाईम्स ने नवभारत टाईम्स डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम पर निकाला है । दैनिक जागरण ने अपने नेट संस्करण के लिये याहू के साथ गठबंधन किया है । याहू के हिन्दी लिंक पर जाने पर दैनिक जागरण का नेट संस्करण आप पढ़ सकते हैं । इसके अतिरिक्त भी कई अखबार एवं पत्रिकाओं ने नेट संस्करण की शुरूआत कर दी है । आज नहीं तो कल हिंदी बाहुल्य क्षेत्र के पाठक भी इंटरनेट पर अखबार पढ सकेंगे। एक अनुमान के अनुसार इंटरनेट पर मौजूद 85 प्रतिशत समाचारों का स्त्रोत प्रिंट मीडीया ही है । किसी भी सर्च इंजन या वेबसाईट ने अब तक संवाददाताओं का संरचनात्मक ढाँचा तैयार नहीं किया है क्योंकि वे खर्च करना ही नहीं चाहते हैं । उनकी दृष्टि केवल अपने आमदनी का स्त्रोत बढाने की है । भविष्य में इस ओर किसी ने कदम बढाया तो अलग बात है। जनसरोकार और लोकतंत्र की रक्षा हेतु केवल बड़े प्रकाशन समूहों ने नहीं बल्कि लघु एवं मध्यम स्तरीय मीडीया वर्ग ने भी अपनी बेबाक राय को सरकार तक पहुँचाने का कार्य किया है। जहाँ बड़े प्रकाशन समूहों की वास्तविक मंशा सरकार की ब्लैकमेलिंग तथा राज्यसभा के मार्फत प्रवेश पाने की होती है वहीं मध्यम एवं लघु समाचार एवं पत्रिका समूह अपने अस्तित्व के साथ–साथ वैचारिक सिद्धान्तों की बुनियाद पर टिकी होती है । हिंदी का कबाड़ा तो ज्यादातर बड़े प्रकाशन समूह के पत्रकारों द्वारा ही किया जाता है। इनकी कलम तो व्यावसायिक मजबूरियों से वंशीभूत होते हैं। सवाल यह उठता है कि विशुद्ध व्यावसायिक मुनाफा हेतु फ्रेंडशिप क्लब, सेक्सी बातें, मसाज पार्लर और फ्रॉड कंपनियों के विज्ञापन प्रकाशित करने वालों से आप सही और संतुलित खबर पाने की आशा रखते हैं? इसी दिशा में "दिल्ली प्रेस प्रकाशन समूह" ने उक्त प्रकार के विज्ञापनों को निषिद्ध कर एक मिशाल कायम की है जो पत्रकारिता हेतु अनुकरणीय है। इंतजार करें उस समय का जब इंटरनेट उपभोक्ताओं का प्रतिशत बढने की योजना पर कार्य शुरू हो जायेगा । निःसंदेह इस ओर भी कोई न कोई कंपनी इस उद्देश्य को चुनौती के रूप में लेते हुए आगे आएगी । वैसे गूगल, माइकोसॉफ्ट, याहू, बी०बी०सी ने हिंदी की महत्ता को समझते हुए जिस तरह से विभिन्न सॉफ्टवेयर का विकास करके हिंदी सेवाओंको विस्तार दिया है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हिंदी भाषी उपभोक्ता उनके मुख्य केंद्र बिंदु में होंगे । अब तो अन्य भारतीय भाषाओं में भी समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं के ई संस्करण की भी शुरूआत हो चुकी है।

★ **खेल पत्रकारिता :–** खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि वह अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक दमखम और बौद्धिक क्षमता का भी प्रतीक है। यही कारण है किं पूरी दुनिया में आति प्राचीनकाल से खेलों का प्रचलन रहा है। मल्ल–युद्ध, तीरंदाजी, घुड़सवारी, तैराकी, गुल्ली डंडा,

पोलो रस्साकशी, मलखंभ, वॉल गेम्स, जैसे आउटडोर या मैदानी खेलों के अलावा चौपड़, चौसर या शतरंज जैसे इन्डोर खेल प्राचीनकाल से ही लोकप्रिय रहे हैं। आधुनिक काल में इन पुराने खेलों के अलावा इनसे मिलते जुलते खेलों तथा अन्य आधुनिक स्पर्धात्मक खेलों ने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। खेल आधुनिक हों या प्राचीन, खेलों में होनेवाले अद्‌भुत कारनामों को जगजाहिर करने तथा उसका व्यापक प्रचार–प्रसार करने में खेल पत्रकारिता का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। आज पूरी दुनिया में खेल यदि लोकप्रियता के शिखर पर हैं तो उसका काफी कुछ श्रेय खेल पत्रकारिता को भी है। आज स्थिति यह है कि समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्करप तब तक परिपूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसमें खेलों का भरपूर कवरेज नहीं हो। खेलों के प्रति मीडिया का यह रुझान 'डिमांड' और 'सप्लाई' पर आधारित है। आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा वर्ग का है जिसकी पहली पसंद विभिन्न खेल स्पर्धायें हैं, शायद यही कारण है कि पत्र–पत्रिकाओं में अगर सबसे आधिक कोई पन्ने पढ़ जाते हैं तो वह खेल से संबंधित होते है। प्रिंट मीडिया के अलावा टी. वी. चैनलों का भी एक बड़ा हिस्सा खेलों प्रसारण से जुड़ा होता है। खेल चैनल तो चौबीसों घंटे कोई न कोई खेल लेकर हाजिर ही रहते हैं। लाइव कवरेज या सीधा प्रसारण की बात तो छोड़िये रिकॉर्डेड पुराने मैचों के प्रति भी दर्शकों का रझान कहीं कम नहीं दिखाई देता। पाठकों और दर्शकों की खेलों के प्रति दीवनगी का ही नतीजा है कि आज खेल की दुनिया में अकूत धन बरस रहा है। धन, जो विज्ञापन के रप में हो चाहे पुरस्कार राशि के रप में न लुटानेवालों की कमी है न पानेवालों की। यह स्थिति आज की है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब खेलों में धनदौलत को कोई नामोनिशान नहीं था। प्राचीन ओलिम्पिक खेलों जैसी विख्यात खेल स्पर्धा में भी विजेता को जैतून की पत्तियों के मुकुट का पुरस्कार दिया जाता था लेकिन वह ताज भी अनमोल हुआ करता था। खेलों में धन–वर्षा का प्रारंभ कार्पोरेट जगत के इसमें प्रवेश से हुआ। कार्पोरेट जगत के प्रोत्साहन से कई खेल और खिलाड़ी प्रोफेशनल होने–लगे और खेल–स्पर्धाओं से लाखों करोड़ो कमाने लगे। आज टेनिस, फुटबॉल, बास्केट बॉल, बॉक्सिंग, स्क्वाश, गोल्फ जैसे खेलों में पैसों की बरसात हो रही है। खेलों की लोकप्रियता और खिलाड़ियों की कमाई की बात करें तो आज क्रिकेट ने, जो दुनिया के गिने–चुने ही देशों में खेला जाता है, लोकप्रियता की नई ऊँचाइयाँ हासिल की हैं। क्रिकेट में कारपोरेट जगत के रझान के कारण नवोदित क्रिकेटर भी अन्य खिलाड़ियों की तुलना में अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। खेलों में धन की बरसात में कोई बुराई नहीं है। इससे खेलों और खिलाड़ियों के स्तर में सुधार ही होता है, लेकिन उसका बदसूरत पहलू यह भी है कि खेलों में गलाकाट स्पर्धा के कारण इसमें फिक्सिंग और डोपिंग जैसी बुराइयों का प्रचलन भी बढ़ने लगा है। फिक्सिंग और डोपिंग जैसी बुराईयाँ न खिलाड़ियों के हित में हैं और न खलों के। खेल–पत्रकारिता की यह जिम्मेदारी है कि वह खेलों में पनप रही उन बुराईयों के किरद लगातार आवाज उठाती रहे। खेलों में खेल भावना की रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। खेल पत्रकारिता से यह उम्मीद भी की जानी चाहिए कि आम लोगों से जुड़े खेलों को भी उतना ही महत्त्व और प्रोत्साहन मिले जितना अन्य लोकप्रिय खेलों को मिल रहा है।

★ **महिला पत्रकारिता :–** पत्रकारिता जैसे व्यापक और विशद विषय में महिला पत्रकारिता की अवधारणा भले ही कुछ अटपटी लगती है, किंतु नारी स्वातंत्र्य और समानता के इस युग में भी आधी दुनिया से जुड़े ऐसे अनेक पहलू हैं जिनके महत्त्व को देखते हुए महिला पत्रकारिता की अलग विधाकी आवश्यकता महसूस होती है। पुरुष और नारी के भेद का सबसे बड़ा आधार तो उनकी अलग शारीरिक संरचना है। प्रकृति ने पुरूष को एक सांचे में ढाला है तो नारी को उससे अलग। एक समय था जब समाज पुरूष प्रधान हुआ था। पुरूष प्रधान समाज ने अपनी सुविधानुसार नारी को अबला बनाकर घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया था। विकास के निरंतर तेज गति से बदलते दौर ने महिलाओं को प्रगति का समान अवसर दिया और महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और लगन के बलबूते पर समाज के हर क्षेत्र में अपनी आमिट छाप छोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया वह लगातार जारी है। आज के दौर में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ महिलाओं की सशक्त उपस्थिति नहीं महसूस की जा रही हो। वर्तमान दौर में राजनीति, प्रशासन, सेना, शिक्षण, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीक, उद्योग, व्यापार, समाजसेवा आदि प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और क्षमता के आधार पर अपनी राह खुद बनाई है। कई क्षेत्रों में तो कड़ी स्पर्धा और कठिन चुनौती के बावजूद महिलाओं ने अपना शीर्ष मुकाम बनाया है। भारत की इंदिरा नूई, नैनालाल किदवई, चंदा कोचर आदि महिलाओं ने सफलता के जिस शिखर को छुआ है वे सभी कड़ी स्पर्धावाले क्षेत्र

माने जाते हैं। तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश तथा महिला पुरूष समानता के इस दौर में महिलाएँ अब घर की दहलीज लाँघकर बाहर आ चुकी हैं। प्रायः हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी नजर आती है। शिक्षा ने महिलाओं को अपने आधिकारों के प्रति जागरूक बनाया है। अब महिलायें भी अपने करियर के प्रति सचेत हैं। महिला जागरण की इस नवचेतना के साथ–साथ महिलाओं के प्रति अत्याचार और अपराध के मामले भी बढ़े हैं। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे कानून बने हैं और आवश्यकतानुसार उसमें समय–समय पर संशेधन भी किये जाते रहे हैं। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दिलाने में महिला पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। महिला पत्रकारिता की आज अलग से जररत ही इसलिए हैं कि उसमें महिलाओं से जुड़े हर पहलू पर गौर किया जाए और महिलाओं के सर्वांगीण विकास में यह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सके। महिला पत्रकारिता की सार्थकता महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जुड़ी है। कुछ प्रमुख महिला पत्रकारः विमला पाटील, बरखा दत्त, सीमा मुस्तफा, तवलीन सिंह, मीनल बहोल, सत्या शरण, दीना वकील, सुनीता ऐरन, कुमुद संघवी चावरे, स्वेता सिंह, पूर्णिमा मिश्रा, मीमांसा मल्लिक, अंजना ओम कश्यप, नेहा बाथम, मिनाक्षी कंडवाल आदि। आज भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में महिला पत्रकारों के आने से देश के हर लड़की को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है।

★ **बाल–पत्रकारिता :–** बाल–मन स्वभावतः जिज्ञासु और सरल होता है। जीवन की यह वह अवस्था है जिसमें बच्चा अपने माता–पिता, शिक्षक और चारो तरफ के परिवेश से ही सीखता है। यही वह उम्र होती है जिसमें बच्चे के मास्तिष्क पर किसी भी घटना या सूचना की आमिट छाप पड़ जाती है। बच्चे के आस–पास की परिवेश उसके व्यक्तित्व निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक समय था जब बच्चों को परीकथाओं, लोककथाओं, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक कथाओं के माध्यमसे बहलाने–फुसलाने के साथ–साथ उनका ज्ञानवर्ध्दन किया जाता था। इन कथाओं का बच्चों के चारित्रिक विकास पर भी गहरा प्रभाव होता था। आज संचार क्रांति के इस युग में बच्चों के लिए सूचनातंत्र काफी विस्तष्त और अनंत हो गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट तक उनकी पहुँच ने उनकी जिज्ञास को असीमित बना दिया है। ऐसे में इस बात की भी आशंका और गुंजाइश बनी रहती है कि बच्चों तक वे सूचनायें भी पहुँच सकती हैं, जिससे उनके बालमन के भटकाव या विकृ ती भी संभव है। ऐसी स्थिती में बाल पत्रकारिता की सार्थक सोच और दिशा बच्चों को सही दिशा की ओर अग्रसर कर सकती है। बाल पत्रकारिता की दिशा में प्रिंट और विजुअल मीडिया (दृश्य–माध्यम) के साथ–साथ इंटरनेट की भी अहम और जिम्मेदार भूमिका हो सकती है।

★ **आर्थिक पत्रकारिता :–** कोई भी ऐसा व्यापारिक या आर्थिक व्यवहार जो व्यक्तियों, संस्थानों, राज्यों या देशों के बीच होता है, वह आर्थिक पत्रकारिता के सरोकारों में शामिल है। आर्थिक पत्रकारिता आर्थिक व्यवहार या अर्थ–व्यवस्था के व्यापक गुण–दोशों की समीक्षा और विवेचना की धुरी पर केंद्रित है। जिस प्रकार पत्रकारिता का उद्देश्य किसी भी व्यवस्था के गुण–दोशों को व्यापक आधार पर प्रचारित प्रसारित करना है, उसी प्रकार आर्थिक पत्रकारिता की भूमिका तभी सार्थक है जब वह अर्थ व्यवस्था के हर पहलू पर सूक्ष्म नजर रखते हुए उसका विश्लेषण करे और समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभावों का प्रचार–प्रसार करने में सक्षम हो। अर्थ–व्यवस्था के मामले में आर्थिक पत्रकारिता व्यवस्था और उपभोक्ता के बीच सेतु का काम करने के साथ–साथ एक सजग प्रहरी की भूमिका भी निभाती है। आर्थिक उदारीकरण और विभिन्न देशों के आपसी व्यापारिक संबंधों ने पूरी दुनिया के आर्थिक परिद्दश्य को बहुत व्यापक बना दिया है। आज किसी भी देश की अर्थ–व्यवस्था बहुत कुछ आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों पर निर्भर हो गई है। दुनिया के किसी कोने में मची आर्थिक हलचल या उथल–पुथल अन्य देशों की अर्थ–व्यवस्था को प्रभावित करने लगी है। सोने और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं तथा कच्चे तेल की कीमतों के उतार–चढ़ाव से आज दुनिया की कोई भी अर्थ व्यवस्था अछूती नहीं रही। यूरो, डॉलर, पांड, येन जैसी मुद्रायें तथा सोना, चाँदी और कच्चा तेल आज दुनिया की प्रमुख अर्थ व्यवस्थाओं की नब्ज बन चुकी हैं। कहने का तात्पर्य यह कि आज भले ही सभी देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं के नियामक और नियंत्रक हों किन्तु विश्व की आर्थिक हलचलों से वे अछूते नहीं हैं। हम कह सकते हैं कि आर्थिक परिद्दश्य पर पूरा विश्व व्यापक तौर पर एक बाजार नजर आता है। सभी देशों की अर्थ व्यवस्थायें आज इसी वैश्विक बाजार की गतिविधियों से निर्धारित होती हैं। मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों में होनेवाले महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनों से दुनिया के प्रमुख देश भी प्रभावित होते है। आर्थिक पत्रकारिता के लिए विश्व का आर्थिक परिवेश एक चुनौती है। आर्थिक पत्रकारिता का यह दायित्व है कि विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करनेवाले विभिन्न कारकों का विश्लेषण वह लगातार करती रहे तथा उनके गुण–दोशों के आधार पर एहतियाती उपयों की चर्चा आर्थिक पत्रकारिता का व्यापक हिस्सा बने। आर्थिक पत्रकारिता के समक्ष एक बड़ी चुनौती करवंचना, कालाधन और जाली नोटों की समस्या है। कालाधन आज विकसित और विकासशील देशों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। काला धन भ्रष्टाचार से उपजता है और भ्रष्टाचार को ही बढ़ाता है। भ्रष्टाचार की व्यापकता अंततः देश के विकास में बाधक बनती है। कालाधन और आर्थिक अपराधों को उजागर करनेवाली खबरों के व्यापक प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी आर्थिक पत्रकारिता का हिस्सा है।भारत जैसे कृषि प्रधान देश में हमारी अर्थ व्यवस्था काफी कुछ कृषि और कृषि उत्पादों पर निर्भर है। भारत में तेजी से विकसित हो रहे नगरों और महानगरों के बावजूद आज भी देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में ही बसती है। देश के बजट प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा कृषि एवं ग्रामीण विकास के मद में खर्च होता है। आर्थिक पत्रकारिता का एक महत्त्वपूर्ण आयाम कृषि एवं कृषि आधारित योजनाओं तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का कवरेज भी है। ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास और आर्थिक पत्रकारिता का उद्देश्य अधूरा ही रहेगा। व्यापार के परंपरागत क्षेत्रों के अलावा रिटेल, बीमा, संचार,

विज्ञान एवं तकनीक जैसे व्यापार के आधुनिक क्षेत्रों ने आर्थिक पत्रकारिता को व्यापक क्षितिज और नया आयाम दिया है। देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा देकर उसे सुचार और सुदृढ़ बनाना आर्थिक पत्रकारिता के लिए चुनौती तो है ही उसकी सार्थकता भी इसी में निहित है।

आज की पत्रकारिता पर बाजार और व्यवसाय का दबाव बढ़ गया है। जिस कारण लोगों को जागरूककरने की अपनी आधारशिला से ही मीडिया भटक चुकी है और पेड न्यूज का रूप लेती जा रही है। मीडिया में'पेड न्यूज' का बढ़ता चलन देश एवं समाज के लिए ही नहीं अपितु पत्रकारिता के लिए भी घातक है। 'पेड न्यूज' कोई बीमारी नहीं बल्कि बीमारी का लक्षण है। इसका मूल कहीं और है। इस दिशा में सकारात्मक रुप से सोचने की आवश्यकता है। मीडिया समाज का एक प्रभावशाली अंग बन गया है लेकिन आज इस आधारस्तंभ पर पूंजीपतियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जो देश एवं समाज के लिए घातक है। आज की मीडिया समाज को इस कदर प्रभावित कर चुकी है कि वह चाहे किसी को भी राजा औररंक की श्रेणी में खड़ी कर सकती है। लेकिन विडम्बना यह है कि इतनी शक्ति होने बाद भी मीडिया को हर ओर से आलोचना ही सुननी पड़ती है क्योंकि उसकी दिशा भ्रमित है या फिर ये कहा जाये कि वह नकारात्मकता को ही आत्मसात कर चुकी है। हाल फिलहाल की घटनाओं पर नजर दौड़ाये तो गांधीवादी समाजसेवी अन्ना हजारे सबसे मजबूत पक्ष के रूप में उभरते हैं पर वास्तविकता कुछ और ही है। भ्रष्टाचार के मुददे को लेकर अनशन करने वाले अन्ना मीडिया की विशेष कृपा केआधार पर "भ्रष्टाचार' जैसे प्रमुख मुद्दे से काफी बड़े हो गये। उनके अनशन के एक दिन पहले दिल्ली स्थिति जंतर मंतर के पास इलेक्ट्रानिक मीडिया के 74 ओ. वी. वैन के रेले इकट्ठा हो गये, जैसे उस दिन प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हों। मीडिया के इस विशिष्ट मेहमाननवा जी के कारण ही आज गली–गली में अन्ना की धूम मची हुई है। आखिर कौन है यह अन्ना हजारे, क्या कोई महात्मा है? देवदूत है? या फिर सरकार के समानांतर शक्ति रखने वाले बंदा है? जो देश के लोगों को उसके पीछे चलने की बातें करता है और देश आंख मूदे उसके साथ हो लेती हैं। देश की आम जनता तो चलों सरकार के निकम्मेपन से त्रस्त थी और बदलाव की बयार के साथ बह चली पर बुद्धिजीवियों का गढ़ कही जाने वाली मीडिया भी अन्ना मय हो चली थी कि जैसे इसमें मीडियाकर्मियों का अपना स्वार्थ निहीत हो।

देश के महत्वपूर्ण स्तंभों पर नजर रखने का कार्य करने वाली खबर पालिका आज अपने मूलकार्य से विमुख हो चुकी है। अपने प्रारम्भ में मिशन के तहत लोगों के बीच अपनी भूमिका का निर्वाह करने वाली पत्रकारिता समय के साथ बदलते हुए प्रोफेशन के रूप में भी परिवर्तित हुई। परिवर्तन का यह दौर यहीं नहीं थमा, वर्तमान समय में पत्रकारिता का स्वरूप कमीशन के तौर पर उभरा है। ऐसे में आज की पत्रकारिता को किसी भी तरह से पूर्व के मिशन और एम्बीशन के साथ जोड़ कर देखना सही नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और मीडिया भी उसी का पालन कर रही है। मूलतः पत्रकारिता की प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें तथ्यों को समेटने, उनका विश्लेषण करने फिर उसके बाद उसकी अनुभूति कर दूसरों के लिए अभिव्यक्त करने का काम किया जाता है।

★ **पत्रकारिता के अन्य रूप :–** ग्रामीण पत्रकारिता, व्याख्यात्मक पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, संदर्भ पत्रकारिता संसदीय पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, दूरदर्शन पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता, विधि पत्रकारिता, अंतरिक्ष पत्रकारिता, सर्वादय पत्रकारिता, चित्रपट पत्रकारिता।

आरक्षण या संरक्षण

65 वर्ष पूर्व संविधान के रचियता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था यह सोचकर की थी कि दबे-कुचले लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो सके और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें लेकिन अम्बेडकर साहेब के सपनों के साथ आज मजाक किया जा रहा है और आरक्षण की जगह संरक्षण ने ले लिया है जिसका लाभ उन घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है जिनके लिए यह व्यवस्था कायम की गयी थी। आज आरक्षण किसी भी जाति को सहयोग पहुंचाने का नहीं रह गया है बल्कि इस नाम पर जातीय राजनीति की जा रही है और सत्ता प्राप्ति होते ही नतीजा ढाक का तीन पात साबित होने लगता है। आरक्षण के नाम पर संरक्षण देने की बात होने लगी है पर यह संरक्षण क्या किसी गाँव के टोले में रह रहे उस समाज को मिल पा रहा है जिसके लिए अम्बेडकर साहेब ने संविधान में यह व्यवस्था की थी। गौर करने वाली बात यह है कि यह व्यवस्था महज 10 वर्षों के लिए थी ताकि हर वर्ग समाज की मुख्यधारा में सीना तान कर काम कर सके लेकिन 10 वर्षों की अवधि तो दूर 1947 से 2012 तक इनका विकास नहीं हुआ है और यह कहा भी नहीं जा सकता कि अभी इन्हें और कितना वर्ष लगेगे। आरक्षण का लाभ ले रहे बड़े राजनेताओं ने यह कभी कहने का प्रयास नहीं किया कि हम आरक्षण से लाभांवित हुए है और अब हमें आरक्षण नहीं चाहिए और इसके बाद कोई दूसरा आदमी लाभ लेने में सक्षम हो पायेगा पर ऐसा आज तक नहीं हुआ बल्कि आज आरक्षण का लाभ ले-ले कर वह स्वयं सामंती हो चुके हैं पर उन्हें आरक्षण आज भी चाहिए। वैसे में अब आरक्षण की जगह पर सरकार को संरक्षण का नाम देना चाहिए। इस देश में पहले धर्म के नाम पर युद्ध होता था अब जाति के नाम पर हंगामा और अब तो कई प्रकार के कानून बना देने के बाद उन्हें जिस प्रकार संरक्षण दिया जा रहा है उससे तो साफ हो गया है कि अगर सवर्ण या पिछड़ा वर्ग किसी को जाति का संबोधन कर दे तो वह कानून के दायरे में आ जायेगा और वह किसी को गाली भी दे दे तो कोई बात नहीं। ऐसी दोहरी नीति से भारत की एकता और अखंडता कैसे विखण्डित होने से बच सकती है, एक बड़ा सवाल है।

आरक्षण की बात करने से राजनीति तो हो सकती है लेकिन क्या इसकी राजनीति करने वाले यह आंकड़े बता सकते हैं कि आरक्षण से इस जिला के इस प्रखण्ड व पंचायत के लोग लाभांवित हुए है? क्या सच में आरक्षण जिनको मिलना चाहिए उनतक वह योजना पहुंच रही है? क्या दलित और महादलित की राजनीति करने वाले यह चाहते हैं कि सच में उनका उत्थान हो? अगर हाँ तो फिर सीट और मंत्री के बंटवारे के वक्त उन्हें अधिक से अधिक सीट क्यों नहीं देना चाहते? रामसुन्दर लाल दास, रामविलास पासवान, रमई राम, श्याम रजक जैसे कद्दावर राजनेता आज भी विकसित नहीं हुए है? इन्हें अभी और कितना वक्त लगेगा सबल होने में? इनकी जैसे लालची सोच वाले राजनेता, पदाधिकारी की वजह से वह लोग आगे नहीं आ पा रहे है जिसके लिए यह व्यवस्था की गयी है। भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों की योजनाओं का इनतक पहुंचना काफी दुलर्भ होता है। आरक्षण की व्यवस्था होने के बाद भी वह संरक्षण नहीं मिल पाता जिसके लिए आरक्षण है पर ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कौन लोग हैं जो इन्हें इनके हक और अधिकार से वंचित करना चाहते हैं? जब आरक्षण की व्यवस्था के लागू होने के 65 वर्षों बाद भी स्थिति कमोवेश वैसी ही है तो इसका मतलब क्या यह नहीं है कि आरक्षण मात्र एक छलावा या राजनीतिक स्टंट है? आज दलित और महादलित के लिए बने कानून की जानकारी बिहार के हर थाने के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जानकारी दी गयी है। क्या जितनी राशि इस प्रचार पर खर्च की गयी है उतनी राशि इनके भोजन, आवास और पठन-पाठन पर करती तो शायद स्थिति और बदलती। बताते चलें कि कोई व्यक्ति जब यह जान जाता है कि मैं कुछ करूं या न करूं लेकिन मुझे यह राहत सरकार द्वारा प्रदत है तो उसकी कार्य-दक्षता में कमी आती है और प्रतियोगिता में भाग लेने के मामले में शिथिल पड़ जाता है और यही खास वजह है कि आजादी के सात दशक बीतने को है और आरक्षण का सही मतलब बहुतों को नहीं पता।

दलितो देव भव: लिखने वाला वर्ग भी है जिसके विषय में राजनेता यह कहते हैं कि सामंती लोग आज भी इन्हें बढ़ने देना नहीं चाहते पर आज दलित और महादलित का कौन ऐसा बड़ा राजनेता या पदाधिकारी है जो अपने बेटे-बेटियों की शादी अपने समाज के दबे-कुचले से करना चाहता है? उस वक्त तो यह दलील दी जाती है कि रिश्ता बराबर वालों से की जाती है पर आपको यह यहां बताना आश्वयक है कि आरक्षण की वजह से विकसित हो चुके राजनेताओ ने खुद शादी दूसरी जाति के लोगों से शादी कर चुके हैं और वैसे में दबे-कुचले का राजनेता कहलाने का क्या हक है?

आरक्षण शब्द एक ज्वालामुखी की तरह काम करा रहे है जिसमें आरक्षण पाने वाला भी जल रहा है तो आरक्षण की मार झेल रहा है वह भी बंबडर पर बैठा है। वैसे में दोनों के बीच युद्ध कराकर सिवाय राजनीति के आरक्षण के मुद्दे पर खास नहीं हो पा रहा है इसलिए आरक्षण की वजाय यह संरक्षण मिले कि सैकड़ों लोगों को रहने, खाने के साथ उनके बौद्धिक विकास कराया जाये ताकि सच में उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। सिर्फ कह देने से आप आरक्षित है किसी का विकास संभव नहीं है। आरक्षण के विषय को गंभीरतापूर्वक लोगों के बीच लाकर यह बताना होगा कि आपको इससे यह फायदा है अन्यथा इसका लाभ वहीं लोग ले पाते हैं जो पूर्व से ही जागरूक हैं। वैसे में आरक्षण की रोशनी वास्तविक घर तक नहीं पहुंचना कहा तक सही है? कोई भी सरकार सिर्फ दिखावे के लिए गरीब एवं दबे-कुचले का मसीहा तो बनना चाहता है पर उनके साथ रिश्ता कायम नहीं करना चाहता वैसे में क्या वह सामंती विचारधारा के नहीं है? जब सोच सामंतों वाली है तो फिर उन्हें दलितों और पिछड़ों का नेता कहलाने का क्या हक है? सही मायने में आरक्षण का लाभ अंतिम आदमी तक तब पहुंचेगा जब सुखी-सम्पन्न हो चुके लोगों को आरक्षण नहीं मिले अन्यथा जिसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए हमेशा प्रतिक्षा सूचि से जूझता रहेगा और मलाई वहीं लोग खाते रहेंगे जिन्हें आरक्षण के नाम पर संरक्षण मिल रहा है।

सिर्फ मार्च में महिला

50 प्रतिशत आरक्षण बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को दिया है ताकि उनका उत्थान हो सके। हर वर्ष 08 मार्च को महिला दिवस राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर धूम-धाम से मनाया जाता है। एक से एक बड़े शिक्षाविद् और राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी सहित समाजसेवियों की बड़ी फौज विचार संगोष्ठी से लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से महिलाओं का हौसला बढ़ाते हैं पर एक दिन बाद वही महिला एक दिवस के रूप में सिमट कर रह जाती है जिसपर सोचने के लिए अगले वर्ष का 08 मार्च का इंतजार करना पड़ता है। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी एवं हिस्सेदारी बढ़ी है और घूंघट से लकर वफकट तक की महिला पुरुषों का मुकाबला कर रही है और जब सरकार उन्हें मदद करने लगे तो भला वह कहाँ किससे कमजोर हैं। कानून तथा समाज में भी उनके बयान का ख्रास महत्व हैं। सिपाही से लेकर प्रधान सचिव तक और मुखिया से लेकर राष्ट्रपति पद तक दायित्व संभाल रहीं महिलाओं को आज भी हीन भावना से ही देख्रा जाता है। भले ही महिला राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं पर अहम फैसले उनके पति या पुरुषों द्वारा लिये जाते हैं तथा कई तो ऐसी हैं जिन्हें हस्ताक्षर तक करने में भी परेशानी उठानी पड़ती है। आज भी उनपर शोषण और अत्याचार हो रहा है और सबला आज भी अबला ही दिख्रती है। तमाम प्रकार की कानूनी मजबूती के बाद भी पुरुष समाज उसे वह स्थान नहीं देना चाहता जिसके फलस्वरूप उसका वजूद धूल चाटने लगे।

फिल्म और टेलीविजन की दुनियां भी महिलाओं के उत्थान के लिए कई कारगर तरीके से कशरत कर रहा है ताकि महिलाओं की हुकूमत कायम हो पर उस कड़ी में महिलाओं का अस्तित्व कितनी बार दांव पर लगता है दिख्राकर उस महिला के उत्थान के पहले ही पतन की दास्तान रच दी जाती है। कई महिलाओं ने अपने बूते इतिहास रचने का काम किया है और राजनीतिक, पुलिस, प्रशासनिक, सामाजिक व अन्य क्षेत्रों में अपना एकक्षत्र राज्य कायम किया है लेकिन उनकी दशा एवं दिशा में पुरुषों की घुसपैठ उनकी औकात बता देती हैं। सुश्री ममता बनर्जी और सुश्री मायावती ने यह साबित कर दिया है कि एक अबला महिला सबला मुख्यमंत्री कैसे बन जाती है। वहीं महिलाओं के साथ होने वाली बालात्कार की घटनों में भी बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। पुरुषों का बड़ा वर्ग इस बात को लेकर चिंतित है कि जिस प्रकार राज्य एवं केन्द्र सरकारें महिलाओं को आरक्षण और सहयोग करके जहाँ उन्हें स्वालम्बी बना रही हैं वहीं पुरुष वर्ग इस बात को लेकर मर्माहत है कि कहीं उसका अस्तित्व ख्रतरे में न पड़ जाये। पूर्व आईपीएस किरण बेदी जहाँ सोनिया गाँधी का सिंहासन हिलाने में जुटी है तो बिहार में महिला आईपीएस किम ने एक महिला के गाल पर तमाचा जड़कर अपनी बादशाहत कायम कर रही है। वैसे में अगर महिला ही महिला के पतन का कारण बनने लगे तो उसकी अस्मिता कौन बचायेगा? ऐसा भी नहीं है कि यह घटना सिर्फ बिहार एवं दिल्ली तक सीमित है बल्कि महिला आयोग भी महिलाओं के साथ शोषण करता कभी-कभार दिख्र ही जाता है। महिलाओं द्वारा किये जा रहे बेहतरीन कार्य को भी उसके सौन्दर्य के साथ देख्रा जाता है यह विडम्बना नहीं तो और क्या है! कई योजनाएँ महिलाओं के लिए कार्य कर रहीं हैं और इनका क्रियान्वयन भी महिला ही कर रही है और जब वहाँ भी बंदरबाट हो तो फिर अलग से महिलाओं को महत्व देने का क्या औचित्य रह जाता है।

21वी सदी के संचारयुग में भी महिला एक वंश देने और सेक्स सुख्र देनी वाली मशीन है और दुर्भाग्य तो यह है कि मशीन ही मशीन मालिक को दान-दहेज देकर अपने घर में स्थान मांगती है वैसे में महिला दिवस से महिलाओं का क्या लाभ हो रहा है चिंतनीय विषय है। इस बार भी 08 मार्च को हम महिलाओं के हितों की रक्षा के साथ उनका सामाजिक उत्थान के लिए कसम ख्रायेंगे और फिर भूल जायेंगे कि हमने कल क्या सोचा था। आख्रिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है, जिस वजह से महिला आज भी मैला ही समझी जाती है। दादी, नानी, माँ, बहन, पत्नी और न जाने कितने रिश्तों को जोड़ने वाली महिला क्यों दान-दहेज और बहू की हत्या या आत्म-हत्या करने के मामले में अभियुक्त बन जाती है? लगातार मिल रहे समर्थन और क्षण-क्षण आरक्षण की वजह से सबला बन जाने के बाद वह भी अबला का शोषण करना चाहती है? आज घोटाला और विभिन्न प्रकार के दुष्कर्मों में भी महिला किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं बल्कि उन्हें तो महिला होने की वजह से कानूनी सहूलियत भी मिल जाती है। वैसे में क्या महिला दिवस सिर्फ मंचों तक ही सार्थक होगा? मार्च महीना महिलाओं के बलिदान को याद करता है तो फिर अप्रैल आते ही वह पुरुषों की कान काटने लगती हैं। शोषण के लिए जिम्मेवार पुरुष समाज हेतु पुलिस महिलाओं की रक्षा स्टेशन, महिला आयोग, राजनीति में आरक्षण देकर अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने की कोशिश कर रहा है पर उनका क्या जो कानून के दांव-पेंच से पुरुषों के पुरुषार्थ पर प्रश्न ख्रड़ा कर रही है? सौभाग्यशाली 08 मार्च तो तब होगा जब महिलाएं यह कहेंगी कि आज का दिवस काफी सुख्रद है और हमने अपने बल पर इतिहास रचा है और सेमिनार में पुरुष के बजाय सिर्फ महिला प्रतिनिधि। महिला उत्थान के लिए विचार-विमर्श करें अन्यथा जिस प्रकार भीम राव अम्बेडकर ने 10 साल का आरक्षण देकर पिछड़े हुए लोगों का मार्ग-प्रशस्त किया था जिसे विभिन्न राजनीतिक दलों की सत्तालोभी सोच ने 65 साल तक न सिर्फ नियमित रख्रा बल्कि उसका प्रतिशत भी बढ़ रहा है। आख्रिर आरक्षण की एक तय सीमा होनी चाहिए ताकि उनका सही विकास हो सके अन्यथा आरक्षण के पक्षधर ही यह स्वीकारने को तैयार नहीं है कि 100 साल में भी इनका विकास संभव है। आज के इस महिलायुगी दौर में महिला ही महिला की प्रतियोगी बन रही है पर उसमें प्रतियोगिता से अधिक ईष्या का दृश्य झलकता है अन्यथा बेटी-बहू की सफलता में माँ-सास को गर्व महसूस होने के वजाय मुंह बिचकाती दिख्रती हैं। ऐसे में 8 मार्च का सपना कैसे पूरा होगा। ख्रैर महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की जय।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के 134वें जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ।

–: निवेदक :–

अनिल मिस्त्री

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

मखदुमपुर, जहानाबाद

नववर्ष एवं केवल सच के 13वें स्थापना वर्ष पर सभी छात्र-छात्राओं, अभिभावक तथा शिक्षक-शिक्षिकाओं को हार्दिक शुभकामनाएँ।

–: निवेदक :–

प्रो० राम जनम शर्मा

डॉयरेक्टर

किड्स कैम्पस इंटरनेशनल प्री स्कूल,
बेलाउर, भोजपुर

मो०:-9431850493, 9835676913

भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के 134वें जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ।

–: निवेदक :–

संजय कुमार

कार्यक्रम पदाधिकारी,

मखदुमपुर, जहानाबाद

केवल सच एवं केवल सच टाइम्स पत्रिका के 13वें स्थापना वर्ष के शुभ असवर पर जिले के सम्पूर्ण अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं को हार्दिक बधाई।

–: निवेदक :–

Shri K.P. Gupta

S.K. CENTRAL SCHOOL

GARHANI, BHOJPUR, Mob.:-9934468406

भारत के प्रथम राष्ट्रपति
देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के 134वें जन्मोत्सव की

हार्दिक शुभकामनाएँ।

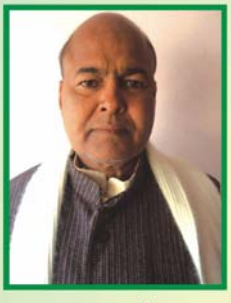

नवादा पंचायत का विकास हमारा लक्ष्य

–: निवेदक :–

रेणु देवी, मुखिया

ग्रा०पं० राज-नवादा, मशरक, सारण

ओम प्रकाश सिंह, मुखिया प्रतिनिधि

मो०:-9939707987

भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के 134वें जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ।

जनता की सेवा में 24X7

–: निवेदक :–

अजीत सिंह

मुखिया

ग्रा०पं० राज-बहरौली, सारण

मो०:-9204631252

भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के 134वें जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ।

-: निवेदक :-

श्री कृष्ण सिंह उर्फ सिकंदर पटेल

अध्यक्ष, नागरिक एकता मंच, ठाकुरगंज (किशनगंज)।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के 134वें जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ।

-: निवेदक :-

मो० हबीबुर्रहमान

प्राचार्य

एम.एच. आजाद नेशनल इंटर कॉलेज, ठाकुरगंज (किशनगंज)

भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के 134वें जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ।

-: निवेदक :-

नौशाद आलम,

सचेतक, बिहार विधानसभा

सत्तारूढ़ दल सह जदयू विधायक,

ठाकुरगंज विधानसभा

(किशनगंज) बिहार।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के 134वें जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ।

-: निवेदक :-

देवकी अग्रवाल

मुख्य पार्षद

नगर पंचायत ठाकुरगंज

किशनगंज, बिहार

भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के 134वें जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ।

SUNRIZE HONDA

THAKURGANJ (KISHANGANJ) BIHAR

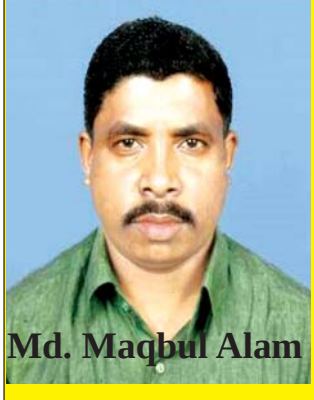

Md. Maqbul Alam

ALL TYPE

HONDA BIKE &

SCOOTY

AVAILABLE

HERE

SALES & SERVISING POINT

NEAR DHARMKATA

भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के 134वें जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ।

-: निवेदक :-

जगदीश चंद्र धानुका

प्रोपराइटर

वैष्णोदेवी बिल्डकन सह समाजसेवी, ठाकुरगंज

(किशनगंज)

भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के 134वें जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ।

-: निवेदक :-

डॉ० पी.पी. सिन्हा

वरिष्ठ समाजसेवी व भाजपा नेता, सीमांचल सह अखिल भारतीय गंगाई गणेश महासंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह वर्तमान संरक्षक, साहित्यकार, किशनगंज (बिहार)

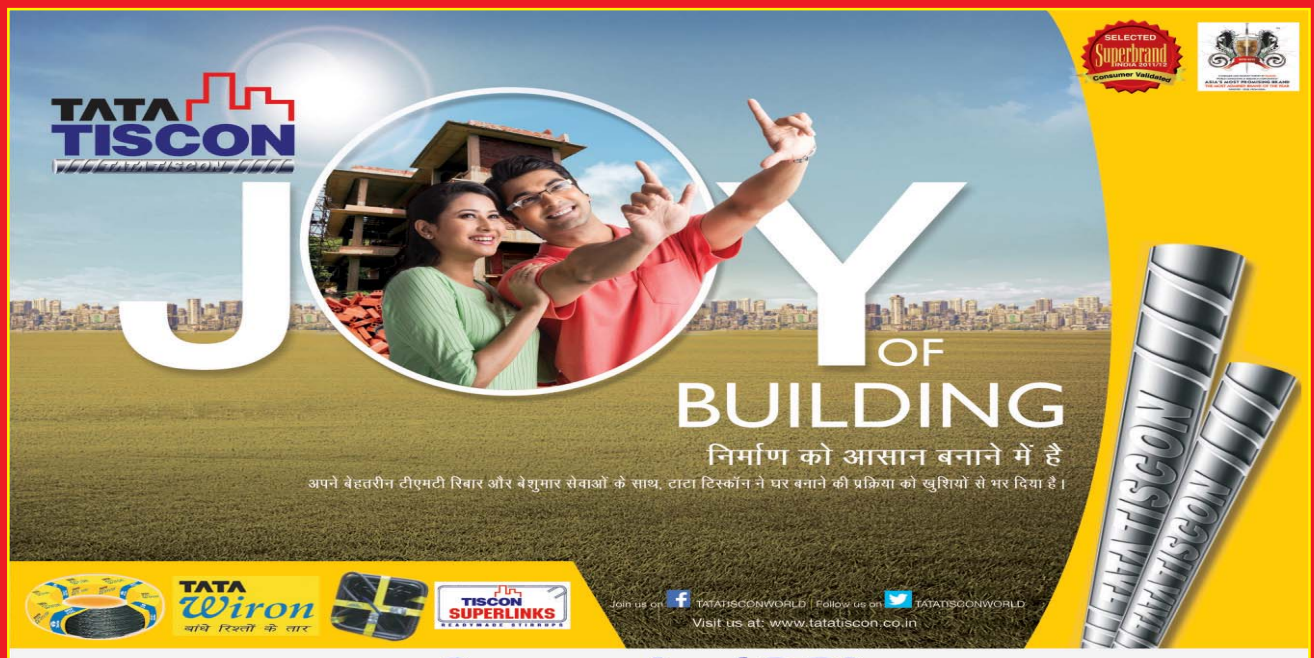

अधिकृत डिस्ट्रिब्यूटर : **बी एम डब्ल्यू वेन्चर्स लिमिटेड, पटना-1**

टोल फ्री नं० **1800 200 3244** कस्टमर केयर नम्बर 0612- 3223773/ 3223774

रेनबो IVF सेन्टर

डॉ० शान्ति० एच०के० सिंह

एम०एस० (पटना) एफ०आई०सी०ओ०जी०

एफ०आई०एम०सी०एच०

विशेषज्ञ-लैप्रोस्कोपी एवं माइक्रोसर्जरी

से०नि० प्राध्यापक

स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

डॉ० सुषमा सिंह

Dr. Sushma Singh

एम०बी०बी०एस० (ऑनर्स), डी०जी०ओ०, एम०एस० (आब्स एवं गायनी), पैट

एम०आर०सी०ओ०जी० (पार्ट-1) विशेषज्ञ-बांझपन रोग

सीनियर रेजिडेन्ट

ओ०बी०एस० एवं गायनी विभाग

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

सुन्दरी देवी अस्पताल

ई-139, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-800 020 (मलाही पकड़ी चौक से 100 गज दक्षिण)

Tel : 0612-2355988

बांझपन से संबंधित सभी समस्याओं का निदान केन्द्र

सुविधाएँ :- ☞ आई यू० आई (IUI) ☞ कृत्रिम गर्भाधान (IVF) टेस्ट ट्यूब बेबी, भ्रुण दोष ☞ दूरबीन द्वारा ऑपरेशन की सुविधाएँ (Hysteroscopy and Laparoscopic Surgery) ☞ नली जोड़ने की सुविधाएँ (Micro Surgery Racanalisation)

बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हांथों से सम्मानित

हिन्दी सामाजिक पत्रिका " केवल सच " के सभी मासिक सदस्यो को सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई।

Producer

BHARDWAJ FILMS PRODUCTION INDIA

Director

Since 2014 Reg. No. IFAA/140601/850

BHARDWAJ FILMS PRODUCTION INDIA

A Complete Solutions of Indian Film Industry

Regd By. Gov dept. IFAA Office E-31, Ifaa House, Jawahar Park, Laxmi Nagar, Delhi-92

Add : 102 1nd floor, Palkoat House, Opp R.B Sprindel School, Kishorganj, Ranchi, Jharkhand

Mob. 7780084413, 7004586483

Sudha

MILK & MILK PRODUCTS

PATNA DAIRY PROJECT

HELPLINE: MOB-6204381026, PH:0612-2253316

Email : vpmu.mkt@gmail.com